



Impact Factor :
4.553

गीना देवी शोध संस्थान

द्वारा श्रीगंगानगर, राजस्थान से प्रसारित

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037

जुलाई-अगस्त 2023

Vol. 11, Issue 7-8

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)



संपादक :
डॉ. रेखा सोनी

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

संगम SANGAM

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
A Peer Reviewed International Refereed Journal

वर्ष : 11

अंक : 7-8

जुलाई-अगस्त : 2023

आईएसएसएन : 23 21-803 7



संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष डॉ. विश्वकीर्ति

संरक्षक :
हरविन्द्र कमल, पटियाला

मार्गदर्शन :
डॉ. राजेन्द्र गोदारा
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

इन्जीनियर सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्प्युनिकेशन, सरकारी पॉलिटेक्निक
कॉलेज फॉर गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।

श्रेष्ठ चौधरी
सीनियर मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया, साहिबजादा अजित सिंह
नगर, मोहाली, पंजाब।

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
शिक्षा विभाग, टांटिया वि.वि.,
श्रीगंगानगर-335001 (राज.)

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)
डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)
डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय,
भिवानी (हरियाणा)
डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)
डॉ. अल्पना शर्मा
आईएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर
(राजस्थान)
डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)
डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकुरिया, पंजाब।
श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।
श्री हेमराज न्यौपाने
नेपाल।
ले. डॉ. एम. गीताश्री
डिप्टी डीन एकेडमिक
विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग,
बीएमएस महिला कॉलेज, स्वायत्त,
बसवनगुडी, बेंगलुरु

प्रो. मधुबाला
राजकीय महिला महाविद्यालय,
हिसार।
प्रो. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश
डॉ. हवासिंह ढाका
सहायक आचार्य भूगोल, एस.एन.डी.बी.
राजकीय महाविद्यालय, नोहर, राज.
डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
तोशाम (हरियाणा)
डॉ. राजेश शर्मा
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर
(राजस्थान)
डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)
डॉ. मुकेश चंद
राजकीय महाविद्यालय, बाडी,
धौलपुर, राजस्थान।
प्रो. कौशल्या कालोहिया,
पेंसिल्वेनिया, यूएसए
डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटेड किंगडम।
डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।
डॉ. आर.के. विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, टांटिया, वि.वि.
डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।

कानूनी सलाहकार : डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट, भिवानी
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट, पटियाला।

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, पुराना बस स्टैंड रोड, नया
बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

A Peer Reviewed International Refereed Journal

(Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा। सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohwal@gmail.com

Facebook.com/bohalsm.blogspot.com

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

- Disclaimer :**
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
 2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
 3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originality of their views/opinions expressed in their articles.
 4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdiction only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gagan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

तालिका- 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे: प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु-चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विभाग
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान- अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

www.bohalsm.blogspot.com

✉ gsrbohals@gmail.com

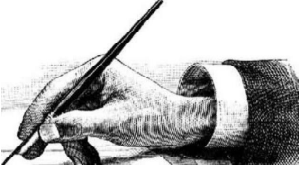
☎ 8708822674

📞 9466532152

अनुक्रमिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	7-7
2.	नई शिक्षा नीति : 2020	ठाट सिंह	8-12
3.	भारत में गंगा नदी संरक्षण के लिए महिलाओं का योगदान (एक भौगोलिक विश्लेषण)	डॉ. वेदप्रकाश	13-26
4.	रांगेय राघव का समकालीन कथाकारों से तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. दीपाली शर्मा	27-31
5.	समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका	दीपशिखा, रेवा प्रसाद	32-38
6.	हिंदी नवजागरण पत्रकारिता का योगदान	युगल किशोर	39-44
7.	Contribution of Women in the Indian National Movement	Dr. Jaya Agarwal, Dr. Yogendra Kumar	45-49
8.	प्रकृति पूजन की लोकवादी परम्परा	सोनिका तिवारी	50-54
9.	विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ एवं भक्ति मार्ग	डॉ. रीता टेटवाल	55-58
10.	ममता कालिया की कहानियों में स्त्री (‘बोलने वाली औरत’ कहानी के विशेष संदर्भ में)	के. एम. प्रतिभा, डॉ. सत्येन्द्र कुमार	59-61
11.	मैथिलीशरण गुप्त की काव्यभाषा में छन्द सौन्दर्य	पंकज कुमार यादव	62-65
12.	Old age village life in the 'Giligadu' Novel of Chitra Mudgal चित्रा मुद्गल के उपन्यास ‘गिलिगडु’ में अभिव्यक्त वृद्ध ग्रामीण समुदाय जीवन	Dr. P. Ganesan	66-69
13.	कोविड-19 का राजनीतिक प्रभाव : चुनौती एवं संभावनाएं	राम अवतार	70-73
14.	राष्ट्रीयता के गौरव गायक : मैथिलीशरण गुप्त	डॉ. प्रतिभा राजहंस	74-77
15.	वेद : मानवीय मूल्य	जेठाराम	78-80
16.	परिचामी राजस्थान मानसून अध्ययन	कैलाश प्रजापत	81-84
17.	गुप्त काल : स्थापत्य कला	जेठाराम	85-87

18. राष्ट्र की अवधारणा : बंकिमचन्द्र चटर्जी के विशेष सन्दर्भ में	राम अवतार	88-94
19. निर्धनता : समस्या एवं सुझाव	सहदेव कुमार	95-97
20. A Overview of Forensic Accounting in India	Sahiba, Neha, Abhishek K. Sharma	98-103
21. बाल कथा साहित्य और बचपन	सुश्री अन्नू इंदौरा	104-110
22. गाँधी का धर्म दर्शन एवं वर्तमान व्यवस्था का स्वरूप : एक अध्ययन	डॉ. सुनीता मीणा	111-116



विशेषांक सम्पादक
डॉ. रेखा सोनी की कलम से..



नई शिक्षा नीति : 2020

गट सिंह, (प्रधानाध्यापक)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, झबरेड़ी कलां, हरिद्वार, उत्तराखंड।

सारांश :-

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को मंजूरी दे दी। यह नीति देश की शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव लाएगी, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना भी शामिल है।

परिचय :-

भारत में समग्र शिक्षा का एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षा का संबंध न केवल इस दुनिया में जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करने से था, बल्कि सांसारिक बंधन से स्वयं की पूर्ण प्राप्ति और मुक्ति से भी था। आक्रमणों से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक भारत में आई संस्कृतियों के मिश्रण से भारत में शिक्षा समृद्ध हुई। जीवन और चरित्र निर्माण में शिक्षा के महत्व को समझते हुए आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की गईं और अब भी की जा रही हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिना किसी भेदभाव और उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को सुलभ, न्यायसंगत और सस्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में :-

एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण मानव क्षमता तक पहुंचने के लिए शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व ज्ञान परिदृश्य में तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

इस संदर्भ में, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय नीति 2020 को मंजूरी दे दी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी। 2020 की यह नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी।

नई शिक्षा नीति का विजन :-

इस नई शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण छात्रों को न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भारतीय होने पर गर्व करना होना चाहिए, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और वैश्विक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना महत्वपूर्ण है, ताकि वे सच्चे वैश्विक नागरिक बन सकें।

सभी के लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों पर निर्मित, यह नई राष्ट्रीय नीति 2020 सतत विकास के लिए 3030 एजेंडा के अनुरूप है।

नई शिक्षा नीति के सिद्धांत :-

- **लचीलापन** : शिक्षार्थियों को सीखने की अपनी गति चुनने और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना रास्ता चुनने के लिए लचीलापन देना चाहता है।
- **बहु विषयक** : विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कोडिंग, कला, मानविकी, खेल आदि सभी क्षेत्रों में समग्र शिक्षा प्रदान करना।
- **नैतिक और संवैधानिक मूल्य** : इसका उद्देश्य सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समानता और न्याय के मूल्यों को विकसित करना है।
- **टिकाऊ नीति** : जमीनी हकीकतों के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर नीतियों का निर्माण। भारत की समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परंपरा को ध्यान में रखते हुए।
- **इक्विटी और समावेशन** : यह सभी शैक्षिक निर्णयों का लक्ष्य होगा, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र शैक्षिक प्रणाली में प्रगति कर सकें।
- **जीवन कौशल** : सहयोग, टीम वर्क, संचार, लचीलापन आदि जैसे जीवन कौशल विकसित करने पर ध्यान दें।
- **व्यावसायिक मूल्य** : सभी शिक्षकों और प्रशिक्षकों की भर्ती कठोर तैयारी के माध्यम से की जाएगी। चल रहे व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा विकास पर जोर दिया जाएगा।
- **शिक्षा एक मौलिक अधिकार है** : शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है न कि कोई व्यावसायिक गतिविधि। यह सभी को पर्याप्त गुणवत्ता में उपलब्ध होना चाहिए। एक जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ एक नैतिक और परोपकारी निजी प्रणाली में मजबूत और टिकाऊ निवेश होना चाहिए।

नई शैक्षिक नीति 2020 के घटक :-

□ शिक्षण :

नीति में कहा गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। इसलिए, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल में लचीली, बहु-विषयक, बहुस्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और खोज-आधारित शिक्षा शामिल होगी। मोटर कौशल, सामाजिक-भावनात्मक, नैतिक और संचार कौशल और प्रारंभिक भाषा विकसित की जाएगी।

प्राथमिक शिक्षा के बाद वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब, 3-8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रीस्कूल शिक्षा के बुनियादी चरण और पहली और दूसरी कक्षा की कक्षाओं के लिए 5 साल लगेंगे। कक्षा 3-5 में तैयारी चरण में तीन साल लगेंगे। कक्षा 6-8 में मध्यवर्ती चरण में अन्य तीन वर्ष व्यतीत होंगे। कक्षा 9 से 12 तक के लिए माध्यमिक चरण चार वर्ष का होगा। खेल, कला, व्यवसाय या विज्ञान जैसे सह-पाठ्यचर्या और व्यावसायिक विषयों को बराबर माना जाएगा। छात्रों को अपने कंप्यूटर कौशल में सुधार के लिए कक्षा 6 की कोडिंग लेने की अनुमति दी जाएगी। कक्षा 6 से आगे अभ्यास के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में तथ्यों को याद करने के बजाय कौशल का परीक्षण करना आसान होगा क्योंकि सभी छात्र दो बार परीक्षा दे सकेंगे। पाठ्यक्रम की सामग्री को कक्षाओं तक सीमित कर दिया जाएगा, और खोज, पूछताछ और विश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण सोच और सीखने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। शिक्षक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया जाएगा।

□ अनुदेश का माध्यम :

नई शिक्षा नीति स्थापित करती है कि स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कम से कम पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा होगी, लेकिन अधिमानतः आठवीं कक्षा और उससे आगे तक। इससे स्कूल स्तर पर पढ़ाई में सुधार होगा और बच्चे जिन विषयों को पढ़ रहे हैं उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

□ उच्च शिक्षा :

उच्च शिक्षा में, सकल नामांकन दर वर्तमान में 26–3% से बढ़कर 2035 तक 50% हो जाएगी। एनईपी 2020 हस्तांतरणीय क्रेडिट और प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री के साथ एकाधिक निकास के साथ एक बहु-विषयक उच्च शिक्षा ढांचे की भी परिकल्पना करता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण एवं रचनात्मक लोगों का विकास करना है। यह उच्च शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव करता है जिसमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रमुख विश्वविद्यालय और बहु-विषयक कॉलेज शामिल हों।

इसमें खुली शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और खुली दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के विखंडन को समाप्त करना और उन्हें बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में बदलना है।

आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में एक व्यापक शिक्षा प्रणाली भी अधिक कला और मानविकी की ओर बढ़ेगी, और कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखेंगे ताकि शिक्षा अधिक समग्र हो सके।

□ प्रौढ़ शिक्षा :

एनसीईआरटी के तहत एक नया, अच्छी तरह से समर्थित संस्थान एक उत्कृष्ट वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करेगा।

नया पाठ्यक्रम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, मौलिक जीवन कौशल जैसे स्वास्थ्य जागरूकता, बाल देखभाल, परिवार कल्याण, पेशेवर कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल आदि में समग्र शिक्षा पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करेगा।

बड़े पैमाने पर वयस्क शिक्षा और साक्षरता परिणाम प्राप्त करने के लिए सामुदायिक संगठनों और स्वयं सेवकों को संगठित करने के लिए एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार गैर सरकारी संगठनों और अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी और आवश्यकतानुसार उनका समर्थन करेगी।
भारत में शिक्षा में कैसे सुधार होगा?

नई शिक्षा नीति छात्रों को रटने की ओर धकेलने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान और कौशल को महत्व देगी।

इससे कम उम्र से ही छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी।

यह प्रारंभिक बचपन से उच्च शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने, स्कूल न जाने वाले 20 मिलियन से अधिक बच्चों को एकीकृत करने और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से वर्तमान प्रणाली में अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। जो छात्र शिक्षा तक पहुंच पाने में असमर्थ थे, उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। प्रौद्योगिकी का लक्ष्य जाति, वर्ग, समाज, व्यवसाय आदि की पारंपरिक बाधाओं को दूर करना भी होगा।

शिक्षा और बच्चों की देखभाल तक शीघ्र पहुंच में सुधार से बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत होगी और वे बेहतर इंसान बनेंगे। एक मजबूत नींव छोटे बच्चों को अनुकूलन करने और तेजी से सीखने में मदद करेगी।

राजनीति संस्थानों को विनियमित करने और नौकरशाही की बेड़ियों को हटाने का प्रयास करती है। यह शैक्षणिक संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देगा, जिससे उनकी दक्षता और शिक्षा वितरण में सुधार होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य :-

नई नीति का लक्ष्य प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। वे शिक्षा में 100:जीआरई (सकल नामांकन दर) के साथ ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। इसे 2030 तक हासिल करने की योजना है।

कई निकास विकल्पों के साथ चार साल का बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य। इसलिए यह नई नीति भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का प्रयास करेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 पर यह निबंध इस नई नीति द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डालेगा। सबसे पहले, नीति में भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए खोलने का प्रस्ताव है।

इसी तरह, इसका लक्ष्य वर्ष 2040 तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बहु-विषयक बनाना भी है। अंत में, इस नीति का लक्ष्य भारत में रोजगार बढ़ाना और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन लाना भी है।

नई शिक्षा नीति 2020 के फायदे और नुकसान :-

आवर्धन :

- सरकार का लक्ष्य NEP 2020 की मदद से सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- इस नए दृष्टिकोण के माध्यम से लगभग दो मिलियन छात्र शैक्षणिक संस्थानों में लौट सकेंगे।
- 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, 5+3+3+4 संरचना मौजूदा 10+2 संरचना की जगह लेगी। यह संरचना छात्रों के सीखने के प्रारंभिक वर्षों पर केंद्रित है। यह 5+3+3+4 संरचना 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 वर्ष की आयु से मेल खाती है। 12 साल की स्कूली शिक्षा, अगर आंगनवाड़ी और प्रीस्कूल को इस संरचना में शामिल किया जाए तो 3 साल।
- 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा डिजाइन और विकसित करेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय साक्षरता और बुनियादी संख्यात्मकता पर एक

राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगा। ग्रेड तीन तक के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मकता और साक्षरता में एक आधार प्राप्त करने के सफल कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत के राज्यों पर है। यह कार्यान्वयन 2025 में होने वाला है।

- एनईपी 2020 का एक मुख्य आकर्षण भारत में राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति का निर्माण है।
- संबंधित अधिकारी ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए स्कूल परीक्षाएं आयोजित करेंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन एनईपी 2020 का लक्ष्य समग्र विकास के साथ संरचना को फिर से डिजाइन करना है।
- सरकार पारख के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थापित करेगी।
- भारत के प्रत्येक राज्य या जिले में एक विशेष डे बोर्डिंग स्कूल, “बाल भवन” स्थापित किया जाएगा। इस बोर्डिंग स्कूल का उपयोग खेल, करियर और कला से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी के लिए किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी। अंतिम ग्रेड पूरा होने पर छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को संग्रहीत और गिना जा सकता है।

कमियां :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा एक नकारात्मक कारक है क्योंकि भारत में शिक्षक-छात्र अनुपात समस्याग्रस्त है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा को लागू करना एक समस्या है। कभी-कभी एक सक्षम शिक्षक ढूंढना एक समस्या बन जाता है, और अब एनईपी 2020 की शुरुआत के साथ एक और चुनौती आती है, जो अध्ययन सामग्री को मातृभाषाओं में ला रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, निजी स्कूल के छात्र पब्लिक स्कूल के छात्रों की तुलना में बहुत पहले अंग्रेजी सीखेंगे। शैक्षणिक कार्यक्रम पब्लिक स्कूल के छात्रों की संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति की मुख्य कमियों में से एक है, क्योंकि अंग्रेजी में संवाद करने में असहज महसूस करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे समाज के क्षेत्रों के बीच अंतर बढ़ जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर निष्कर्ष :-

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सही दिशा में एक कदम है। यह आलोचनात्मक सोच, अनुभवात्मक शिक्षा, इंटरैक्टिव कक्षाओं, एकीकृत शिक्षाशास्त्र और योग्यता-आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। समावेशी डिजिटल शिक्षा नीति के एक मजबूत घटक के रूप में कार्य करती है। यदि शिक्षा प्रणाली में निवेश किया जाता है और सभी राज्य नीति में उल्लिखित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं, तो भारत अपनी युवा जनसांख्यिकी का लाभ उठाने में सक्षम होगा। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत खुद को ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा।

नई शैक्षिक नीति 2020 पर निबंध को समाप्त करने के लिए, हम कह सकते हैं कि यह नीति हमारे समाज और पूरे देश के अभिन्न विकास में योगदान देने के लिए एक मौलिक पहल है। हालाँकि, इस नीति का कार्यान्वयन काफी हद तक इसकी सफलता निर्धारित करेगा। हालाँकि, मुख्य रूप से युवा आबादी के साथ, भारत वास्तव में इस शिक्षा नीति के उचित कार्यान्वयन के साथ बेहतर स्थिति हासिल कर सकता है।

मेल आईडी— thaatsing@gmail.com, संपर्क— 919719689292

भारत में गंगा नदी संरक्षण के लिए महिलाओं का योगदान (एक भौगोलिक विश्लेषण)

डॉ. वेदप्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष – भूगोल
किसान (पी० जी०) कॉलेज सिम्भावली, जनपद हापुड़ (उत्तर प्रदेश)–245207

सारांश :-

गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी के गंगासागर में विसर्जित होती है भारतीय ग्रंथों में इसे पवित्र नदी माना गया है। और इसे माता का दर्जा दिया गया है। गंगा केवल एक नदी ही नहीं, एक संस्कृति है। गंगा नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थ स्थल का निवास है। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा नदी को प्रत्येक भारतीय वासी सम्मान और आस्था की नजर से देखता है। गंगा अपने मूल्यवान पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व के कारण गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी में से एक माना जाता है। 2,525 किलोमीटर लंबी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिमी हिमालय से निकलती है, और उत्तर भारत के गंगा के मैदान से होकर दक्षिण और पूर्व में बहती है। नदी संसाधनों के लालची दोहन और जनसंख्या के बढ़ते दबाव और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के कारण गंगा अपनी प्राचीनता खो रही है।

अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदी जल संसाधन पर निर्भर करती है। उसी समय गंगा के मैदानी इलाकों में प्रमुख शहर जैसे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता गंगा के तट पर स्थित थे (चित्र.2ए, 2बी)। इन शहरों का नगरपालिका सीवेज, जिसमें जलग्रहण क्षेत्र का पानी भी शामिल है, जो सीधे तौर पर या इसकी प्रमुख सहायक नदियों जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, रामगंगा और सरयू के माध्यम से रासायनिक और माइक्रोबियल संदूषण ले जाता है और नदी की धारा में अन्य अनियंत्रित मानव निर्मित अपशिष्ट निपटान, निम्नीकरण के मुख्य कारणों में से एक है। गंगा की पारिस्थितिकी. नदी के किनारे रासायनिक खेती का चलन भी नदी-जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है।

यह शोध पत्र गंगा के मैदानी इलाकों में महिला समुदाय के लिए संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम के महत्व को प्रदर्शित करता है और उन्हें भारत की राष्ट्रीय नदी की पारिस्थितिकी के संरक्षण के संबंध में सामुदायिक संवेदनशीलता में उनकी भागीदारी के माध्यम से नदी संरक्षणवादी के रूप में बदल देता है। रामगंगा और सरयू तथा अन्य अनियंत्रित मानव निर्मित अपशिष्टों का नदी की धारा में निपटान गंगा की पारिस्थितिकी के क्षरण का एक मुख्य कारण है। नदी के किनारे रासायनिक खेती का चलन भी नदी-जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। यह शोध पत्र गंगा के मैदानी इलाकों में महिला समुदाय के लिए संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम के महत्व को प्रदर्शित

करता है और उन्हें भारत की राष्ट्रीय नदी की पारिस्थितिकी के संरक्षण के संबंध में सामुदायिक संवेदनशीलता में उनकी भागीदारी के माध्यम से नदी संरक्षणवादी के रूप में बदल देता है। रामगंगा और सरयू तथा अन्य अनियंत्रित मानव निर्मित अपशिष्टों का नदी की धारा में निपटान गंगा की पारिस्थितिकी के क्षरण का एक मुख्य कारण है। नदी के किनारे रासायनिक खेती का चलन भी नदी-जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है।

यह शोध पत्र गंगा के मैदानी इलाकों में महिला समुदाय के लिए संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम के महत्व को प्रदर्शित करता है और उन्हें भारत की राष्ट्रीय नदी की पारिस्थितिकी के संरक्षण के संबंध में सामुदायिक संवेदनशीलता में उनकी भागीदारी के माध्यम से नदी संरक्षणवादी के रूप में बदल देता है। अपने बच्चों का पालन-पोषण करने और उन्हें राष्ट्र और पृथ्वी ग्रह के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों के बारे में शिक्षित करने में महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार महिलाएं नदी-अनुकूल समाज बनाने के लिए जनता के व्यवहार परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं, और, एक जागरूक समुदाय गंगा नदी के रक्षक के रूप में कार्य करेगा। नदी के संबंध में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आम लोगों को संवेदनशील बनाने और नीति निर्माताओं, प्रशासन को नदी अनुकूल विकास पहल बनाने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रभावित करने के लिए इसे अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं और नदी संसाधन समाज के आर्थिक विकास में सहायक है।

तालिका -01

क्रम संख्या	राज्य/देश	गंगा नदी की दूरी	मुख्य नगर
1	उत्तराखंड	350	देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार
2	उत्तर प्रदेश	1150	गढ़मुक्तेश्वर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी
3	बिहार	360	चौसा, बक्सर, गया, पटना, मुंगेर, सुल्तानपुर, भागलपुर, मिर्जाचौकी
4	झारखंड	85	साहिबगंज, महाराजगंज, राजमहल
5	पश्चिमी बंगाल	520	फरक्का, रामपुरहाट, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, गंगासागर
6	बांग्लादेश	60	बांग्लादेश में गंगा को पदमा नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से, जब जमुना और पदमा का मिलन होता है। तो संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है।
7	भारत	2525	भारत के 5 राज्यों से गुजरती है

परिचय :-

गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के लघु हिमालय के गंगोत्री स्थान के

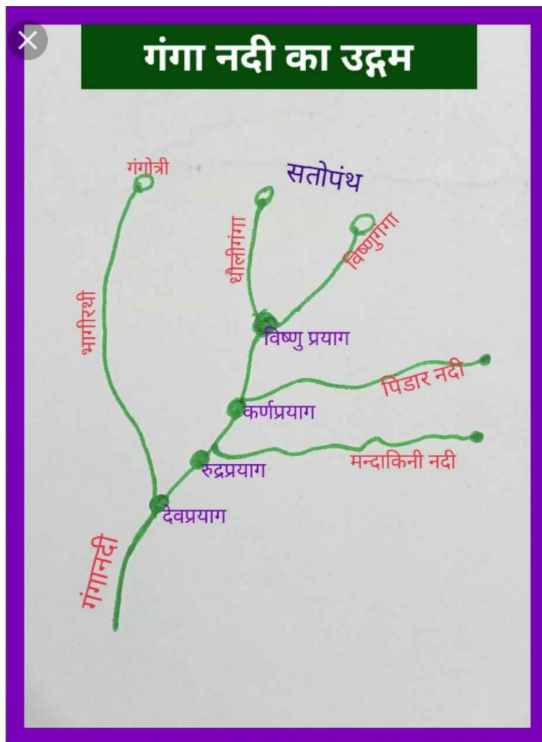
गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में उद्गम होती है। यह 205 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद संतोपंथ हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा नदी जो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, करणप्रयाग और रुद्रप्रयाग का निर्माण करते हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। जिससे सास बहू का संगम भी कहा जाता है। यहीं से भाग और अलकनंदा का नाम गंगा पड़ता है। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल से गुजरती हुई कुल 6 बांध और 4 बैराज एवं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी के गंगासागर में गिर जाती है। गंगा नदी अपना रूप बदलती रहती है। और आरंभ में यह सिकुंडी सी दिखाई देती है। पर मैदानी भागों में इसका तट चौड़ा हो जाता है। चौड़े तटों के इस पार से उस पार जाने के लिए नौकाय एवं स्ट्रीमर चलते हैं। गंगा नदी पर अनेक स्थानों पर लंबे पुल भी बनाए गए हैं। इससे परिवहन सरल हो गया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की एक महान नदी। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश राज्यों से होकर बहती है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और 'गंगा जमुनी तहजीब' के लिए प्रसिद्ध है।

वर्ष 2009-10 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसलिए क्षेत्र में कृषि उत्पादकता, जल सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिरता में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गंगा बेसिन का बड़ा हिस्सा गंगा के मैदानी इलाकों में पड़ता है, जो दुनिया में सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, अत्यधिक खेती वाला और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। मैदानी इलाकों में केवल आधी आबादी महिलाओं की है और यह हिंदू धर्म में पवित्र नदी रही है और विशेष रूप से महिलाओं के बीच इसका सौंदर्य संबंधी बहुत महत्व है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही महिलाओं की समाज में दोहरी भूमिकाएँ हैं, उत्पादक भी और प्रजनन भी। महिलाएं पवित्र नदी से जुड़े त्योहारों का ध्यान रख रही हैं, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं और उन्हें प्रकृति, विशेषकर गंगा नदी के प्रति नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे रही हैं। आज गंगा नदी बेसिन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। गंगा बेसिन में औसत जनसंख्या घनत्व 510 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जबकि पूरे देश में यह 312 है (2001 की जनगणना)। पीने का पानी और खेतों की सिंचाई के अलावा, गंगा नदी धार्मिक कारणों से भी हिंदू आबादी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे देवी गंगा मां या मां गंगा के रूप में पूजा जाता है। भारत के लोगों के लिए गंगा नदी के धार्मिक महत्व और दैनिक महत्व के बावजूद, यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। गंगा का प्रदूषण मानव और औद्योगिक अपशिष्ट दोनों के कारण होता है, वाराणसी के पास फेकल कोली-फॉर्म बैक्टीरिया का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुरक्षित (हैमर, 2007) के रूप में स्थापित स्तर से कम से कम 3,000 गुना अधिक है। महिलाएं समाज में अच्छी संसाधन प्रबंधक होती हैं और वे प्रकृति के एक दयालु स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारतीय मिथक में, नदियाँ एक समान नारी हैं और इस प्रकार का संवेदनशील विश्वास दोनों के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है। गंगा के नदी विस्तार पर महिला आबादी को शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण महिलाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। शहरी महिलाओं का सशक्त समूह शिक्षा, जागरूकता और अभियानों के माध्यम से सरकार, नीति निर्माताओं और विकासकर्ताओं को आगे आने और नदी पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रभावित करने के लिए एक नदी संवेदनशील समाज बनाने में सक्षम है। दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएँ कम सशक्त हैं लेकिन वे नदी संसाधन पर आधारित आजीविका के संदर्भ में प्राकृतिक

संसाधन प्रबंधन में सीधे तौर पर शामिल पाई जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं में नदी के प्रति विशेष संवेदनशीलता होती है, लेकिन उन्हें नदी संसाधनों के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग में सक्षम होने की आवश्यकता है और नदी संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए सामुदायिक गतिशीलता में भी भाग लेना होगा। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संरक्षण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन नदी के किनारे के गांवों, कस्बों और शहरों आदि में महिला आधारित सामुदायिक संस्थानों की स्थापना के लिए मुख्य भागीदार होंगे। इसके अलावा महिलाएं नदी के अनुकूल समाज बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। अपने बच्चों को शिक्षित करके और परिवार के सदस्यों को नदी संरक्षण पहल में भाग लेने और गंगा के रक्षक के रूप में आगे आने के लिए प्रेरित करना। महिला समूह के नेतृत्व में इस तरह के सामुदायिक जागरूकता अभियान और सीबीओ, शैक्षिक संस्थानों, विकास अभिनेताओं और मीडिया की भागीदारी से गंगा को संरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर एकजुट होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षित करके और परिवार के सदस्यों को नदी संरक्षण पहल में भाग लेने और गंगा के रक्षक के रूप में आगे आकर नदी अनुकूल समाज बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। महिला समूह के नेतृत्व में इस तरह के सामुदायिक जागरूकता अभियान और सीबीओ, शैक्षिक संस्थानों, विकास अभिनेताओं और मीडिया की भागीदारी से गंगा को संरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर एकजुट होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षित करके और परिवार के सदस्यों को नदी संरक्षण पहल में भाग लेने और गंगा के रक्षक के रूप में आगे आकर नदी अनुकूल समाज बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। महिला समूह के नेतृत्व में इस तरह के सामुदायिक जागरूकता अभियान और सीबीओ, शैक्षिक संस्थानों, विकास अभिनेताओं और मीडिया की भागीदारी से गंगा को संरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर एकजुट होने में मदद मिलेगी।

गंगा नदी का उद्गम (चित्र नंबर 1)



गंगा नदी का सांस्कृतिक महत्व :- हर साल लाखों पुरुष और महिलाएं गंगा में पवित्र स्नान करते हैं। गंगा का धार्मिक महत्व विश्व की किसी भी अन्य नदी से अधिक हो सकता है। यह प्राचीन काल से पूजनीय रही है और आज इसे हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र नदियों के रूप में माना जाता है। जबकि हिंदू तीर्थस्थल, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है, पूरे उपमहाद्वीप में स्थित हैं, जो गंगा पर स्थित हैं उनका विशेष महत्व है। उनमें से हैं संगम हे प्रयाग के रूप में लोकप्रिय गंगा और यमुना, जहां जनवरी और फरवरी में स्नान उत्सव या मेला आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान सैकड़ों हजारों तीर्थयात्रियों ने नदी में डुबकी लगाई। अन्य पवित्र स्थानों के लिए विसर्जन वाराणसी और हरिद्वार में हैं। कोलकाता की हुगली नदी को भी पवित्र माना जाता है। गंगा के अन्य तीर्थस्थलों में गंगोत्री और हिमालय में

अलकनंदा और भागीरथी धाराओं का जंक्शन शामिल हैं। हिंदू अपने मृतकों की राख को नदी में बहा देते हैं, उनका मानना है कि इससे मृतक को सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाता है और नदी के किनारे कई स्थानों पर मृतकों को जलाने के लिए श्मशान घाट (नदी के किनारे की सीढ़ियों के शिखर पर मंदिर) बनाए गए हैं। गंगा, गंगा के मैदान पर बड़ी संख्या में शहर बसाए गए हैं (तस्वीर 2ए और 2बी)। सबसे उल्लेखनीय में से हैं सहारनपुर, मेरठ, आगरा (प्रसिद्ध ताजमहल मकबरे का शहर), मथुरा (हिंदू भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में प्रतिष्ठित), अलीगढ़, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी (बनारस या काशी) हिंदुओं का पवित्र शहर), पटना, भागलपुर, राजशाही, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हाओरा (हावड़ा), ढाका, खुलना और बारिसल। डेल्टा में कोलकाता और उसके उपग्रह शहर हुगली के दोनों किनारों के साथ लगभग 50 मील (80 किमी) तक फैले हुए हैं, जो भारत की जनसंख्या, वाणिज्य और उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण सांद्रता में से एक है।

तालिका -2

क्रम संख्या	प्रयाग	नदिया	राज्य
1	विष्णु प्रयाग	अलकनंदा तथा विष्णु गंगा	उत्तराखंड
2	नंदप्रयाग	अलकनंदा तथा मंदाकिनी	उत्तराखंड
3	कर्णप्रयाग	अलकनंदा तथा पिंडर	उत्तराखंड
4	रुद्रप्रयाग	अलकनंदा तथा मंदाकिनी	उत्तराखंड
5	देवप्रयाग	अलकनंदा तथा भागीरथी	उत्तराखंड
6	प्रयागराज	गंगा और यमुना	उत्तर प्रदेश

भारत की समृद्ध जैव विविधता :-

जैव विविधता क्या है : जैव=जीवन, विविधता = विविधता जैव विविधता जीवित रूपों के बीच विविधता है। इसे मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रजाति विविधता (पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संख्या), आनुवंशिक विविधता (विभिन्न जीनों के कारण एक ही प्रजाति में भिन्नता), पारिस्थितिकी तंत्र विविधता (जंगल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि आदि)। भारत जैविक विविधता में बहुत समृद्ध है, यहां दुनिया की 7: पशु विविधता और दुनिया की 11% पौधों की विविधता है। भारत में विश्व की कुल भूमि का 2% और 8% जैव विविधता है। इसमें विश्व का सबसे आर्द्र, सबसे शुष्क क्षेत्र है। भारत दुनिया के 17 मेगा विविधता वाले देश और जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट (पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय) में से एक है। वर्षा पैटर्न और स्थलाकृति के आधार पर भारत में दस जैव-भौगोलिक क्षेत्र हैं : ट्रांस-हिमालय और हिमालय, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व भारत, भारतीय रेगिस्तान और अर्ध-शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, तट और द्वीप. मानव जीवन के लिए जैव विविधता का अत्यधिक महत्व है, जैव विविधता से हमें भोजन, फाइबर, आश्रय सब कुछ मिलता है। जैविक विविधता के अभाव में पृथ्वी ग्रह पर जीवन असंभव है और जल जैव विविधता (सभी जीवन रूपों) को बनाए रखने के लिए प्रमुख संसाधन है। नदियाँ प्रकृति का बहुमूल्य उपहार हैं, जो दूर-दूर तक पीने, सिंचाई और विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ताजे पानी का मुख्य स्रोत हैं। आज बढ़ते मानव जनसंख्या दबाव, अव्यवस्थित विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई, के कारण जैव विविधता का क्षरण तेज हो गया है। जानवरों का शिकार और अवैध शिकार, नदी प्रदूषण और शोषण, और जलवायु परिवर्तन कारक प्रमुख

खतरे हैं। हमें नदी अनुकूल जीवनशैली और सतत विकास पहलों को अपनाकर जीवन और आजीविका को बनाए रखने के लिए जैविक विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। महिलाएं अच्छी संसाधन प्रबंधक हैं और वे नदी-अनुकूल समाज बनाकर नदी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

गंगा का मैदान (चित्र नंबर 02)



गंगा का मैदान :-

गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी प्रणाली की प्रमुख नदियाँ गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन हैं। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी में से एक है और इसे लाखों लोगों की जीवन रेखा माना जाता है। यह लगभग 550 निवासी और प्रवासी पक्षियों का घर है (चित्र. 1)। गंगा की महत्वपूर्ण जैव विविधता में गंगा डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका), ऊदबिलाव की तीन प्रजातियाँ शामिल हैं। चिकना-लेपित ऊदबिलाव (लुट्रोगेल पर्सपिसिलटा), यूरेशियन ऊदबिलाव (लुट्रा लुट्रा) और छोटे पंजे वाला ऊदबिलाव (एओनिक्स सिनेरियस), गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस), मगर या भारतीय दलदली मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस), एस्टुरीन मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पोरसस)) और मीठे पानी के कछुओं की कम से कम 12 प्रजातियाँ, जिनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय बटागुर कचुगा भी शामिल है। गंगा नदी प्रणाली के भीतर, 11 ऑर्डर, 32 परिवारों और 72 जेनेरा से संबंधित 143 विभिन्न मीठे पानी की मछली प्रजातियों की सूचना दी गई है, जिनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय गंगा शार्क (ग्लाइफिस गैंगेटिकस), गैंगेटिक स्टिंग्रे (हिमांतुरा फ्लुवियाटिलिस), गोल्डन महसीर (टोर पुतिटोरा) और हिल्सा (तेनुअलोसा इलिशा) शामिल हैं। सिन्हा (1999). गंगा बेसिन का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी भाग में पड़ता है। यह दुनिया के सबसे अधिक खेती वाले और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें एक लाख से अधिक आर्द्रभूमियाँ और दो रामसर स्थल हैं। आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, वे वर्षा जल को संग्रहीत करते हैं और भूजल स्तर को रिचार्ज करते

हैं और बाढ़ की स्थिति को भी नियंत्रित करते हैं क्योंकि वे पानी को बनाए रखने के लिए स्पंज के रूप में कार्य करते हैं। विश्व की 1 अरब से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्द्रभूमि पर निर्भर है। (निक्सन 2007)। भारत में 4 राज्य गंगा के मैदानों का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। कुल भूमि सतह 3,54,848 किमी² है जिसमें से गंगा के मैदानों का संरक्षित क्षेत्र 10.8% है। कुछ महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (जोन्स 1982) हैं।

गांगेय डॉल्फिन (प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका) :-

गंगा नदी डॉल्फिन एक शर्मीले ताजे पानी का स्तनपायी है। डॉल्फिन नदी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख पत्थर प्रजाति हैं और नदी के स्वास्थ्य संकेतक भी हैं। वे अंधे हैं और अपना रास्ता ढूंढते हैं और इकोलोकेशन के माध्यम से पानी में शिकार पकड़ते हैं (चित्र 3)। वे धीमे तैराक हैं लेकिन खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी हैं क्योंकि डॉल्फिन की गर्दन अपने शिकार को पकड़ने के लिए लचीली होती है, मुख्य रूप से छोटी मछलियाँ, केकड़े, क्रस्टेशियन और कभी-कभी जल पक्षी। नदी डॉल्फिन नदी पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं और नदी प्रदूषण, नदी में कम पानी और छोटी मछलियों, मोटर नौकाओं, नेविगेशन संचालन और शिकार की घटती संख्या के कारण उनकी प्रजाति खतरे में है। स्थानीय तौर पर इन्हें यूपी में 'संस' और बिहार राज्य में 'सुसु' के नाम से जाना जाता है। भारत में गंगा और ब्रम्हपुत्र नदी प्रणाली में डॉल्फिन की अनुमानित आबादी 1200–2000 के बीच है। हर 2–3 मिनट में वे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं, डॉल्फिन साल में एक बार प्रजनन करती हैं और एक ही बछड़े को जन्म देती हैं। दुनिया में चार मीठे पानी की डॉल्फिन में से एक गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। (सिन्हा और बेहरा 2010)। प्रजाति कगार से वापस। इनके संरक्षण को सबसे अधिक महत्व देने की जरूरत है। नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इस प्रजाति की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण अवैध शिकार और घटते प्रवाह, भारी गाद, बैराजों के निर्माण के कारण निवास स्थान का क्षरण है, जो इस प्रवासी प्रजाति के लिए भौतिक बाधा उत्पन्न करता है। नदी डॉल्फिन भारत में एक लुप्तप्राय प्रजाति है और इसलिए, इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है। डॉल्फिन की रक्षा के लिए आवास संरक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए, नदी पारिस्थितिकी में डॉल्फिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। (बेहरा 1995)।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, भारत की हालिया जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में नदी खंड पर वर्ष 2018–19 में नदी डॉल्फिन की आबादी में 30–40 की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। कछुए प्राकृतिक सफाई कर्मी हैं नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में, वे मृत जानवरों और सड़ते पौधों को खाते हैं और नदी को साफ करते हैं। भारत में ताजे पानी के कछुओं की कुल 25 में से 15 प्रजातियाँ गंगा के मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। चंबल नदी, यमुना की सहायक नदी है और 8 दुर्लभ किस्म के ताजे पानी के कछुओं का घर है, जिनमें लाल छत वाले मुकुट कछुए भी शामिल हैं, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। कछुए नदी पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं और अवैध शिकार, कछुओं के अवैध व्यापार, अंडों को नुकसान, नदी तल से रेत खनन आदि के कारण खतरे में हैं। घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) सबसे बड़े (16 फीट से 22 फीट) ताजे पानी के मगरमच्छ हैं जिन्हें आमतौर पर जाना जाता है। मछली खाने वाला मगरमच्छ। इनका मुंह चोंच जैसा लम्बा होता

है और मुख्य रूप से मछली, पक्षियों और केकड़ों का शिकार करते हैं। घड़ियाल गहरी, तेज बहती नदी के पानी में रहते हैं, वे सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं और नदी के किनारे की रेत पर अंडे देते हैं। वे बास्किंग करते हैं। घड़ियाल इंसानों और बड़े जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ज्वल की रेड डेटा बुक में घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं क्योंकि खाल के लिए शिकार, निवास स्थान की हानि, नदी में कम मछलियाँ, रेत खनन के कारण अंडों को नुकसान और शिकारी पक्षियों द्वारा खाए जाने के कारण घड़ियाल की आबादी धीरे-धीरे घट रही है। घड़ियाल भी मछली पकड़ने के जाल में फंसने के कारण दम घुटने से मर गए। (ज्वल 1996)। वे भारत के लिए स्थानिक हैं क्योंकि ऐसी प्रजाति बाहर कहीं और नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कर्तनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियाल के दो प्रजनन केंद्र हैं। वे प्रमुख पत्थर प्रजाति हैं और नदी की रक्षा करते हैं। सरकार इस प्रजाति के संरक्षण को अत्यधिक महत्व दे रही है क्योंकि भारत में 300 से भी कम घड़ियाल बचे हैं। (हक 1997)।

गंगा नदी एक जीवन रेखा :-

उत्तर भारत में लाखों लोगों की जीवनरेखा की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए गंगा नदी जैव विविधता संरक्षण, खतरे और सुधारात्मक उपायमानव जनसंख्या दबाव, अनियंत्रित औद्योगीकरण और टेनरी अपशिष्टों के कारण होने वाले प्रदूषण, अनुपचारित सीवेज के निर्वहन, अनुचित कृषि पद्धतियों, अत्यधिक मछली पकड़ने और नदी संसाधनों के दोहन के कारण गंगा विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। नदी तट पर धार्मिक अनुष्ठान और भारत की राष्ट्रीय नदी की जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी। "हर कोई कहता है कि महिलाएं पानी की तरह होती हैं। मुझे लगता है। कि ऐसा इसलिए है। क्योंकि पानी जीवन का स्रोत है, और यह अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेता है। महिलाओं की तरह, पानी भी जीवन का पोषण करने के लिए जहां भी जाता है, खुद को समर्पित कर देता है..?" जिनरान, चीन की अच्छी महिलाएं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, यह बात तो अकाट्य सत्य है। पानी पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक है और पृथ्वी ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है। पृथ्वी पर, ग्रह की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। महासागरों में पृथ्वी का 96% से अधिक पानी मौजूद है, जबकि मीठे पानी के संसाधनों का विशाल बहुमत बर्फ की चोटियों, ग्लेशियरों और भूमिगत भंडारण में बंद है। हमारे ग्रह पर कुल पानी का लगभग 1% ही उपयोग योग्य तरल रूप में है, ज्यादातर नदियों, झरनों और झीलों में। नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं, जो लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को कायम रखती हैं। बढ़ता जनसंख्या दबाव, नदी संसाधनों का अत्यधिक दोहन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का पीछे हटना गंगा के लिए बड़े खतरे हैं।

भारत की सबसे लंबी नदी, जो भारत के 26% भूभाग को कवर करती है, और गंगा विलुप्त होने के कगार पर है, यह सबसे अधिक समस्याओं में से एक बन गई है विश्व में प्रदूषित नदी। गंगा का मैदानी क्षेत्र दुनिया में अत्यधिक खेती और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। हमें बेहतर रणनीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करें। लोग इतने लालची हो गए हैं कि उनमें नदी के प्रति सम्मान की भावना खत्म हो गई है। गंगा गंगा डॉल्फिन, स्मूथ-कोटेड ऊदबिलाव, घड़ियाल, कछुए, ताजे पानी की मछली और पक्षी प्रजातियों जैसे महत्वपूर्ण

जानवरों का भी घर है। (यंग 2009)। ये जानवर नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, आजकल ये नदी प्रदूषण, शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण लुप्तप्राय हो गए हैं। नदी का जीवन गंभीर खतरे में है और अन्य सरीसृप, मछली, पक्षियों और स्तनधारियों के साथ-साथ प्रमुख पत्थर प्रजाति गंगा डॉल्फिन सहित महत्वपूर्ण वनस्पतियों और जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। गंगा की डॉल्फिन नदी स्वास्थ्य संकेतक हैं, खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर हैं और भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में नामित हैं। प्लूटो की रेड डेटा बुक में डॉल्फिन लुप्तप्राय हैं। (आईयूसीएन 2001)। गंगा की डॉल्फिन नदी स्वास्थ्य संकेतक हैं, खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर हैं। और भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में नामित हैं। इस सामाजिक अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी में जैव विविधता के नुकसान के कारणों का पता लगाना और संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। गंगा की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए नदी जीवन के संरक्षण को अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। गंगा के लिए प्रमुख खतरे नगर निगम के सीवेज, मानव निर्मित अपशिष्ट निपटान और अनुपचारित औद्योगिक और टेनरी अपशिष्टों को नदी के प्रवाह में प्रवाहित करना, बांधों और बैराजों का निर्माण, नदी का अत्यधिक दोहन, नदी के किनारे अनुचित कृषि प्रथाएं, वनों की कटाई, पानी की कमी और नदी के प्रवाह में कमी है। विचलन के कारण हमारे समाज में, धार्मिक अनुष्ठानों को करने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी बस्तियों में भी संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए जन जागरूकता में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस सामाजिक अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य नदी संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है क्योंकि वे गंगा की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं को नदी संरक्षणवादी कैसे बनाया जाए? महिलाएं अच्छी संसाधन प्रबंधक होती हैं और वे प्रकृति से गहराई से जुड़ी होती हैं। इस सामाजिक अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य नदी संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है क्योंकि वे गंगा की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं को नदी संरक्षणवादी कैसे बनाया जाए? महिलाएं अच्छी संसाधन प्रबंधक होती हैं और वे प्रकृति से गहराई से जुड़ी होती हैं। इस सामाजिक अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य नदी संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है क्योंकि वे गंगा की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं को नदी संरक्षणवादी कैसे बनाया जाए? महिलाएं अच्छी संसाधन प्रबंधक होती हैं और वे प्रकृति से गहराई से जुड़ी होती हैं।

गंगा नदी की जैव विविधता :-

गंगा का अपना अमूल्य पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व है और यह गंगा के मैदानी इलाकों में लाखों लोगों के जीवन को बनाए रखती है। चूंकि वेदों में इसके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया गया है, इसलिए गंगा को दिव्य नारी की छवि के साथ माँ गंगा कहा जाता है। अधिकांश आबादी विशेषकर महिलाएं गंगा को शुभ मानती हैं और विभिन्न प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर इसकी पूजा करती हैं। इस तरह नदी किनारे की महिलाओं की अधिकांश आबादी पारिस्थितिकी, संस्कृति और आध्यात्मिकता से मजबूती से जुड़ी हुई है। लाखों लोगों के जीवन और आजीविका का स्रोत होने वाली गंगा की रक्षा करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। गंगा के संरक्षण के प्रति संवेदनशील एक जागरूक समाज बनाने के लिए, 'महिला सामुदायिक संस्थान' जागरूकता अभियान

चलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को गंगा के पारिस्थितिक महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। जल प्रशासन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नदी किनारे के समुदाय विशेषकर महिला समूह को संवेदनशील बनाना। महिलाएं समाज में उत्पादक और प्रजनन भूमिका निभाती हैं। वे एक अच्छे परिवर्तन निर्माता साबित हो सकते हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है जहां वे संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं और नदी संसाधन पर दबाव को कम करने के लिए उन्हें हरित आजीविका से जोड़ने के लिए महिला सामुदायिक संस्थान का निर्माण करते हैं (परियोजना प्रस्ताव, 2007)। नदी किनारे बसे शहरों में जागरूकता अभियान चलाना भी उतना ही जरूरी है। चूंकि महिलाएं परिवार और समाज में गंगा के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान करने वाली प्रमुख व्यक्ति हैं, उन्हें भारत में सबसे बड़ी आबादी की पवित्र आस्था की महत्वपूर्ण नदी को बचाने के लिए आसानी से शामिल किया जा सकता है। एक जागरूक समुदाय को नदी संरक्षण के लिए कानून को विनियमित करने और गंगा नदी में नगरपालिका अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों को रोकने के लिए नीति निर्माताओं और प्रशासन का नेतृत्व करना चाहिए। (सिन्हा और प्रसाद 2012)। महिला समूह को स्थानीय स्तर पर निर्मित सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से शामिल किया जाएगा और वे गंगा के संरक्षण के लिए छात्रों, युवाओं और सभी आयु वर्ग के लोगों को एकजुट करने में मदद कर सकते हैं।

महिलाओं और समाज के लिए संरक्षण शिक्षा :-

नदी पारिस्थितिकी और मानव जीवन के लिए इसके महत्व के बारे में एक जागरूक समाज बनाने के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गंगा क्षेत्र के शहरों और गांवों में रहने वाली महिला समुदाय विभिन्न माध्यमों से संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेगी। उक्त शिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए गंगा नदी पारिस्थितिकी, नदी-जीवन की स्थिरता के लिए जैव विविधता के महत्व, संरक्षण पहल और सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की साझेदारी के साथ राष्ट्रीय नदी की सुरक्षा और संरक्षण के व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में आयोजित किया जाएगा। और युवा स्वयंसेवकों की भागीदारी। गंगा के मैदानी इलाकों के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के 13 जिलों में जैव विविधता (प्रकृति बस) पर मोबाइल प्रदर्शनी के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैव विविधता बस को भारत के पर्यावरण शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। इसे 2 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और परियोजना 31 अगस्त 2016 को पूरी हुई। 2.5 लाख से अधिक छात्रों, युवाओं, समुदाय के लोगों ने जैव विविधता बस का दौरा किया और गंगा बेसिन संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सीखा। सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के समर्थन से 700 नदी किनारे के स्कूलों और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भारत की। (लेप, ए., और हॉलैंड, एस. (2006)।

गंगा के मैदानी इलाकों में संरक्षण शिक्षा के लिए काम करने वाली कुछ प्रमुख एजेंसियां डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन और नमामि गंगे परियोजना हैं। भारत सरकार। बहुसंख्यक महिला समूह को शामिल करने के लिए और प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों की मदद से नदी संरक्षण के लिए उनका संस्थागतकरण किया जाएगा। प्रारंभ में चयनित स्वयंसेवकों को नदी पारिस्थितिकी के पहलुओं पर उन्मुख किया जाएगा और वे महिलाओं के नेतृत्व वाले

संरक्षण के बारे में सक्षम होंगे और स्थानीय सीबीओ और स्थानीय नेताओं को शामिल करके अपने संबंधित क्षेत्र में एक सामुदायिक संस्थान बनाएंगे। शहरी और ग्रामीण इन महिला समूहों के बीच सीखने का कार्यक्रम चलाया जाएगा और सदस्य महिलाएं इस सीख को अपने परिवार और बड़े पैमाने पर समाज के बीच ले जाएंगी। गंगा स्वयंसेवकों को शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी और वे महिला समूह के लिए नदी संरक्षण के महत्व पर सत्र लेंगे और फिर गंगा नदी की रक्षा के लिए सामुदायिक जागरूकता में सक्रिय भागीदारी के लिए जुटेंगे। और सदस्य महिलाएं इस सीख को अपने परिवार और बड़े पैमाने पर समाज के बीच ले जाएंगी। गंगा स्वयंसेवकों को शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी और वे महिला समूह के लिए नदी संरक्षण के महत्व पर सत्र लेंगे और फिर गंगा नदी की रक्षा के लिए सामुदायिक जागरूकता में सक्रिय भागीदारी के लिए जुटेंगे।

भारत की राष्ट्रीय नदी के बारे में सीखने के कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने और सफल कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से एक ही क्षेत्र के विकासकर्ताओं और सरकार के साथ साझेदारी का भी प्रावधान है। इस प्रकार महिला समूह समाज को जागरूक करने और गंगा नदी की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए कार्य करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, और, यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से उत्प्रेरित होगी जिससे हम नदी के अनुकूल पीढ़ी का निर्माण करेंगे। भारत में सभ्यता के विकास में संस्कृति और नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएं परिवार में अग्रणी होती हैं और विशेषकर बच्चे माताओं से जीवन और उनके प्राकृतिक वातावरण के बारे में सीखते हैं। जब हम जीवन की स्थिरता के लिए अपनी नदियों के संरक्षण के महत्व के बारे में महिला समूह को सफलतापूर्वक शिक्षित करते हैं,

नदी संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी :-

महिलाएँ नदी के समान हैं और विशेष रूप से नदी के किनारे की महिला समुदाय गंगा नदी के साथ बहुत निकट संबंध में अपना जीवन जी रही हैं। ग्रामीण महिलाएँ आजीविका संबंधी कार्यों और जल प्रशासन के लिए नदी संसाधन प्रबंधन में सीधे तौर पर शामिल हैं। अन्य लोग सौंदर्य मूल्य के संबंध में जुड़े हुए हैं और इसे शुभ माँ गंगा मानते हैं। महिलाएं अच्छी संसाधन प्रबंधक होती हैं और गंगा के मैदानी इलाकों में ग्रामीण महिला समूह में छात्र, किसान, गृहिणियां, पशुपालक और मछली पकड़ने वाले समुदाय शामिल हैं। महिलाओं का किसान समूह सिंचाई के लिए नदी संसाधनों पर निर्भर रहता है, गर्मियों और सर्दियों के मौसम में नदी के तल पर लूटपाट करता है, क्योंकि नदी के किनारे की कृषि भूमि फसल की पैदावार के मामले में बहुत उपजाऊ और उत्पादक है, किसान महिलाएं गंगा नदी के साथ दैनिक संपर्क में रहती हैं। कई लोग पशुधन, नदी पालन और मछली पकड़ने के अभ्यास के लिए नियमित रूप से नदी के किनारे जाते हैं। गंगा के किनारे स्थित आर्द्रभूमियाँ जल सुरक्षा और आजीविका की दृष्टि से बहुत उत्पादक हैं और इनमें से अधिकांश आर्द्रभूमियों का प्रबंधन कई उद्देश्यों के लिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह बहुत सिद्ध तथ्य है कि ग्रामीण महिला समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी के निकट संपर्क में हैं और वे गंगा संरक्षण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नदी संरक्षणवादियों के रूप में कार्य कर सकती हैं। स्थानीय स्तर पर गठित ग्राम स्तरीय महिला

सामुदायिक संस्थाएं समुदाय को एकजुट करने, जागरूकता फैलाने, बच्चों को शिक्षित करने और मानव जीवन के लिए गंगा नदी के महत्व और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में आम लोगों को जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। नदी संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं को शामिल करने के लिए, उन्हें मनुष्यों के लिए नदी जीवन के महत्व और आध्यात्मिक और आर्थिक मूल्य वाली नदी को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर अपनी संस्था बनाने की आवश्यकता है (चित्र 5)। ग्रामीण क्षेत्रों में 'महिला सामुदायिक संस्थान' को हरित आजीविका के विकल्पों और परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को नदी के अनुकूल जीवन शैली, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी संसाधनों के बुद्धिमान उपयोग को अपनाकर नदी संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सक्षम बनाया जाएगा। वैदिक नदी का (यूएनईपी 2010)। उपरोक्त महिला सामुदायिक संस्थान स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ, युवा स्वयंसेवकों और सार्वजनिक निजी क्षेत्र को शामिल करके बनाए जाएंगे। महिला किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को नदी संसाधनों पर दबाव को कम करने और स्थायी आजीविका प्रथाओं पर सक्षम बनाने के लिए जैविक खेती प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और अच्छी स्वच्छता, खाद बनाने, बड़े पेड़ों और फलों के पेड़ों के रोपण, तालाब प्रबंधन और जल प्रशासन में संलग्न किया जाएगा।

गंगा के संरक्षण में शहरी महिला समुदाय की भागीदारी :-

शहरी महिला समुदाय में कामकाजी और गैर-कामकाजी, छात्रों और अन्य पेशेवरों के विविध समूह हैं। नदी संरक्षण के लिए शहरी महिला समूह को नेताओं के रूप में शामिल करने के लिए हमें उन्हें एकजुट करने और सक्रिय महिला स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों की मदद से सामाजिक प्रोफाइल के संबंध में 'शहरी महिला सामुदायिक संस्थान' बनाने और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के भागीदारों को भी शामिल करने के लिए एक निश्चित रणनीति की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट और सरकारी प्रशासन के कार्यस्थलों पर नदी संरक्षण पर शिक्षा कार्यक्रम। एक जागरूक महिला बड़े पैमाने पर अपने तत्काल परिवार और समाज को आसानी से प्रभावित कर सकती है (वोंगचाचोम सी. (2006)। इस प्रकार, शहरी महिलाएं शिक्षा, जागरूकता और महिला क्लबों की स्थापना, कार्य समूह और पेशेवरों के बीच मंचों की स्थापना के माध्यम से गंगा के रक्षक के रूप में भी कार्य करेंगी। गृहिणियाँ और छात्र (क्रॉस 2002)। शहरी महिला समूह स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देने, जैविक कृषि उत्पादों का उपभोग करने, नदी तटों पर टेनरियों को हतोत्साहित करने के लिए चमड़े से बनी चीजों का उपयोग बंद करने, नदी में कचरा फेंकने से रोकने और गंगा के घाटों को साफ रखने के बारे में सामुदायिक जागरूकता में भाग लेंगे। महिलाओं का ये कार्यकर्ता समूह अपने बच्चों को शिक्षित करेगा और अपने परिवार के सदस्यों को भी नदी अनुकूल जीवन शैली जीने और गंगा के संरक्षण के लिए आवाज उठाने के लिए जागरूक करेगा। जागरूकता अभियान का यह झरना बड़े पैमाने पर एकजुटता में मदद करेगा और साथ ही नीति निर्माताओं और सरकार को भारत की राष्ट्रीय नदी के संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए प्रभावित करेगा। महिलाओं का ये कार्यकर्ता समूह अपने बच्चों को शिक्षित करेगा और अपने परिवार के सदस्यों को भी नदी अनुकूल जीवन शैली जीने और गंगा के संरक्षण के लिए आवाज उठाने के लिए जागरूक करेगा। जागरूकता अभियान का यह झरना बड़े पैमाने पर एकजुटता में मदद करेगा और साथ ही नीति निर्माताओं और सरकार को भारत की राष्ट्रीय नदी के संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए प्रभावित करेगा। महिलाओं का ये कार्यकर्ता समूह अपने बच्चों को शिक्षित करेगा और

अपने परिवार के सदस्यों को भी नदी अनुकूल जीवन शैली जीने और गंगा के संरक्षण के लिए आवाज उठाने के लिए जागरूक करेगा। जागरूकता अभियान का यह झरना बड़े पैमाने पर एकजुटता में मदद करेगा और साथ ही नीति निर्माताओं और सरकार को भारत की राष्ट्रीय नदी के संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए प्रभावित करेगा।

आभार :-

मैं गंगा नदी की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसी की साझेदारी के साथ नदी संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सीईई इंडिया का आभारी हूँ। सरकार के प्रति मेरा आभार। भारत और WWF को नदी जैव विविधता संरक्षण पर उनके महान कार्य के लिए और MoEFCC को गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में नामित करने के लिए, क्योंकि नदी में पारिस्थितिक संतुलन का बहुत महत्व है।

निष्कर्ष :-

गंगा भारत में 500 मिलियन से अधिक नागरिकों के जीवन और आजीविका को बनाए रखती है। नदी-अनुकूल संवेदनशील समाज बनाने के लिए जागरूकता फैलाने और प्रदूषण की जांच करने और गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए नीति निर्माताओं का गंभीरता से ध्यान आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। हालाँकि नदी संरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो महिलाओं पर असंगत रूप से प्रभाव डालता है, हम जल संसाधनों के संरक्षण के लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि हम सभी नदी संसाधनों के खतरों के बारे में खुद को शिक्षित करने और शिक्षा और अवसरों की समानता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने में शामिल नहीं होते। नदी संरक्षण के मुद्दों के समाधान के लिए महिला समूह को संवेदनशील बनाना और जीवन की स्थिरता के लिए इसका महत्व गंगा की पारिस्थितिकी को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नदी प्रदूषण को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और नीति निर्माताओं को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नदी किनारे के समुदाय को सशक्त बनाने के लिए वनीकरण, टिकाऊ कृषि प्रथाओं और कल्याण उन्मुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देना (WCED रिपोर्ट, 1987)। संरक्षण शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन, बेहतर उपज और बढ़ी हुई आय के लिए स्मार्ट और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के संबंध में ग्रामीणों और किसान समुदाय, विशेषकर महिला समूह के बीच एक प्रभावी संवेदीकरण कार्यक्रम होना चाहिए। स्थायी आजीविका समाधानों पर ग्रामीणों को संगठित करना और प्रशिक्षण देना, मछली संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग सुनिश्चित करना और नदी के अनुकूल जीवन शैली जीना, उन्हें पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली अपनाकर प्रकृति संरक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिन्हा, आरके (1999)। भारत की गंगा नदी में जैविक विविधता के आधारभूत मूल्यांकन के लिए गंगा नदी डॉल्फिन उपकरण। अंतिम। तकनीकी रिपोर्ट संख्या 1/99. पटना विश्वविद्यालय, पटना, भारत।
2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) (2010)। हरित अर्थव्यवस्था विकासशील देशों की सफलता की कहानियाँ, यूएनईपी, जिनेवा।

3. सिन्हा, आर.के., और के. प्रसाद। (2012)। गंगा नदी की जल गुणवत्ता और जैव विविधता का प्रबंधन। दक्षिण एशिया में पारिस्थितिकी तंत्र और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में, एड. ईआरएन गुणवर्धने, बी. गोपाल, एच. कोटागामा, 104–132 पीपी. लंदन, यूकेरू रूटलेज, टेलर और फ्रांसिस ग्रुप।
4. जोन्स, एस. (1982)। गंगा के सुसु, प्लैटनिस्टा गैंगेटिका (रॉक्सबर्ग) की वर्तमान स्थिति, सिंधु सुसु, प्लैटनिस्टा माइनर ओवेन पर टिप्पणियों के साथ। समुद्री स्तनधारियों पर समुद्री संसाधन अनुसंधान कार्य दल पर एफएओ सलाहकार समिति। एफएओफिश। सेर. (5)4:97–115.
5. आईयूसीएन. (2001)। IUCN लाल सूची श्रेणियां और मानदंड : संस्करण 3.1। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग। आईयूसीएन ग्रंथि, स्विट्जरलैंड और कैम्ब्रिज, यूके।
6. आईयूसीएन. (1996)। 1996 आईयूसीएन संकटग्रस्त जानवरों की लाल सूची। IUCN, ग्लैड, स्विट्जरलैंड और कैम्ब्रिज, यूके। 448 पीपी.
7. हक, एकेएमए, एम. निशिवाकी, टी. कसुया, और टी. तोबायामा। (1997)। जूनियर, जेड काइया और एल जियानकांग के व्यवहार और अन्य जैविक पहलुओं पर अवलोकन, वॉल्यूम। 3. ग्लैड, स्विट्जरलैंडरू IUCN।
8. निकसन, आर., सी. सेनगुप्ता, पी. मित्रा, एस.एन. दवे, एके बनर्जी, ए. भट्टाचार्य, एस. बसु, एन. काकोटी, एनएस मूर्ति, एम. वासुजा, एम. कुमार, डीएस मिश्रा, ए. घोष, डीपी वैश्य, एके श्रीवास्तव, आरएम त्रिपाठी, एसएन सिंह, आर. प्रसाद, एस. भट्टाचार्य, और पी. डेवरिल। (2007)। भारत के पांच राज्यों में भूजल में आर्सेनिक के वितरण पर वर्तमान ज्ञान। पर्यावरण विज्ञान और स्वास्थ्य जर्नल—भाग ए 42: 1707–1718।

रांगेय राघव का समकालीन कथाकारों से तुलनात्मक अध्ययन

डॉ दीपाली शर्मा

सहायक आचार्य, हिन्दी, स.ध.राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर।

शोध सार :-

डॉ. रांगेय राघव ने गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों के साथ साहित्य की अनेक विधाओं में साहित्यिक रचनाएं लिख कर हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान दिया है। रांगेय जी का साहित्यिक वैशिष्ट्य उन्हें समकालीन कथाकारों से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। चाहे ऐतिहासिक उपन्यास हो अथवा साम्यवादी उपन्यास या फिर राजनीतिक या आँचलिक हर प्रकार के उपन्यासों में रांगेय जी के प्रखर व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। चाहे 'मुर्दों का टीला' हो या 'हुजूर' 'चीवर' या 'अंधेरे के जुगनू' या फिर 'सीधा सादा रास्ता' अथवा 'कब तक पुकारूँ' या फिर 'विषाद मठ' इन सभी में रांगेयजी ने यथार्थवाद ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, साम्यवाद, राजनीति, धर्म नारी चेतना आदि को उद्घाटित किया है। अपनी साहित्यिक श्रेष्ठता की दृष्टि से डॉ. रांगेय राघव राहुल सांकृत्यायन, यशपाल नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावनलाल वर्मा, उपेन्द्रनाथ अशक, भगवतीचरण वर्मा आदि से उत्कृष्ट दिखाई पड़ते हैं।

कुंजी शब्द :-

1. डिक्टेटरशिप — निरंकुश शासन।
2. नियतिवाद — प्रकृति प्रेरणा व ईश्वरेच्छा को सर्वोपरि मानने का दार्शनिक सिद्धान्त (डिक्टर मिनिज्म)
3. आँचलिकता — अंचल विशेष की भाषा, संस्कृति, रहन-सहन आदि का साहित्य में अनुकरण/प्रतिबिम्बन
4. मार्क्सवाद — आर्थिक एवं सामाजिक समानता की स्थापना।
5. यथार्थवाद — ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानने का दार्शनिक सिद्धान्त।

शोध पत्र :-

बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ रांगेय राघव ने गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में, साहित्य की विविध विधाओं में अपार साहित्य को कलमबद्ध किया। आपकी साहित्यिक विशिष्टता आपके साहित्य को समकालीन अन्य साहित्यकारों की रचनाओं से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है।

इतिहास तथ्य का समावेश डॉ रांगेय राघव ने अपने कथा साहित्य में विभिन्न स्थानों पर किया है। आपने 'मुर्दों का टीला', 'चीवर', 'अंधेरे के जुगनू' जैसे श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की है। ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम

से राघव जी ने ऐतिहासिक तथ्यों को, पाठकों को रोचक ढंग से हृदयंगम कराया है। इस दृष्टि से वृन्दावनलाल वर्मा एवं राघव जी में बहुत साम्य है। वर्मा जी का उद्देश्य भी यही है कि इतिहास अपने सही एवं यथातथ्य रूप में पाठकों के सामने आये रोचकता के साथ इतिहास का ज्ञान भी उसमें हो तथापि वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, राहुल, यशपाल आदि की दृष्टि इतिहास के उन्हीं पृष्ठों तक गई है जिनके कोने उद्भासित हैं। इतिहास तो अंधकार में रहता है परन्तु इन लोगों ने उन स्थलों को अपने साहित्यिक विषय के रूप में चुना जहां पर ज्ञान की किरणों का थोड़ा बहुत प्रवेश है। मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के इतिहास को ज्ञान की किरणें अभी तक स्पर्श भर नहीं कर सकी हैं। डॉ. राघव ने इतिहास के इन अंधेरे क्षेत्रों के खण्डहरों को अपनी प्रतिभा से प्रकाशमान किया है। 'मुर्दों का टीला' इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। स्पष्ट है अन्य समकालीन ऐतिहासिक उपन्यासकारों के सामने ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रणयन के समय कुछ सामग्री अवश्य रही परन्तु रांगेय जी के प्रागैतिहासिक काल के चित्रण में ऐसी सामग्री का सर्वथा अभाव रहा।

राहुल सांकृत्यायन के समान रांगेय जी ने विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की थी अतः विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, धर्म, विश्वासों, विचारधाराओं का ज्ञान उन्हें था। राघव जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में वैचारिक स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को स्पष्ट करने के साथ-साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। इतिहासज्ञ एवं उपन्यास दोनों वृत्तियों के समावेश के कारण राघव जी की कृतियों में इतिहास के चित्र व स्वाभाविकता में संतुलन है। 'मुर्दों का टीला' व 'अंधेरे के जुगनू' की कथा काल्पनिक है, परन्तु वातावरण ऐतिहासिक है। रांगेय राघव ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास 'मुर्दों का टीला' में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की समस्याओं का स्पर्श किया है और प्रस्तुत प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन प्राचीनता को महानता प्रदान करके किया है। राहुल सांकृत्यायन ने भी अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में गणतंत्रात्मक प्रणाली का समर्थन किया है। परन्तु इनके ऐतिहासिक उपन्यासों की ऐतिहासिकता, उनके व्यक्तिगत सिद्धान्तों के भार से नष्ट हो गई है। यशपाल, नागार्जुन, राहुल आदि ने आधुनिक मार्क्सवादी ऐतिहासिक व्याख्या को अपने उपन्यासों में समाहित किया है। यशपाल से भी अधिक यह प्रवृत्ति राहुल जी के उपन्यासों में पाई जाती है जो ऐतिहासिक यथार्थ का गला घोट देती हैं।

रांगेय राघव जी ने इतिहासकार एवं जीवनीकार दोनों की सम्मिलित भूमिका अदा करते हुए जीवनचरितात्मक उपन्यासों की सृष्टि की है। चतुरसेन शास्त्री व वृन्दावनलाल वर्मा की तरह रांगेय राघव जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास और संस्कृति का श्रम साध्य आरोपण नहीं हुआ है, जिससे आपके उपन्यासों की औपन्यासिकता सुरक्षित रही है। शास्त्री जी ने अपने उपन्यासों पर अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण का आरोपण किया है परन्तु राघव जी ने साहित्य में यथार्थवाद को जीवन की कटु से कटुतम सच्चाईयों को साहित्य में प्रदर्शित किया है। कहीं भी यथार्थ को आदर्शवाद का कृत्रिम चोला पहनाने का श्रम साध्य कार्य नहीं किया। आधुनिक जीवन की शायद ही कोई समस्या हो जो उनके यहां स्थान न पा सकी हो।

यशपाल और राहुल जी के कथा साहित्य में मार्क्सवादी जीवन दर्शन आरोपित किया गया है। परन्तु राघव जी की दृष्टिवाद निरपेक्ष एवं तटस्थ है। अनेक विचारधाराओं के लेने योग्य का, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकन कर उसे अपने साहित्य में समावेशित किया है। राघव के पात्र यशपाल व राहुल की तरह कहीं भी लेखक के स्वर को प्रचारात्मक स्वर प्रदान नहीं करते बल्कि उनके पात्रों का जीवनक्रम इस प्रकार प्रवाहित होता

चलता है कि उनकी समग्र प्रभावान्विति से उपन्यास का सम्पूर्ण दृष्टिकोण व्यंजित हो उठता है। इसके लिए राघव जी ने पात्रों को व्यक्तित्व की स्वतंत्रता प्रदान की। आपने समकालीन कथाकारों की तरह राजनीति को कथा साहित्य में अतिशय प्रश्रय नहीं दिया है यशपाल, राहुल, नागार्जुन आदि साहित्यकारों की भांति रांगेय जी भी साम्यवाद से प्रभावित हैं। आपके 'सीधा सादा रास्ता', 'हुजूर' आदि उपन्यासों एवं कई कहानियों से साम्यवादी भावना की पुष्टि भी होती है तथापि आपकी वाद निरपेक्षता का ही परिणाम है कि आप 'डिक्टेटरशिप' की उदात्त समाज सापेक्ष धारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—“डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप दो तरह की होती है। एक व्यक्ति का स्वेच्छाचरण, जो किसी शोषक वर्ग के स्वार्थ के लिए होता है। निरंकुश शासन! दूसरा समाज का पूर्ण अधिकारों से भरा वह शासन जो वर्गों को समाप्त करने में लगता है। यह दूसरा तरीका हो तो क्या हर्ज है? मेहनतकशों का राज।”³

यशपाल, राहुल, उपेन्द्रनाथ अशक आदि के यहां प्रेम का स्वरूप भौतिक व वासनात्मक है। राघव जी के प्रेम का स्वरूप उदात्त है यौन सम्बन्धी व्यवहार का अनावृत व अश्लील चित्रण आपके यहां नहीं मिलता। 'कब तक पुकारूँ' में नटों के सैक्स जीवन की विस्तृत जानकारी होते हुए भी यह वर्णन कहीं अश्लीलता की सीमा को छूता नहीं दिखाई देता। वहां मर्यादा है, उन्मुक्तता का अभाव है। 'घरोंदे' की वेश्या 'नादानी' भी जो परिस्थितिवश वेश्या जीवन जीने को मजबूर हुई है। वह भी एक पुरुष को पति रूप में स्वीकार कर उसके साथ पवित्र गृहस्थ जीवन बिताना चाहती है। आप सभी रचनाकारों के समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। अतः स्वातंत्र्योत्तरकालीन परिस्थितियों एवं संघर्षों का चित्रण आप सभी के कथा साहित्य में दिखाई देता है। नारी शिक्षा, समता व अधिकारों की प्रति जागृति जगाने की चेष्टा यशपाल, रांगेय राघव आदि ने की।

रांगेय राघव का 'विषादमठ' व अमृतलाल नागर का 'महाकाल' उपन्यास यथार्थ घटना के आधार पर रिपोर्ताज शैली में लिखे गये हैं। दोनों का उद्देश्य बंगाल के अकाल का वास्तविक परन्तु रोमांचकारी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना है। इन दोनों ने ही अकाल के समय होने वाली मौतों के लिए पूंजीपति वर्ग की स्वार्थवृत्ति को जिम्मेदार माना है। स्वातंत्र्योत्तर कालीन विकृत परिस्थितियों का चित्रण अमृतलाल नागर जी के 'बूंद और 'समुद्र' में हुआ है। उपेन्द्रनाथ अशक के उपन्यास 'बड़ी-बड़ी आंखें' में राजनेताओं के व्यक्तित्व का दोहरापन देखा जा सकता है। राघव के 'आखिरी आवाज', 'राई और पर्वत', 'दायरे' आदि में विस्तारपूर्वक प्रशासन के निम्न कर्मचारी से लेकर ऊपरी अधिकारी एवं नेताओं की मिलीभगत से होने वाले भ्रष्टाचारों का यथार्थपरक उद्घाटन हुआ है। आर्थिक स्वातंत्र्य, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, युवा आक्रोश, साम्प्रदायिकता आदि विभिन्न समस्याओं को सभी रचनाकारों ने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है।

रांगेय राघव के समकालीन उपन्यासकारों ने जहां क्षेत्र विशेष पर अपना अधिकार दिखा श्रेष्ठता घोषित की। वहां राघव जी की प्रतिभा गद्य एवं पद्य की सभी विधाओं में अनेकोन्मुखी थी। यथा नागार्जुन की लेखनी केवल उपन्यास व कविता के क्षेत्र में चली जबकि रेणु तो केवल आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ही जाने जाते हैं। अनेकोन्मुखी प्रतिभा के रूप में केवल 'उपेन्द्रनाथ अशक' ही रांगेय राघव जी को टक्कर देते दिखाई देते हैं। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों की भूमि 'मिथिला' को चुना। जबकि रांगेय राघव जी ने 'वैर' के अतिरिक्त 'मथुरा' के पण्डों की जीवनशैली व लोक-संस्कृति का सम्पूर्ण चित्रण किया। फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आंचल' (1954) से पूर्व रांगेय राघव के 'कब तक पुकारूँ' की रचना हो चुकी थी पर इसका प्रकाशन बाद में '1958' में हुआ।

आपका 'काका' भी जिसका प्रकाशन काल 1953 है, 'मैला आंचल' से पूर्व लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। इस दृष्टि से रांगेय राघव प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कहलाने की दावेदारी प्रस्तुत करते हैं।

फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने उपन्यासों में लोक संस्कृति के वर्णन को जितना विस्तार दिया है उतना रांगेय जी ने नहीं दिया। रांगेय जी के उपन्यासों की विशिष्टता उनके 'गद्यगीत' है। जिनका समावेश रांगेय जी ने अपने उपन्यासों में स्थान-स्थान पर किया है। ठेठ गवई शब्दों का प्रयोग, भाषा में लोकोच्चारणों व स्थानीय व देशज शब्दों की बहुलता ने नागार्जुन व फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों को खड़ी बोली हिन्दी भाषी लोगों के लिए जटिल बना दिया है। लेकिन रांगेय राघव जी की भाषा का क्षेत्र कथा साहित्य में आंचलिकता तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बहुविध रचना लेखन कार्य किया है। यथार्थवाद, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, साम्यवाद, राजनीति, धर्म, नारी चेतना आदि से भी आपका साहित्य सम्बद्ध है। उपन्यास की एक नवीन शैली जीवनचरितात्मक उपन्यास की नवीन श्रृंखला भी राघव जी ने प्रारम्भ की।

नवीन शिल्प का चयन व नवीन पात्रों का चयन करने में जो मौलिकता नागार्जुन ने दिखाई है वही रांगेय जी के यहां भी मिलती है। यथा दोनों ने मानवोत्तर प्राणियों को प्रमुख पात्र के रूप में लेकर उपन्यास लिखे हैं। नागार्जुन के 'बाबा बटेसर' में 'बूढ़ा बरगद' गांव की पीढ़ी दर पीढ़ी व्यथा कथा को सुनाता है। वहीं राघव जी के 'हुजूर' उपन्यास में कुत्ता 'जैक' बीस वर्षीय जीवनकाल में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के यहां रहकर उनके जीवन-स्तर का यथार्थ वर्णन कर शोषित वर्गों के प्रति करुणा उभारता है। दोनों ने युग की प्रत्येक समस्या को उभारा है। वर्ग संघर्ष का चित्रण कर पूंजीपति वर्ग के प्रति सर्वहारा वर्ग के विद्रोह को उभारा है। विधवा समस्या का समाधान पुनर्विवाह में ढूंढकर रांगेय जी ने समाज को नवीन दृष्टि प्रदान की है अपने 'काका' उपन्यास में। नागार्जुन तीक्ष्ण व श्रेष्ठ व्यंग्य के कारण जाने जाते हैं। व्यंग्य की तीक्ष्णता रांगेय जी के यहां कुछ पीछे छूटती हुई दिखाई देती है।

अमृतलाल नागर, नागार्जुन, रांगेय राघव जी का दृष्टिकोण जीवन के प्रति आस्थावादी है। आपने जीवन के प्रति आशा व श्रमरत रहने की प्रेरणा साहित्य में प्रदान की है। भगवतीचरण वर्मा जी जहां 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' उपन्यास में, साम्यवाद, सामंतवाद, क्रान्तिकारी दल, कांग्रेस आदि के द्वारा चुने गए रास्तों को टेढ़ा मेढ़ा सिद्ध कर देते हैं और निराशावादी भावों का पाठकों में संचार करते हैं। वहां रांगेय राघव द्वारा लिखे गये 'सीधा सादा रास्ता' में इन सभी मार्गों को ठीक बताया है क्योंकि इन सभी मार्गों पर चलकर ही आगे देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वर्मा जी के 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' के पात्रों की वैयक्तिक कमजोरी ही उनकी असफलता का कारण थी। भगवती चरण वर्मा जी का दृष्टिकोण नियतिवादी है वे व्यक्तिवादी कथाकार हैं जबकि रांगेय राघव सामाजिक यथार्थवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं अतः राघव जी का दर्शन भगवती जी के जीवनदर्शन के बिल्कुल उल्टा है। वर्मा जी के पात्र असफलता के द्वार पर खड़े निराश त्रस्त हताश हैं वहीं राघव जी के पात्रों का दृष्टिकोण भविष्य के प्रति आशावान है।

भगवतीचरण वर्मा का ध्येय कथा साहित्य के माध्यम से मनोरंजन की सृष्टि करना है। कथा तत्त्व उनके साहित्य का प्रमुख आकर्षण है। दर्शन और राष्ट्रीय ज्ञान आपके यहां नहीं बिखरा है। वहां राघव जी ने अपने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति स्थान-स्थान पर की है।

धार्मिक क्षेत्र में फैले व्यभिचार व आडम्बरों का उद्घाटन नागार्जुन व राघव दोनों ने किया है। राघव ने

‘काका’ में वर्णित ‘पानी वाले महाराज’ एवं ‘वन महाराज’ का वास्तविक रूप जेल से भाग छूटे अपराधियों के रूप में उद्घाटित कर पाठकों को ऐसे ढोंगियों की वास्तविकता का दिग्दर्शन कराया है।

निष्कर्षतः सभी समकालीन साहित्यकारों की साहित्यिक विशिष्टताओं को यदि समग्र रूप से किसी एक साहित्यकार में देखा जा सकता है तो वह है रांगेय राघव। अल्पायु में असीम वेग से, उत्कृष्ट एवं विविधोन्मुखी अपार व श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर निश्चित रूप से रांगेय राघव अपने समकालीन कथाकारों में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हैं।

संदर्भ :-

1. आलोचना : नलिन विलोचन शर्मा, इतिहास अंक, पृ. 118
2. चित्रलेखा – भगवतीचरण वर्मा, संस्करण 1934, पृ. 12
3. सीधा सादा रास्ता – डॉ रांगेय राघव – 1951, पृ. 328
4. मुर्दों का टीला – रांगेय राघव।
5. टेढ़े मेढ़े रास्ते – भगवतीचरण वर्मा।
6. मैला आँचल – फणीश्वरनाथ रेणु।
7. कब तक पुकारूँ – रांगेय राघव।
8. बाबा बटेसरनाथ – नागार्जुन।
9. वेद और समुद्र – अमृतलाल नागर।
10. बड़ी-बड़ी आँखें – उपेन्द्रनाथ अशक।

Dr. Deepali Sharma
Assistant Professor, Hindi
Plot 580/11 Khanpura Road, Subhash Nagar, Ajmer
Pin Code 3050001
Mail ID: drrajeshsharma99157@gmail.com

समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका

दीपशिखा

विद्यार्थी कक्षा-६ सत्र बी.एस.सी., सी जे पी

रेवा प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, सह लेखिका,

हिंदी विभागाध्याक्षा, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कॉलेज, हेब्बागोडी।

सारांश :-

भारत के सांस्कृतिक प्रवाह को समझना इसके शैक्षिक इतिहास को समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा और समाज के बीच हमेशा एक संबंध रहा है। महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर की मान्यताएं आज भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर लागू होती हैं। गांधी ने प्सर्वोदयी समाज के अपने विचार में शिक्षा को महत्व दिया, जबकि डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जबकि 2011 की जनगणना से पता चला कि अभी भी हमारे राष्ट्र के एक चौथाई से अधिक भारतीय आबादी पढ़ने या लिखने में असमर्थ है, जो चिंता का विषय है क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हमारी महात्वाकांक्षाएँ इससे ज्यादा की मांग करती हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में हमारा समाज एक अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर दिखाई देता है। बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के साथ हमारे देश को नई समस्याओं का सामना करना है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए, हमें ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होगी जो समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में योगदान कर सके शिक्षा समाज के लोगो को इस योग्य बनाती है कि वह लोग समाज में व्याप्त समस्याओं, कुरीतियों गलत परम्पराओं के प्रति सचेत होकर उसकी आलोचना करते हैं, और धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन होता जाता है।

शिक्षा समाज के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हुये उसमें प्रगति का आधार बनाती है। शिक्षा समाज का स्वरूप बदलकर उस पर नियंत्रण भी करती है। अभिप्रायः यह है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण एवं उसके क्रियाकलाप समाज को गतिशील रखते हैं शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन कर समूह मन का निर्माण करती है और इससे अत्यवस्था दूर कर उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है व्यक्ति सुनहरे जीवन के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है, जब उसके पास शिक्षा रूपी अमोघ अस्त्र होगा इसके द्वारा ही व्यक्ति समाज को सही राह दिखा सकता है और अपने राष्ट्र को आर्थिक और सुदृढ़ रूप से एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है।

व्यक्तित्व के विकास से तात्पर्य शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक और बौद्धिक गुणों के विकास के साथ सामाजिक गुणों का विकास होना। विकसित व्यक्तित्व का बाहुल्य समाज की प्रगति का आधार बनता है। इसीलिए

शिक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। एक अच्छे समाज के लिए हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है और ये हम तभी सही मायने में समझ सकते हैं जब हम शिक्षा को समझेंगे।

कूट शब्द :- शिक्षा, समाज, व्यक्ति, महत्वपूर्ण, योगदान, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, चुनौतियों, महिलाये, सामाजिक।

प्रस्तावना :-

हमारे देश में शिक्षा का महत्व तभी है जब हम शिक्षा को समझे और शिक्षा जैसे आभूषण की महत्वपूर्णता को समय के साथ उपयोग करें स्कूल और कॉलेज से शिक्षा मिलती है लेकिन वो तभी सही मायने में उपयोग होती है। जब हम उसको पारस्परिक जीवन में उपयोग करे शिक्षा का अर्थ सिर्फ स्कूल में मिलने वाली शिक्षा से नहीं होता है बल्कि हर वो चीज़ शिक्षा है जहां हमें थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त होता है। जिससे हम थोड़ा और दुनिया को अपने देश को समझने की छमता बढ़ाते हैं। जिससे हम देश विदेश की सभी खबरों का पता रखते हैं की आखिर हम कितने आगे बढ़ गए हैं और हम किसी भी नई जंग के लिए तैयार हैं ये हौंसले हमें हमारे ज्ञान रूपी यंत्र से प्राप्त होते हैं जो एक नई ऊँचाई की ओर ले जाता है।

उद्देश्य :-

अतीत में, माता-पिता, बुजुर्ग और पुजारी बच्चों को वे कौशल सिखाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा का उपयोग करते थे। जिनकी उन्हें वयस्कों के रूप में आवश्यकता होती है समय के साथ ये सबक व्यवहार के नैतिक कोड में परिवर्तित हो गए। अपनी संस्कृति और इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए लोग कहानी कहने या मौखिक परंपरा पर निर्भर थे भाषा के माध्यम से, लोगों ने प्रतीकों शब्दों या संकेतों का उपयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा जैसे-जैसे प्रतीक चित्रों और अक्षरों में विकसित हुए। मानव ने एक लिखित भाषा बनाई और साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। जैसे-जैसे समाजों ने बुनियादी कौशल से परे अपने ज्ञान का विस्तार करना शुरू किया, औपचारिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा का उदय हुआ समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य समाज में व्यवहार करना सीखता है। समाज के मूल्य एवं मान्यताओं को समझता है तथा उनके अनुरूप कार्य करता है और वह समाज को आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक नेतृत्व प्रदान करता है। बहुत पहले, जब कोई स्कूल या किताबें नहीं थीं, लोगों को जीवित रहने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी।

उन्हें खतरनाक जानवरों और खराब मौसम जैसी चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने खाना ढूँढ़ने घर बनाने औज़ार और हथियार बनाने जैसे काम करके ज़िंदा रहना सीखा। उन्होंने यह भी सीखा कि कैसे बात करनी है, अच्छा व्यवहार करना है और अपने धर्म का पालन करना है। बड़ों ने बच्चों को ये महत्वपूर्ण कौशल सिखाए ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें।

शिक्षा का कार्य :-

शिक्षा मजबूत कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मौलिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। वैज्ञानिक सफलताओं में उल्लेखनीय प्रगति ने मानवता को विनाशकारी विपत्तियों के अभिशाप से मुक्त किया है जिसने एक बार हमारे अस्तित्व को तबाह कर दिया था। बीमारियों के अब प्रभावी ढंग से प्रबंधन के साथ, मानव स्वास्थ्य की समग्र स्थिति एक सराहनीय वृद्धि का अनुभव कर रही है। तकनीकी प्रगति के कार्यान्वयन, शिक्षा के साथ, निर्विवाद रूप से एक अधिक परिष्कृत और सुविधाजनक जीवन शैली लाया है।

बिजली और मशीनीकरण की शुरुआत ने हमारी दैनिक जिम्मेदारियों को काफी सरल बना दिया है। चंद्रमा के लिए मानव जाति की उल्लेखनीय यात्रा और पहले के अज्ञात आकाशीय पिंडों की गहन खोज ने असाधारण संभावनाओं का खुलासा किया है। इस दिशा में, शिक्षा का क्षेत्र मानवता के अधिक अच्छे के लिए अन्य ग्रहों की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए एक मनोरम संभावना प्रस्तुत करता है।

मानवीय जीवन में शिक्षा का कार्य :-

शिक्षा ने मानव अस्तित्व के उन क्षेत्रों में हमारे दृष्टिकोण और रचनात्मकता का शानदार विस्तार किया है। जो पहले सीमित और प्रेरणाहीन थे दृष्टिकोण और कल्पना के इस गहन विस्तार ने हमें अंधविश्वास और विभिन्न सामाजिक दुविधाओं की बाधाओं से मुक्त करके मानव जाति के चरित्र को मजबूत किया है। समाज पर शिक्षा का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। नियोजित शैक्षिक प्रणाली का चुनाव समुदाय की वृद्धि और प्रगति को आकार देता है। समाज की क्षमता सीधे तौर पर स्थापित शिक्षा के स्तर से जुड़ी होती है। असाधारण शिक्षा महान गुणों, सिद्धांतों और लोकाचार को बढ़ावा देती है जिससे समाज और राष्ट्र को स्मरणीय विरासत बनाने के लिए तैयार किया जाता है। उचित शिक्षा की प्राप्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए एक अनिवार्य उत्प्रेरक के रूप में होती है। दरअसल, किसी व्यक्ति की वृद्धि और परिपक्वता उनकी शैक्षिक गतिविधियों के साथ गहन रूप से जुड़ी हुई है। यह एक स्थापित सत्य है कि एक समाज के भीतर शिक्षित व्यक्तियों का अनुपात जितना अधिक होगा, सक्षम और कुशल जनशक्ति का उतना ही अधिक भंडार होगा। जो अंततः एक पूरे राष्ट्र की उन्नति और उन्नति की ओर ले जाएगा। शिक्षा समाज के ताने-बाने पर गहरा प्रभाव डालती है। अपनाए गए शैक्षिक ढाँचे का चुनाव मौलिक रूप से सामाजिक प्रगति को आकार देता है। इसके अलावा, किसी समाज की क्षमता उसकी शैक्षिक प्रणाली की क्षमता से अटूट रूप से जुड़ी होती है। प्रतिष्ठित शिक्षा महान चरित्र का निर्माण करती है अमूल्य मूल्यों को स्थापित करती है नैतिक सिद्धांतों को मजबूत करती है और अमिट चरित्र की विरासत का निर्माण करने के लिए समाज और राष्ट्र दोनों को सुसज्जित करती है।

यह एक सुस्थापित तथ्य है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक मूलभूत शर्त है। किसी व्यक्ति की प्रगति उनके शिक्षा के स्तर से गहन रूप से जुड़ी होती है शिक्षित नागरिकों की संख्या जितनी अधिक होगी, कुशल जनशक्ति का उतना ही बड़ा पूल उपलब्ध होगा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पूरे राष्ट्र की उन्नति होगी।

शिक्षा का अधिग्रहण अनुभव का प्रवेश द्वार है ज्ञान प्राप्त करने से, एक व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस हो जाता है। इसके विपरीत, जिन लोगों में शिक्षा की कमी है, वे अपनी सीमित समझ के कारण त्रुटि के अधिक शिकार होते हैं।

इस प्रकार, शिक्षा सफलता और एक आरामदायक जीवन शैली प्राप्त करने में सर्वोपरि है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरल और सुगम बनाती है। शिक्षा का क्षेत्र उद्योग और विद्वानों के क्षेत्र के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव से धन्य लोगों को लाभकारी रोजगार के लिए आकर्षक अवसरों की प्रचुरता प्रदान की जाती है। शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है।

सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य :-

समाज के निर्माण व उन्नति के क्षेत्र में विद्यालय की महान भूमिका होती है और साथ ही नई तकनीकों से दी गई शिक्षा का भी योगदान काफी हद तक समाज में बदलाव लाता दिखाई दे रहा है। जो लोगों की जिन्दगी में उनके व्यवसाय को आगे बढ़ने में और सरकार की दी गयी स्कीम का फायदा उठाने में या फिर आयकर भरकर सही तरीके से सरकार की मदद करने में लाभदायक साबित हुआ है। आज भी हम लोग आजाद होकर भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारे मानसिक विकास और देखने के नजरिये को बदलना चाहिए जो हमें मानसिक तनाव तो देते हैं लेकिन हमारी सोचने समझने की छमता छीन लेते हैं। अगर इंसान समाज में शिक्षित नहीं है तो वो अपनी मानसिकता को उतना ही रखता है जितना वो जनता है और एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा अपने साथ साथ दूसरों की सोच तो समझने की छमता रखता है और वो व्यक्ति ज्यादा बलबान है जो हर परिस्थिति को समझ सके हर नजरिये से चाहे वो समाज की बैठक हो या फिर राजनितिक मुद्दे या फिर कोई और महत्वपूर्ण निर्णय।

हमारे डॉ. बाबा साहब आंबेडकर ने भी कहा था की मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है इसका मतलब है की बहुत ही लम्बे अरसे से समाज में लोगों की मानसिकता को बदलने की कोसिस जारी रही लेकिन अफसोस यह है कि आज भी हमारे समाज में ये सभी बातें एक गहरा विषय बना हुआ है। आज भी लोग उन्हीं सब बातों में उलझे हुए हैं जो हमें पीछे खिंचती हैं। सामाजिक परिवर्तन का विरोध होता है क्योंकि समाज में रूढ़ीवादी तत्व प्राचीनता से ही चिपटे रहना पसंद करते हैं।

शैक्षिक समस्याएं :-

स्त्रियों की शिक्षा स्वतंत्रता व समान अधिकार की भावना, स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना, यौन शोषण पर रोक, भ्रूण हत्या की समाप्ति और ऐसे अनेक सामाजिक कुरूपितियाँ हैं जिसमें परिवर्तन को आज भी समाज के कुछ तत्व स्वीकार नहीं कर पाते हैं। शिक्षा ने समाज में फैले इन कुरूपितियों के परिणाम को बताने का प्रयास किया है। लोगों के बीच चेतना जागृत करने का प्रयास किया है वहीं स्त्री शिक्षा परिवार की शिक्षा है। जिस परिवार की स्त्री शिक्षित है उस परिवार की सोच, विचार, रहन-सहन में बदलाव नजर आता है और वे परिवार अपने रूढ़ीवादी विचारों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और मानवीयता, नैतिकता और सामाजिक सहिष्णुता के आधार पर एक नए सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कार्य के महत्व को समझते हुए उसे सम्पन्न करने का प्रयास करता है। समाज की जड़ता को समाप्त करने के शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा की अतुलनीय योगदान है। इसी का परिणाम है कि आज समाज के वे परम्परागत कोढ़ जो समाज की स्वच्छ संरचना को समाप्त कर रहा था। आज उन्नमूलन की अवस्था में है।

- (1) जो व्यक्ति शिक्षा के इच्छुक है उन्हें सुविधाओं का लाभ लेने के योग्य बनाने के कार्य को संभव बनाना।
- (2) शिक्षा जैसी वास्तु को विकसित करना जोकि वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के विकास को प्रोन्नत करें और एक नए नजरिए का विकास करें।
- (3) धर्म, भाषा, जाति और वर्ग, समुदाय, तथा लिंग पर आधारित पारस्परिक सहिष्णुता का सामाजिक वातावरण के निर्माण द्वारा जिस तरह शिक्षा के द्वारा समाज का विकास होता है।

उसी प्रकार सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। समाज की स्थिति में सुधार होता है। मतलब जब

समाज की दशा बदल जाती है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। विद्यालय एक लघु समाज का ही रूप है क्योंकि यहां विभिन्न जाति धर्म को मानने वाले बच्चे एक साथ पढ़ने आते हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनमें एकता एवं प्रेम की भावना उत्पन्न हो। जिससे समाज में समानता एवं एकता की भावना बनी रहे और एक नए समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही आगे बढ़ सकें। समाज के निर्माण व उन्नति के क्षेत्र में विद्यालय की महान भूमिका होती है और साथ ही नई तकनीकों से दी गई शिक्षा का भी योगदान काफी हद तक समाज में बदलाव लाता दिखाई दे रहा है। जैसेकि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना उसके माध्यम से पढ़ना या फिर कुछ नया व्यापार के बारे में जानकारी लेना और व्यापार शुरू करना या स्मार्टफोन और लैपटॉप कंप्यूटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके शुल्क ट्रान्सफर करना या कोई अन्य काम के लिए उपयोग करना बिना शिक्षा ये सारी चीजों का लाभ उठाना असंभव है।

इसीलिए शिक्षा समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब भी व्यक्ति चाहे कुछ नया सिख सकता है। राजनीति की समझ एक अलग नजरिया देती है अपने समाज और लोगों को समझने का अच्छी एवं बुरी चीजों को जानने का समाज में नई उपयोगी चीजों का लाभ उठाने या तो फिर सरकार की किसी भी नई स्कीम या उपकरणों को सही मायने में उपयोग करने का तरीका शिक्षा हर चुनौतियों से लड़ने का साहस देती है। आज के समय में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नई तकनीकों के साथ आज हर क्षेत्र में हमारे पास कुछ नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम समय बचत के साथ नए अनुभव से भी वाकिफ होते हैं और उस ज्ञान का उपयोग हम खुद को और बेहतर बनाने एवं देश को कुछ नया देने की छमता रखते हैं जिससे हम समय बचत के साथ नए अनुभव से भी वाकिफ होते हैं।

उस ज्ञान का उपयोग हम खुद को और बेहतर बनाने एवं देश को कुछ नया देने में मदद करते हैं जैसे की शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों की खोज करना उनपे रिसर्च करना और अपना योगदान देना या फिर नए टेक्नोलॉजी के उपयोग से नई तकनीकों जैसे की पैसे का अदान प्रदान ऑनलाइन करना या फिर ऑनलाइन टिकट बुक करना। इस ऑनलाइन इंटरनेट के दौर में शिक्षा देने या लेने के बहुत से माध्यम हैं जिससे किसी भी वर्ग के लोग बिना हिचकिचाए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं ये निराशा भी है कि आज के दौर में भी हम लोग समाज की बनाई सोच के शिकार हैं। ये कोई बीमारी से कम नहीं लोग आज भी शिक्षा से ज्यादा दिखावे को महत्व देते हैं। लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं। आज भी स्त्रियों तथा लड़कियों को खुलकर आगे आने नहीं दिया जाता। उनको बहुत सही जगह पे पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं करने दी जाती जबकि सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए। शिक्षा से होने वाले लाभ तकनीकी प्रगति के कार्यान्वयन, शिक्षा के साथ, निर्विवाद रूप से एक अधिक परिष्कृत और सुविधाजनक जीवन शैली लाया है।

बिजली और मशीनीकरण की शुरुआत ने हमारी दैनिक जिम्मेदारियों को काफी सरल बना दिया है। चंद्रमा के लिए मानव जाति की उल्लेखनीय यात्रा और पहले के अज्ञात आकाशीय पिंडों की गहन खोज ने असाधारण संभावनाओं का खुलासा किया है। इस दिशा में, शिक्षा का क्षेत्र मानवता के अधिक अच्छे के लिए अन्य ग्रहों की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए एक मनोरम संभावना प्रस्तुत करता है। शिक्षा ने मानव अस्तित्व के उन क्षेत्रों में हमारे दृष्टिकोण और रचनात्मकता का शानदार विस्तार किया है जो पहले सीमित और प्रेरणाहीन

थे।

क्षेत्र सर्वेक्षण :-

क्षेत्र सर्वेक्षण करने के बाद एक चितित परिणाम सामने आया की आज भी कुछ अपंग मानसिकता से ग्रस्त लोग आज भी बस खुद ही कमाना चाहते हैं और अपने घर की स्त्रियों को घर में रखना चाहते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा या इसमें बढ़ौतरी हुई तो वापस से हमे पीछे के दौर में पहुचने में समय नहीं लगेगा। हमारे सर्वे करने का मतलब था कि क्या आज भी लोग उसी मानसिकता के साथ है। वो बराबर का दर्जा नहीं दे सकते या फिर ये बीते हुए समय का एक सच है कुछ मजदूरों एवं कुछ स्कूल बारहवीं पढ़े हुए लोग जिन्होंने शिक्षा तो ली लेकिन सिर्फ नाम की जिससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा और कुछ उच्च शिक्षा लिए हुए लोग जिन्होंने शिक्षा का सही उपयोग किया इन सबसे एक सवाल किया गया कि क्या आपकी पत्नी काम करना चाहे तो क्या आप उन्हें काम करने देंगे तो इस सवाल के परिणाम बहुत ही चौकाने वाले आये जिन्होंने बस थोड़ा पढ़ा और नहीं भी पढ़ा वो मजदूर हैं फिर भी उनका कहना था की वो और उनके घर की महिलाये काम करती हैं जिससे उनका गुजारा होता है और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजते हैं क्योंकि उनका बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छा काम कर सके। वही कुछ नाम के पढ़े हुए लोगों का मानना है कि उनके घर की औरते काम नहीं करेंगी क्योंकि वो खुद कमा सकते हैं। इसलिए महिलाओ को घर में रहना चाहिए और जब पुरुष कमाने लायक ना हो तभी महिलाओं को काम करना चाहिए इस मानसिकता के लोग कभी भी बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते। उनका मानना है कि महिलाओं को घर में होना चाहिए लेकिन क्यों ये सवाल आज भी है और आगे भी होगा अगर शिक्षा के महत्व को नहीं समझा गया। लोगों को ज्ञान का सही उपयोग करना सीखना चाहिए जिसकी जड़ आपके मस्तिक से होते हुए जाती है। वही कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई भी फर्क नहीं मानते वो खुद की मर्जी है अगर महिलाये काम करना चाहे तो वो कर सकती है।

सवाल : क्या आपकी पत्नी काम करना चाहे तो क्या आप उन्हें काम करने देंगे?

सर्वे के आकड़े के अनुसार जो ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं उनमें से ७० प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि सभी को शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए और काम करना चाहिए। चाहे वो आदमी हो या फिर महिलाये वही आकड़ों के मुताबिक ५० प्रतिशत बिना पढ़े हुए लोगों का मानना है कि महिलायें तथा पुरुष दोनों ही काम करते हैं जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और अपना गुजारा कर सके। वही स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त किये हुए लोगों का अकड़ा सिर्फ ३० प्रतिशत है। यह आकड़ो से ये भी पता लगता है कि घर का माहौल तथा व्यक्ति के सोचने का तरीका भी एक पहलु है शिक्षा के महत्व को समझने के लिए।

निष्कर्ष :-

आज भी लोगों को दिक्कत है महिलाओं के बहार काम करने से उनका कहना है कि जब वो है तो महिलाये क्यों काम करे जबकि हर व्यक्ति को काम करना चाहिए उसको शिक्षित होना चाहिए।

हमारे डॉ. बाबा साहब आंबेडकर ने भी कहा था कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है।

इसका मतलब है कि बहुत ही लम्बे अरसे से समाज में लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश जारी रही लेकिन अफसोस यह है कि आज भी हमारे समाज में ये सभी बातें एक गहरा विषय बना हुआ है। आज

भी लोग उन्ही सब बातों में उलझे हुए हैं जो हमें पीछे खिंचती हैं।

वहीं समाज को देखते हुए गरीब मजदूर खुद काम करते हैं और उनकी महिलाएं भी क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमा सके और अपनी जरूरत की चीजों को पूर्ण कर सकें।

पढ़े लोगों में और अनपढ़ लोगों में यही फर्क है कि वो किसी दूसरे के नजरिये को कभी समझ नहीं पाते और झूठी धारणाएँ बनाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते जबकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति खुद को भी समझता है और समाज को भी और दूसरे लोगों के नजरिये को भी जो की शिक्षा से ही संभव है।

हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए जिनके घर में जो भी अशिक्षित हैं। उनको शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो एक अच्छे समाज का हिस्सा बन सकें।

संदर्भ :-

1. <https://www.historyjournal.net/article/146/4&2&3&765.pdf>
2. Sabse pahele Bharath a book review <https://uou.ac.in/sites/default/files/slm.BAED&101.pdf>
3. <https://ijsrset.com/paper/5654.pdf>
4. <http://www.parentsassembly.com/purpose&of&education&in&society/>
5. <https://www.hindivibhag.com>
6. <https://www.yourarticlelibrary.com/education/role&of&education&in&society/76836>

हिंदी नवजागरण पत्रकारिता का योगदान

युगल किशोर

Kartik Mohan Dogra, 164, Pocket 14, Sector-20 Rohini, Delhi-110086

हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में एक सप्ताहिक समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' को प्रकाशन का आकांक्षी होकर, मैं आपकी अनुमति से मजिस्ट्रेट के सम्मुख अपने और मुन्न ठाकुर द्वारा परिपुष्ट अपेक्षित शपथ पत्र प्रेरित करना एवं उसके लिए सरकारी स्वीकृति का अनुरोध करता हूँ।

इस पत्र से हिंदी पत्रकारिता एवं उस के माध्यम से नवजागरण की प्रक्रिया का आरंभ मानना गलत ना होगा। उदंत मार्तण्ड कोलकाता से हिंदी भाषा का प्रथम अखबार था। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसने भारतेंदु युग की पत्रकारिता की पृष्ठभूमि तैयार की इस बात का पता इसके प्रथम पृष्ठ पर छापे श्लोक से पता चलता है :-

‘दिवाकांत कांति विनाध्यान्तं/न चाप्रोति तवज्जगत्यज्ञ लोकः।

/समाचार सेवामृते ज्ञत्वमापुं/न शक्नोति तस्मात् करोमीति यत्न।’²

अर्थात् – ‘सूर्य के प्रकाश के बिना जिस प्रकार अंधेरा नहीं मिटता। इसी प्रकार समाचार-सेवा को अमृतपान किए बिना अज्ञान जानकार नहीं बन सकता। इस निमित्त मैं भी (समाचार-पत्र प्रकाशन का) प्रयत्न कर रहा हूँ।’³

उत्तल मार्तण्ड का मतलब समाचार सूर्य होता है पुण्य सूर्य समाज और राष्ट्र के जीवन से अंधेरा मिटाने के लिए नवजागरण की प्रथम बेला में उदित होता है। आगे के पत्रकारिता के लिए पृष्ठभूमि का अर्जन करता है। इस पृष्ठभूमि को बंद दूध और दर्शन जैसे समाचार पत्रों ने और मजबूती प्रदान की का बिगुल हिंदी समाज में बनारस अखबार से हुआ जनवरी 1843 में इसकी शुरुआत हुई। राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद द्वारा और इसका संपादन पंडित गोविंद रघुनाथ थे ने किया इस अखबार का आदर्श वाक्य था :

बनारस अखबार यह शिवप्रसाद आधार, /बुद्धि विवेक जन निपुन को चित हित बारम्बार।

/गिरिजापति नगरी जहाँ गंग अमल जलधार, /नेति शुभाशुभ मुकुट को लखो विचार विचार।⁴

यह एक नवीन चेतना को जगाने का प्रयास तो कर रहा था परंतु इसकी भाषा फारसी और उर्दू के शब्द अधिक होने के कारण एक जनता से दूरी बनाए रखी थी इसका एक नमूना देखते हैं।

यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाण कमान किट साहब बार के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है। अब वह महान एक आलीशान बच्चे का निशान न्ययार हर चार तरफ से हो गया बल्कि इसके नक्शे का बयान पहिले मुन्दर्ज है, सो परमेश्वर के दया से साहब

बहादुर ने बड़ी तन्देही मुस्तैदी से बहुत बहतर और माकूल बनवाया है। देखकर लोग उस पाठशाला के किले के मकानों की खुबियाँ अक्सर बयान करते हैं। और उसके बनने के खर्च का तजबीज करते हैं कि जपा से ज्यादा लगा होगा और हर तरफ के लायक तारीफ के है सो यह सब दानाई साहब ममदूह की है। खर्च से दूना लगावट में मालूम होता है।⁵

इस भाषा को जनता के लिए सरल बनाना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नवजागरण और अपनी पत्रकारिता के द्वारा संपूर्ण किया किया। इस निबंध में हम भारतीय इंदु युग की पत्रकारिता के योगदान को समझते हैं इसके तीन मुख्य योगदान है पहला चेतना का विकास दूसरा गद्दे का विकास और अंतिम पत्रकारिता में विचारों की नीव चेतना का विकास।

उनके अनुसार हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं ये है :— सामलवायविरोधी सोर साम्राज्यवायविरोधी ता इतिहास और परंपरा का नया मूल्यांकन रुढ़ीवाद का विरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, मोरली हिंदी का जतिग भाषा ने कममें विकास आधुनिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण का विकास, शानिक चेतना का प्रसार, साहित्य में शक्तिवाद का विरोध, बरनुवादी चितन बा विनाय स्वादितावादी और यमार्य— बादी रचना प्रवृत्तियों का विकास आदि। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण और उसको साहित्य की विशेषताओं का जो विश्लेषण किया है उसमें भारतीय नवजागरण से हिंदी जागरण की भिन्नता पर जितना ध्यान है उतना एकता पर नाही है।⁶

साहित्य विशेषताओं को हम पत्रकारिता में भी देखते हैं इन सब से एक आधुनिक चेतना का विकास होता दिखता है सब तरह की राष्ट्रीय चेतना का विकास कर रहे थे।

हम हैं इसके मालिक, / हिन्दुस्तान हमारा पाक वतन है कौम का, / जन्नत से भी प्यारा ये है हमारी मिलिकयत, / हिन्दुस्तान हमारा इसकी सहामियत से, / रोशन है जग सारा कितना कदीम, / कितना नहंम, / सब दुनिया से न्यारा करती है जरखेज जिसे, / गंगोजमन की थारा। / ऊपर बर्फीला पर्वत, / पहरेंदार हमारा नीचे साहिल पर बजता, / सागर का नकारा इसकी खाने उगल रही, / सोना हीरा पारा इसकी शानोशौकत का दुनिया में / जय नारा आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा लूटा दोनों हाथों से / प्यारा वतन हमारा आज शहीदो ने तुमको, / अहले वतन ललकारा तोड़ो गुलामी की जंजीरे, / बरसाओ अंगारा। / हिन्दू मुसलमां सिख हमारा भाई— / भाई प्याराये आजादी का झंडा, / इसे सलाम हमारा।⁷

पया में आजादी में 1857 की क्रांति के समय यह गीत छपा था जो अंग्रेजी सरकार पर और भारतीय जनता के हृदय में अपना स्थान बनाता है। इसी अखबार में 1857 की क्रांति में लोगों को दिल्ली में स्वागत किया इस प्रकार किया कहीं ना कहीं इस चेतना का विकास था कि हम सब एक राष्ट्र के वासी हैं।

‘बरेली और मुरादाबाद की सैनिक पलटनों के सेनापतियों का दिली क सेना की ओर से हार्दिक स्वागत। भाईयों! दिशी में फिरंगियों के साथ आजादी की जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने उन्हें पहली शिकस्त दी है, उससे वे इतना घबड़ा गए हैं जितना कि पहले ऐसी दस शिकस्तों से भी न घबराते। बेशुमार हिन्दुस्तानी बहादुरी के साथ दिली में आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर आपका आना लाजिमी है। आप अगर वहाँ खाना खा रहे हो तो हाथ यहाँ आकर धोयें। हमारा बादशाह आपका इस्तकबाल करेगा। हमारे कान इस तरह आपकी ओर लगे हैं जिस तरह रोजेदारों के कान मस्जिद की अजान की तरफ लगे रहते हैं। हम आपकी आवाज सुनने

के लिए बताव है हमारी आँखें आपके दीदार की प्यासी हैं। बिना आपकी आगद के गुलाब के पौधे में फूल नहीं खिल सकते।⁸

स्वदेशी एक ऐसा बिंदु था जो अंग्रेज को यह दिखाता था कि हम सशक्त हैं और भारतीय अंदूक ने कवि वचन सुधा के माध्यम से लोगों का आवाहन इस प्रकार किसी की यह बीम चेतना बन जाने पर मजबूर हो जाए। हम लोग परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिख है कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे और कपड़ा पहिले से मोल ले चुके हैं और आज की मिति तका हमारे पास है उनक जीर्ण हो जाने तक काम में लायेंगे परनवीन मोल सेका किसी का भी विलायती कपड़ा न पहिनेंगे। हिन्दुस्तान का ही बना कपड़ा पहिन। हमें आशा रखते हैं कि हमको बहुत ही क्या प्रायः रूख लोग स्वीकार करें और अपना नाम इस श्रेणी में होने के लिए श्रीयुत वायू हरिश्चन्द्र की अपनी मनीषा प्रकाशित करेंगे और सब्य देश हितैषी स उपाय की वृद्धि में अवश्य उद्योग करेंगे।⁹

राष्ट्रवादी चेतना के अलावा इस पत्रकारिता ने रूढ़िवादी विचारधारा पर वीरवार किया तो नारी पुरुष एकता की बात निकल कर सामने आई जो इस प्रकार थी :-

3 नवम्बर 1873 के अंक में 'स्त्री-शिक्षा' नाम के लेख में कहा गया है, 'यह बात तो सिद्ध है कि पश्चिमोत्तर देश की कदापि उन्नति नहीं होगी जब तक कि यहाँ की स्त्रियों की भी शिक्षा न होगी : क्योंकि यदि पुरुष विद्वान और पंडित होंगे और उनकी स्त्रियाँ मूर्ख होंगी तो उनमें आपस में कभी स्नेह न होगी और नित्य कलह ही होगा।'¹⁰

इसी कड़ी में भारतीय हिंदू ने स्त्री शिक्षा के लिए एक लेख कवि वचन सुधा में लिखा और उसके कुछ समय बाद बाला बोधिनी नाम से एक पत्रिका निकाली जो महिलाओं के लिए केले थी इसकी भाषा और कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र मैगजीन की भाषा में काफी अंतर होता था विषयों में घरेलू खर्च बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग-अलग विषय भी होते थे जो हरिश्चंद्र मैगजीन या सुधा में नहीं मिलते थे।

साथ-साथ अलग-अलग विषयों पर यह बात स्पष्ट होती रही रहती थी कि विज्ञान समाजशास्त्र आदि विषयों पर इन पत्र-पत्रिकाओं में लेख छपते रहते थे जिससे आधुनिक चेतना का विकास होता रहता था सिर्फ साहित्य तक यह पत्रिकाएं या पत्र सीमित नहीं थे यह एक आधुनिक चेतना के विकास पर अग्रसर थे जिनमें यह सफल भी हुए।

पत्रकारिता की नींव :-

'अखबार के प्रकाशन से मेरा अभिप्राय न तो व्यक्तियों की ओर न अपने मित्रों की प्रशंसा करना और न मुझे यश और की अभिलाषा है। इस पत्र के प्रकाशन से मेरा अभिप्राय यह है कि जनता के ऐसी बातें प्रस्तुत की जाएँ जिनसे उनके अनुभव में वृद्धि हो, सामाजिक प्रगति सरकार को जनता की स्थिति मालूम रहे और जनता को सरकार के कामकाज और नियम-कानूनों की जानकारी मिलती रहे।'¹¹

21 अगस्त 18 सो 74 की कवि वचन सुधा में सच बात बोलो नाम का एक व्यंग्य लेख छपा है। इससे सत्य के लिए लड़ने वाले पत्रकारों की दशा पर प्रकाश पड़ता है। भारतेन्दु कहते हैं, 'देखो सच बोलने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी इससे सच मत बोलो एक माँ बेटे से सदा सच बोलने को कहै तब एक दिन बेटे ते कहा कि माँ तुम तो रोड ही सिंगार किसके वास्ते करती हो इस पर उसकी माँ ने लड़के को घर से निकाल दिया।'¹²

२७ अप्रैल १८७४ मी 'कविववन बुधा में एका हास्य रसपूर्ण निबन्ध छना। किसका वात कौन है?' भारतेन्दु ईश्वर से लेकर हाकिमी तक के शबु लोजते हुए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी रवि पर इस तरह प्रकाश डालते हैं 'ईश्वर की शक्ति उसकी इच्छा है जिसके बस में होकर उसने यह सब संसार का रखेड़ा किया, मात्मा का शत्रु संसार है जिसमें फंसकार यह फिर अपने ठिकाने तक नहीं पहुँचती राजा का शत्रु भोग है, जोगी की इच्छा है, अमीरों के शबु सिफारिशी हैं, हाकिमों के शत्रु दरबारी हैं, कारगुडारों के सत्तू असवार वाले हैं, पंडितों की शत्रु दक्षिणा है जिसके पीछे वे ईमान सो देते हैं।' ¹³

"वाह रे बस्ती जल मारने को बस्ती है अगर बस्ती इसी को कहते हैं तो उजाड़ किसको कहेंगे सारी बस्ती में कोई भी पंडित बस्तीराम जो ऐसा पंडित नहीं खैर अब तो 1 दिन यहां बरसात होगी" ¹⁴

"खेल लाचार होकर चने पर गुजर गुर्जर की गुजर गई गुजरान क्या झोपड़ी का मैदान" ¹⁵

1878 अंग्रेजी सरकार द्वारा एक आप लाया गया जो इस प्रकार था।

"भारतीय छापाखना अधिनियम मुँह बंद करनेवाला अधिनियम था जिससे लार्ड लिटन ने भारतीय समाचारपत्रों की बढ़ती हुई हिंसा-भवाना को दबाना चाहा इस अधिनियम के द्वारा मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वह प्रान्तीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के आधार पर मुद्रक और प्रकाशक को जमानत जमा करते की आज्ञा दे तथा प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त कर ले कि वह ऐसी बातों का प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो या समाज में वैमनस्य फैला। अवांछनीय सामग्री को जब्त करते का भी अधिकार दिया गया जिसकी भारतीयों ने तीव्र भर्त्सना की। सबसे कष्ट की बात तो यह थी कि इस अधिनियम से अंग्रेजी समाचारपत्रों को मुक्त रखा गया" ¹⁶

इस पर हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट जी ने मई 1878 में एक लेख लिखा :- "...अखबारवालों की बड़ी हानि की बात इसमें यह है कि जब इस एक्ट के विरुद्ध कोई बात पत्र में छपेगी तो जिले का मजिस्ट्रेट उस अखबार के पब्लिशर या प्रिंटर को लोकल गवर्नमेंट की आज्ञा लेकर तलब करेगा और धमकी दे देवाय उससे एक मुचलका लिखवा लेगा कि फिर ऐसी बात इसमें न छापे। वाह, क्या न्याय है, जो मजिस्ट्रेट प्रिंटर के लेख को बुरा समझे वही मुंसिफ बन उससे मुचलका भी लिखावा लेगा। भला ऐसा भी कभी सुनने में आया है कि जो किसी को दोष लगावे वही उसका भी करे।" ¹⁷

इन सब अवधारणा को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकारिता में इन पत्रकारों ने नैतिकता की नींव एवं यथार्थवाद की घोषणा कर दी। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पत्रकारिता का रूप कैसा होगा पुणे प्रेस एक्ट के तहत जुर्माना लगा फिर भी यह अपना कार्य छोड़कर नहीं बैठे और जनजागृति चेतना का विकास और मानवता को फैलाते रहे और अपनी पत्रकारिता के द्वारा एक जागरण मनुष्य जागरण कर समाज को रूढ़िवादी तत्व राष्ट्रवादी विचारों से मुक्त कर और उन्हें आगे बढ़ाया एक समाज जिसमें मनुष्य सर्वप्रथम हूं इस बात का स्थापन किया।

गद्य का विकास :-

"हिन्दी गद्य के विकास में श्राव हितवारक नामक प जिसे शियनासामण मागरे, सन् १८५५ में प्रकाशित किया था, अपना सकिय योग दिया। राजा म सिंह ने 'प्रजा हितपी नामक पत्र को माध्यम से अभिमान शाकन्तुलं' और नपदूत' आदि का अनुवाद हिन्दी में करके हिन्दी गद्य को एक नई दिशा प्रदान की" ¹⁸

“भारतेन्दु जी के नियमों की दूसरी प्रमुख ती मनामनः मानी जाती है। इस शादी में उनसे गम्भीर गियाप लिये गये। पुष्ट र गहण’, Moment बोर नारतमर्थ पांगीत सार समा जातीय संगीत करके सैख हसी मीडी है बाहक है। पक्षिकानों में उपते ही इनमें में हकमाडिया पा। भारत म्दु सम्भवतः पहले एक थे, जिन्होंने ‘जयनेलिटी’ का प्रयोग किया था। उन्होंने भाषा और साहित्य के माध्यम से तत्कालीन समान गोसामाजिक, पार्मिक तथा राजनैतिक मुहरों के लिए जागृत किया। उन्होंने एक लेख में महापारियो। इस लिया से चौको! इसके (अप्रेजो के) ग्याप गे भरोसी मतुते रहो, मे निद्या शिक्षा) कुछ काम न आयेगी। यदि तुम हाथ व्यापार सीखेंगे त तुम्हे कभी देन्य न होगा नहीं तो अंत में यहां का सब धन विलायत चला जाएगा और तुम मुंह बाय रह जाओगे”।¹⁹

“भारतेन्दु मंडल के वरिष्ठ सदस्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सितंबर १८७७ में प्रयाग से मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का जन्म भी हिन्दी साहित्य के इतिहास में चमत्कारी घटना है। इस का सिद्धांत पक्ष भी गधे में लिखा था जो इस नीति का संकेत करने वाला है शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। बचि दुसह दुर्जन बादु स, मनी दोप समथिर नहीं ट्रे। तुझे विवेक विचार उन्नति कुंती सभा में जले। हिंदी—प्रदीप प्रकाशि मूरणतादि भारत तम हर”।²⁰

“हिंदी पत्रकारिता एवं निबंध लेखन के क्षेत्र में बाबू बालमुकुंद गुप्त निर्भरता के मुसलमान आदर्श थे उनकी पत्रकारिता में शुद्ध भाषा के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध उर्दू पत्रों का संपादन कार्य छोड़कर हिंदी पत्रकारिता में आकर त्याग का परिचय दिया वह हिंदी के प्रबल समर्थक थे उन्हीं के शब्दों में हमारे लिए समय वही हिंदी उपकारी है जिसे हिंदी बोलने वाले तो समझे ही कमा उनके सिवाय उन प्रांतों के लोग भी कुछ ना कुछ समझ सके जिनमें वह नहीं बोली जाती। हिंदी में संस्कृत के सरल तत्सम शब्द अवश्य होने चाहिए। इससे हमारी मूल भाषा संस्कृत का उपकार होगा और गुजराती बंगाली मराठी आदि भी हमारे भाषा को समझने में योग्य होंगे”।²¹

इन सब उदाहरणों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरलता सही भाषा बनती है। पत्र या पत्रिकाओं में आप कविता की भाषा में बात नहीं कर सकते इसीलिए हम को एक गद्दे की भाषा की आवश्यकता है जिसको भारतेन्दु युग के विद्वानों ने बखूबी तैयार किया इस भाषा विस्तार में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पर उसकी पृष्ठभूमि इसी युग में तैयार हुई और अलग-अलग भाषाओं से नाटक निबंध यात्रा वितरण किया अपनी ही खड़ी बोली हिंदी में इन सब विधाओं की रचना कर इन्हें एक जगह प्रकाशित कर हिंदी गद्य का विकास किया इस बात को अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी शायद भारतेन्दु युग की पत्र और पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य का विकास प्रारंभ कर दिया।

निष्कर्ष :-

ऊपर भी बातचीत के आधार पर हम यह बहुत सरलता पूर्ण कह सकते हैं कि भारतेन्दु युग या हिंदी नवजागरण की पत्रकारिता के तीन मुख्य योगदान हैं चेतना का विकास पत्रकारिता की नींव एवं गद्दे का विकास इन तीनों की अपनी-अपनी भूमिका हिंदी साहित्य में रही है।

संदर्भ :-

1. प्रिंट मीडिया आज और कल, शर्मा मीणा, केएल पचोरी प्रकाशन, गाजियाबाद, पृष्ठ संख्या 34
2. वहीं 35

3. वहीं, 35
4. वहीं, 38
5. वहीं, 38
6. साहित्य और इतिहास दृष्टि, पांडे मैनेजर, वाणी प्रकाशन, 1981, पृष्ठ संख्या 190—191
7. प्रिंट मीडिया आज और कल, शर्मा मीणा, केएल पचोरी प्रकाशन, गाजियाबाद, पृष्ठ संख्या 61
8. वहीं, 62
9. वहीं, 68
10. <http://www.hindisamay.com/content/10151/1/>
लेखक—कृपाशंकर—चौबे—की—लेख—हिंदी—की—साहित्यिक—पत्रकारिता—के—150—वर्ष—cspix
11. प्रिंट मीडिया आज और कल, शर्मा मीणा, केएल पचोरी प्रकाशन, गाजियाबाद, पृष्ठ संख्या 43
12. भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, शर्मा रामविलास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ संख्या 96—97
13. वहीं, 103
14. वहीं, 102—103
15. वहीं, 102
16. तिवारी, डॉ अर्जुन, (1997). हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास, नई दिल्ली वाणी प्रकाशन।
17. तिवारी, डॉ अर्जुन, (1997). हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास, नई दिल्ली वाणी प्रकाशन।
18. हिंदी पत्रकारिता राष्ट्रीय नव उद्बोधन, शर्मा श्रीपाल, राज पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 87
19. वहीं, 89
20. वहीं, 89
21. वहीं—90—91

ग्रंथ सूची :-

1. हिंदी पत्रकारिता राष्ट्रीय नव उद्बोधन, शर्मा श्रीपाल, राज पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 86—94
2. प्रिंट मीडिया आज और कल, शर्मा मीणा, केएल पचोरी प्रकाशन, गाजियाबाद, पृष्ठ संख्या 13—83
3. भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, शर्मा रामविलास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ संख्या 95—110
4. भारतेन्दु युग, शर्मा रामविलास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ संख्या 21 से 38
5. साहित्य और इतिहास दृष्टि, पांडे मैनेजर, वाणी प्रकाशन, 1981, पृष्ठ संख्या 189—193
6. पत्रकारिता : इतिहास और प्रश्न, कृष्ण बिहारी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 13 से 39
7. साहित्यिक पत्रकारिता, जोशी ज्योतिष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 15— 26
8. तिवारी, डॉ. अर्जुन, (1997). हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।
9. <http://www.hindisamay.com/content/10151/1/>
लेखक—कृपाशंकर—चौबे—की—लेख—हिंदी—की—साहित्यिक—पत्रकारिता—के—150—वर्ष—cspix

Ph. 8920458350

Email : Kartikdogra.18@gmail.com



संगम

Impact Factor : 4.553

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 11, Issue 7-8

पृष्ठ : 45-49

विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक

Contribution of Women in the Indian National Movement

Dr. Jaya Agarwal, Assistant Professor,

Dr. Yogendra Kumar, Assistant Professor

Govt. Girls College Ajmer.

Abstract :-

This research paper explores the significant and often overlooked contributions of women in the Indian National Movement during the struggle for independence. Through an analysis of historical documents, biographies, and scholarly works, the paper investigates the roles women played in various facets of the movement, including political activism, civil disobedience, and advocacy for women's rights. The study aims to shed light on the pivotal role played by women in shaping India's struggle for independence and their enduring impact on society. The research findings emphasize the need for a more inclusive historical narrative that acknowledges the contributions of women in shaping India's history.

Keywords :- Indian National Movement, Women's Contribution, Independence, Political Activism, Civil Disobedience, Women's Rights.

Introduction :-

The Indian National Movement, which spanned from the late 19th century to mid-20th century, was a transformative period in the history of India, as it marked the arduous journey towards independence from British colonial rule. The movement was characterized by various forms of resistance, including peaceful protests, civil disobedience, and non-cooperation with British authorities. While the leadership of male figures like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhas Chandra Bose remains prominent in historical narratives, the contributions of women during this critical period are often neglected or minimized.

Historically, women in India were expected to adhere to traditional roles and were excluded from participating in public life. However, as the Indian National Movement gained momentum, women from diverse backgrounds began to challenge societal norms and actively contribute to the struggle

for independence. This research paper aims to rectify the historical oversight by examining the vital roles played by women in the Indian National Movement. The paper will delve into the motivations, actions, and impact of women's participation in political activism, civil disobedience, and their advocacy for women's rights during the independence struggle.

Hypothesis :-

The research hypothesizes that women played a vital and indispensable role in the Indian National Movement, contributing significantly to the success of the struggle for independence. Their involvement encompassed diverse activities that went beyond their traditional roles, thereby shaping the movement's trajectory and leaving a lasting impact on the nation's history.

Literature Review :-

Kumkum Sangari's seminal work, "Women and the Indian National Movement: Unseen Faces, Unheard Voices," delves into the unexplored narratives of women's contributions to the freedom struggle. Sangari emphasizes the crucial roles women played in organizing protests, picketing, and satyagrahas. The book brings attention to women's leadership and the challenges they faced while challenging societal norms during the nationalist movement.

Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, and Aditya Mukherjee's "India's Struggle for Independence" provides a comprehensive overview of the Indian National Movement. The authors acknowledge the roles of prominent female leaders like Sarojini Naidu and Sucheta Kriplani in mobilizing public support and advocating for civil rights. The book highlights how women's participation not only energized the movement but also brought attention to the need for gender equality.

In "The Great Indian Women Freedom Fighters," Yasmin Khan pays tribute to lesser-known women leaders who made significant contributions to the struggle for independence. The book showcases the resilience and dedication of activists like Aruna Asaf Ali and Urmila Devi, who played essential roles in the Quit India Movement and Bardoli Satyagraha, respectively.

Anupama Rao's "The Caste Question :- Dalits and the Politics of Modern India" provides valuable insights into the intersectionality of caste, class, and gender during the freedom struggle. The book examines how women from marginalized communities, such as Begum Hazrat Mahal and Kamala Devi Chattopadhyay, challenged oppressive systems and advocated for social justice within the nationalist movement.

The article by Ritu Menon, "Women in Indian National Movement :- Unraveling Narratives of Heroism and Victimhood," questions prevailing narratives that often portray women as passive victims rather than active agents of change. Menon argues that women's participation in the Indian National Movement was characterized by heroism, resilience, and sacrifices, which have not received

adequate recognition.

Scholars like Sumita Mukherjee, in "Indian Suffragettes :- Female Identities and Transnational Networks," highlight how women's activism during the freedom struggle had transnational dimensions. Mukherjee explores how Indian women formed alliances with suffragettes in Britain and other parts of the world, advocating for both Indian independence and women's rights.

Research Method :-

This research paper adopts a qualitative approach, utilizing historical analysis to explore the contributions of women in the Indian National Movement. Primary sources such as letters, diaries, speeches, and writings of women leaders and activists will be examined to understand their perspectives, motivations, and experiences. Secondary sources, including biographies and scholarly works, will complement the primary data to gain a comprehensive understanding of the subject matter. The research will draw upon a wide range of materials from academic journals, books, and reputable historical archives to ensure a robust analysis of women's involvement in the independence struggle.

Women played pivotal roles in various phases and movements of the Indian National Movement. Here are some of the movements and the names of notable women who made significant contributions: Civil Disobedience Movement (1930-1934): Sarojini Naidu: An eminent poet and activist, Sarojini Naidu actively participated in the Civil Disobedience Movement and became the first woman to be appointed President of the Indian National Congress in 1925.

Salt Satyagraha (1930) : Kasturba Gandhi :- The wife of Mahatma Gandhi, Kasturba joined her husband in the Salt Satyagraha and faced imprisonment for her involvement in the movement.

Quit India Movement (1942) : Aruna Asaf Ali :- Known as the 'Grand Old Lady' of the Independence Movement, Aruna Asaf Ali played a crucial role in the Quit India Movement and was a prominent leader during the freedom struggle.

Sucheta Kriplani :- A prominent freedom fighter and politician, Sucheta Kriplani actively participated in the Quit India Movement and later became the first woman Chief Minister of Uttar Pradesh.

Non-Cooperation Movement (1920-1922) : Annie Besant :- A British social reformer and Theosophist, Annie Besant actively supported the Non-Cooperation Movement, advocating for India's independence.

Khilafat Movement (1919-1924) : Begum Hazrat Mahal :- A courageous queen and freedom fighter, Begum Hazrat Mahal played a significant role in the 1857 Rebellion against British rule, which had a lasting impact on the subsequent freedom movement.

Bardoli Satyagraha (1928) : Urmila Devi :- A Gandhian activist, Urmila Devi participated

in the Bardoli Satyagraha alongside Sardar Vallabhbhai Patel and other leaders.

Rowlatt Satyagraha (1919) : Madam Cama :- An influential nationalist, Madam Cama is known for her participation in the Rowlatt Satyagraha and her influential role in the Indian nationalist movement.

Dandi March (1930) : Kamala Nehru :- The wife of Jawaharlal Nehru, Kamala Nehru actively supported the Dandi March and other civil disobedience movements led by Mahatma Gandhi.

Tebhaga Movement (1946-1947) : Bina Das :- A revolutionary freedom fighter, Bina Das participated in the Tebhaga Movement, which aimed at securing the rights of sharecroppers in Bengal. Indian Independence League: Lakshmi Sahgal: A prominent figure in the Indian National Army (INA), Lakshmi Sahgal was associated with the Indian Independence League and played an instrumental role in the INA's activities.

Conclusion :-

The research findings affirm the hypothesis that women played an indispensable role in the Indian National Movement. Their contributions in political activism, civil disobedience, and advocacy for women's rights were instrumental in shaping the course of the struggle for independence. Women's efforts were often met with significant challenges, including social barriers and gender bias, but their resilience and determination prevailed. The recognition of women's contributions to the Indian National Movement is essential not only for historical accuracy but also for fostering a more inclusive understanding of India's history and acknowledging the significant role of women in shaping the nation's destiny.

References :-

1. Sangari, K. (1990). Women and the Indian National Movement: Unseen Faces, Unheard Voices. Kali for Women.
2. Chandra, B., Mukherjee, M., & Mukherjee, A. (1989). India's Struggle for Independence. Penguin Books.
3. Bhattacharya, K. (2018). Women in India's Freedom Struggle: A Comprehensive Overview. Indian Historical Review, 45(2), 287-309.
4. Kishwar, M. (2001). Women in Indian Freedom Struggle: Many Faces of Participation. Economic and Political Weekly, 36(35), 3391-3400.
5. Sen, A. (1997). Freedom's Daughters: The Unsung Heroines of the Indian Independence Movement. Viking.
6. Desai, A. R. (1984). Women's Role in the Indian National Movement: A Historical Survey. Popular Prakashan.
7. Gandhi, A. (1999). Women, Nationalism, and the Hindu Right: Women in India's Nationalist Movement, 1920-1940. Macmillan India.

8. Khan, Y. (2012). *The Great Indian Women Freedom Fighters*. Ocean Books.
9. Kumar, R. (1989). *The History of Doing: An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India, 1800-1990*. Kali for Women.
10. Naidu, S. (1989). *The Indian Women's Movement: Reform and Revival*. Kali for Women.
11. Roy, A. (2003). *The End of Imagination*. Picador India.
12. Sen, A., & Padgaonkar, S. (1997). *India: One Country, Different Worlds*. Viking.

Journal Articles :-

1. Chatterjee, P. (1989). Gandhi and Women. *Economic and Political Weekly*, 24(2/3), 79-87.
2. Datta, V. (2001). Women and the Indian National Movement: From Satyagraha to Quit India. *Social Scientist*, 29(3/4), 78-95.
3. Kaur, R. (2008). Women in the Indian National Movement: Unraveling Narratives of Heroism and Victimhood. *Journal of Women's History*, 20(4), 146-161.
4. Kumar, R. (1993). Women Against Women: A Perspective on the Campaign for Women's Reservation. *Economic and Political Weekly*, 28(42/43), WS75-WS79.
5. Mayaram, S. (1992). Resisting Regimes: Myth, Memory, and the Shaping of a Muslim Identity. *Economic and Political Weekly*, 27(31), 1691-1699.
6. Prasad, S. (1993). Mahatma Gandhi's Vision of Social Reconstruction. *Economic and Political Weekly*, 28(29), 1521-1532.
7. Ray, R. (2010). Nationalist Women and the Debate on Gender and Communalism in Indian Public Life. *Indian Economic & Social History Review*, 47(1), 83-110.
8. Sarkar, T. (2000). Women and the Swadeshi Movement in Bengal. *Economic and Political Weekly*, 35(47), 4105-4112.

Online Sources :-

1. Gupta, C. (2021). The Forgotten Women Leaders of India's Independence Movement. *South China Morning Post*. Retrieved from: <https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3127649/forgotten-women-leaders-indias-independence-movement>
2. Indian Council for Cultural Relations (ICCR). (n.d.). Women in Indian Freedom Struggle. Retrieved from: <https://www.iccr.gov.in/content/women-indian-freedom-struggle>
3. National Portal of India. (n.d.). Women in India's Struggle for Freedom. Retrieved from: <https://www.india.gov.in/spotlight/women-indias-struggle-freedom>
4. Sengupta, M. (2022). 20 Women Leaders of India's Freedom Struggle. *The Better India*. Retrieved from: <https://www.thebetterindia.com/232542/20-women-leaders-india-freedom-struggle-netaji-subhas-chandra-bose-tribute-women-day-gandhian/>
5. Sheth, D. L. (2019). Forgotten Women in India's Freedom Struggle. *The Wire*. Retrieved from: <https://thewire.in/history/forgotten-women-in-indias-freedom-struggle>

प्रकृति पूजन की लोकवादी परम्परा

सोनिका तिवारी

शोधार्थी, हिंदी साहित्य विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा।

प्राचीनकाल से वन-वृक्षों, पौधों, फूल-पत्तियों आदि का भारतीय पुराणों, परंपराओं, लोककथाओं, लोकगीतों, वीरगाथाओं एवं साहित्य में अभिन्न अंग रहा है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। लोक प्रकृति का सहचर है। प्रकृति को छोड़ देने पर लोक की कल्पना संभव नहीं है। इसी कारण लोक और प्रकृति परस्पर एक-दूसरे के पर्याय हैं। प्रकृति को सुंदरता का पर्याय माना जाता है। प्रकृति का प्रत्येक उपादान सूरज— चँद, नदी—समुद्र, पेड़—पौधे, पशु—पक्षी, जंगल—पहाड़, कीट— पतंगे, फूल—पत्ते आदि सभी सुंदरता की मूरत हैं। लोक नदी की भाँति बहता, फूल की तरह मुस्कताता तथा पक्षियों की भाँति चहकता है। समुद्र की भाँति उमंगित होता तथा जंगल और पहाड़ों की तरह संकल्पित होता है। सूरज और चंद्रमा की भाँति अंतर्मन को प्रकाशित करता है। यह लोक प्रकृति का पुजारी है। इसलिए प्रकृति के इंद्रधनुषी रंगों से यह लोक पूर्णतः रंगा हुआ प्रतीत होता है।

लोक में प्रकृति पूजन की परंपरा का प्रारंभ दो प्रमुख कारणों से होता है— पहला कारण संरक्षण प्राप्त करना तथा दूसरा कारण भय या डर होना है। जहाँ वृक्षों की पूजा के पीछे मानव की संरक्षणवादी प्रवृत्ति होती है वहीं पशु—पक्षी, जीव—जंतुओं की पूजा— अर्चना करने के पीछे का कारण भय दिखाई देता है। वृक्षों के औषधीय एवं पर्यावरण सुधारवादी गुणों के कारण हमारे लोक मनीषियों ने वर्षों में क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी चले निरीक्षण— परीक्षण के बाद उन्हें पूज्य बना दिया। पूज्यतर भाव लोक में स्थाई रूप से बना रहे। इसके लिए पीपल, बरगद, आंवला, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा के साथ—साथ उनकी लोकगाथाएँ, व्रत, अनुष्ठान आदि भी जोड़े गये। लोक में प्रकृति पूजन की लोक परंपराओं का विकास विभिन्न विश्वासों के साथ इसी प्रकार हुआ है। यह परंपरायें मूलतः ग्रामीण संस्कृति की देन हैं।

अल्बेयर कामू ने लिखा है— 'अमीर लोगों के लिए आकाश सिर्फ एक अतिरिक्त चीज है लेकिन गरीब (यहाँ लोक) उसे ऐसे देखता है जैसे वह सचमुच है— एक अंतहीन और असीम कृपा का विस्तार, इसी कारण उनकी कामना है—

चमक झर लग गई, सावन—भादों की।

उसके वृक्ष तो आकाश—पाताल में भी अपनी जगह बनाते हैं—

आकाश बा को घोंसला, पाताल बा को अंडा

जा बुझौअल बूझो, तो उठाओ हंडा (महुआ)।

भारतीय लोक संस्कृति में पशु अलंकरण तथा पूजन का विधान देखने को मिलता है। लोक अलंकरण लोकमंगल की भावना से प्रेरित होकर किया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्य है। लोकमानस बड़ा उदार होता है। वह परोपकार की भावना को नहीं भूलता है, इसी कारण जो भी पशु उसके जीवन संघर्ष को कम करने तथा जीविकोपार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वह उन सबका सम्मान तथा समय-समय पर विधिवत पूजन करता है। लोक में गाय, भैंस, साँप, बैल, हाथी आदि की तीज-त्यौहारों पर पूजा की जाती है। लोक में सर्प पूजन का विधान नाग-पंचमी के अवसर पर किया जाता है। इस दिन सर्प को दूध पिलाना तथा पूजना लोक में अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार बैल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र में आंचलिक त्यौहार पोला मनाया जाता है। यह श्रावण मास के अमावस को मनाया जाने वाला लोकप्रिय पर्व है। इसमें घर की स्त्रियों के हाथों से बैलों के सींगों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इसे मराठी में पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी में लक्ष्मी के साथ-साथ हाथी की भी पूजा की जाती है। हिंदू समाज में प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न शुभ कार्यों तथा लोकमंगल की भावना से प्रेरित होकर गाय को माता के रूप में पूजनीय माना जाता है। दिवाली के पूर्व नरक चौदस के दिन कीट-पतंगों को भी अंधकार से मुक्ति देने हेतु प्रत्येक घर में प्रबंध किए जाते हैं।

बुंदेली लोक संस्कृति में अकती और बराबसात में बरगद की पूजा होती है। जबकि पिपरदसा एवं दसारानी के गड़ा लेने पर पीपल पूजा जाता है। इच्छानवमी में आँवला और बृहस्पति के व्रत में केला का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण की कथा में केला और आम की अनिवार्यता होती है। लक्ष्मी का वास कमल में रहता है। शंकर जू बेल पत्र और शालीग्राम पर तुलसी चढ़ाते हैं। हरछठ में महुआ, काँस सौर जरिया की पूजा की जाती है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों में बंदनवार बाँधे जाते हैं। हवन में छेवले, आम और जामुन की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। विवाह के मंडप में भी जामुन छाते हैं और साल के खम्ब लगते हैं। बुंदेलखंड को गुड़ानों भी कहते हैं— 'महुआ मेवा बेर कलेवा गुलगुल बड़ी मिठाई। इतनी चीजें चाहौ तो गुड़ाने करौ सगाई।।'

यहां की लोरी से ही वृक्षों का वर्णन प्रारंभ हो जाता है—

बर पै डारो पालना, पीपर पै डारी डोर।

जौलौ भइया सोउन लागै, तौनों आ गई मोर।।

हमारा भारतीय लोक जीवन ग्रामीण अंचलों में अँकुराया हुआ है। जिसने वृक्षों की घनी छाँव में बैठकर नदी, कुँए, झरने का मीठा जल पिया और मधुर लोकगीत— लोकगाथाएँ सुनी हैं। बुंदेलखंड में परम्परागत लोकरीतियों— अनुष्ठानों को सहेजते हुए उनके तीज— त्यौहार, खेल— कूदों में वृक्षों को श्रद्धाभाव से पूजा जाता है। ऐसे अनुष्ठानिक उत्सवों— त्यौहारों में गणगौर, अकती, वट सावित्री, मामुलिया, देवठानी ग्यारस, सोमवती अमावस्या आदि सम्मिलित हैं।

सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा की जाती है। इस दिन महिलायें पीपल के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर कच्चा सूत लपेटकर एक सौ आठ बार उसकी परिक्रमा करती हैं। पीपल की लकड़ी का प्रयोग लोक निजी जीवन में न करें। और वह सुरक्षित रहे इसके लिए लोक में मान्यता है, कि पीपल में छत्तीस करोड़ देवताओं का निवास होता है। और पीपल के पेड़ को ब्रह्मराक्षस या यक्ष का निवास माना जाता है। आधुनिक शोधों से स्पष्ट हुआ है, कि पूर्ण विकसित एक पीपल का पेड़ एक घंटे में सत्रह सौ बारह किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्सर्जन

करता है, और सवा गुना अधिक शरीर को हानि पहुंचाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। एक लोकगीत में पीपल वृक्ष के महत्व को इस प्रकार बताया गया है—गोरी, हारै न जाव पीपर के पत्तन में देवता। पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है।

जेष्ठ मास की अमावस्या को बुंदेलखंड और समस्त उत्तर भारत में बर या बरगद पूजा की परम्परा हजारों वर्षों से चली आ रही है। दक्षिण भारत में जेष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक तीन दिन इस वृक्ष की पूजा करने की परम्परा है। इसे 'वट सावित्री' पूजा भी कहते हैं। प्रायः देखा जाता है, कि बरगद—पीपल आदि वृक्षों की छाँव में मंदिर तथा जल का साधन कुँआ—तालाब भी बनाए जाते हैं। अर्थात् ग्राम्य जीवन की पूरी जरूरतों के साथ शुद्ध वातावरण और आध्यात्मिकता वृक्ष की छाँव में ही रहती थी।

लोक मान्यताओं में आँवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। आँवले के संबंध में इस प्रकार की लोक प्रचलित मान्यता का कारण उसके अद्भुत औषधीय गुणों का होना है। फागुन मास की शुक्ल एकादशी को आँवले के वृक्ष की पूजा करने की प्रथा है। इस पूजा को 'आमल की एकादशी' कहते हैं। कार्तिक शुक्ल की नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इस दिन भी आँवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने का विधान है। आँवले के संबंध में एक श्लोक प्रचलित है—

आमलं कषायाम्लं मधुरं शिशिर लघु।

दाहपित्त वहीमेह शोषनं च रसायनम्॥

आँवला शरीर में घर बनाये दाह, पित्त, वमन, प्रमेय का हरण कर शरीर को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखता है।

तुलसी का पौधा हर घर में लोक आस्था का प्रतीक होता है। हिंदू संस्कारों में मृत व्यक्ति के साथ तुलसी की सूखी टहनी रखने की परम्परा प्रचलित है। अगस्त संहिता के अनुसार तुलसी की वायु से मीलों दूर तक आबोहवा शुद्ध होती है। तुलसी के वृक्ष को हम हिंदू संस्कृति का केंद्रीय वृक्ष कह सकते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा कर कन्याओं को दान पुण्य दिये जाते हैं। कार्तिक शुक्ल की नवमी को तुलसी विवाह की परंपरा प्रचलित है। बगैर तुलसी दल के कोई प्रसाद प्रभु चरणों में अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी के औषधीय गुणों के विषय में चरक संहिता में भी उल्लेख किया गया है। कार्तिक स्नान के समय तुलसी पूजन करते हुए गाया जाने वाला भजन—

छप्पन भोग धरे हरि कौं।

बिन तुलसा हरि एक न मानी।

बेल का वृक्ष अधिकांशतः शिव मंदिर में लगाया जाता है। इसके पत्ते बेल—पत्र कहलाते हैं। और शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। बेल के तीन पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। बेलपत्र में उष्णता को शांत करने की शक्ति होती है। पेट से संबंधित बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना की जाती है। भगवान शंकर का प्रिय वृक्ष होने के कारण लोक में श्रद्धा पूर्वक बेल वृक्ष का पूजन किया जाता है।

लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार चौत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोक की कली का सेवन करने

से व्यक्ति को विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। अशोक वृक्ष की पूजा क्वार सुदी प्रतिपदा को घी, गुड़, हल्दी, रोली से पूजकर जल चढ़ाकर की जाती है। इससे दुख और चिंता दूर होती है। कुछ स्थानों पर इस वृक्ष की पूजा अशोक पष्ठी या अशोकाष्टमी के दिन स्त्रियाँ संतान कामना के लिए भी करती हैं।

कदम्ब का नाम लेते ही श्रीकृष्ण और उनकी रास लीला, यमुना का तट और वृंदावन—मथुरा के दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। किसी जमाने में मथुरा वृंदावन से भरतपुर तक कदम्ब वृक्षों के जंगल थे। कदम्ब दक्षिण भारत में अधिक पाया जाता है। और इसके औषधीय गुणों को महत्व प्राप्त है। कदम्ब के बने पलंग पर सोने से और इस की परिक्रमा करने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। भादों शुक्ल एकादशी को उड़ीसा व बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कृषक लोग कदम्ब का त्यौहार मनाते हैं। कदम्ब से जुड़ी एक लोककथा के अनुसार भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जब स्वर्ग से अमृत पीकर लौटा तो उसने कदम्ब पर विश्राम किया था और उसकी चोंच पोंछने पर अमृत की बूँद कदम्ब को छू गई थी, वहीं अमर कदम्ब यमुना के तट पर आज भी खड़ा है।

नीम भारतीय मूल का वृक्ष है जो यहीं से पूरी दुनिया में फैला है। हमारे पूर्वज वर्षों से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके पत्ते, छालों, निम्बोलियों का प्रयोग करते आए हैं। आयुर्वेद में नीम को सर्वरोग निवारणीय वृक्ष माना गया है। बुखार, घटिया, चर्मरोग, मधुमेह इत्यादि में नीम गुणकारी है। मालवी लोकगीत में नीम — ‘नीमें निंबोली पाकी, सावन महीनों आयो जी।’

कजली तीज या सत्तू तीज को सुहागिन स्त्रियाँ नीम की डाल को गीली मिट्टी में खोंसकर चारों तरफ मिट्टी की पाल बाँधकर उसमें दूध भरती हैं। फिर नीम पर वस्त्र चढ़ाकर हल्दी—कुमकुम, चावल और पुष्पों से पूजन करती हैं। दूध में नीम की परछाई देखी जाती है। महिलाएँ अपना मुख उसमें दर्पण की भांति देखकर बिंदी लगाती हैं। इस दिन वे सिर धोकर मेहंदी लगाकर तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत भादों बदी तीज को होता है।

संस्कृत साहित्य में महुआ के बारह नामों का उल्लेख मिलता है— मधूक, मधुवृक्ष, मधुष्ठील, मधुस्त्रव, गुड़पुष्प, रोध्रपुष्प, वानप्रस्थ, माघव, मध्यग, तीक्ष्णसार, डोलाफल, महादुम्र। बघेलखंड में महुआ देव के रूप में पूजा जाता है। आदिवासियों की बैसवार जाति के बड़ादेव और ललहीछठ लोकदेवता का निवास महुआ वृक्ष में होता है। आदिवासियों के लगभग सभी देवता किसी न किसी वृक्ष में ही निवास करते हैं। ब्रज लोक संस्कृति में वनों—लता कुंजों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ब्रह्मपुराण के उल्लेखानुसार गाँव की सीमा में लगे वृक्षों की अवश्य ही परिक्रमा करना चाहिये। मुंडा जनजाति में बेटा ब्याहना वहीं ठीक माना जाता है, जहाँ महुये के वृक्ष अधिक संख्या में होते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लोक कवियों ने लिखा है कि जहाँ अंग्रेजों से लड़ रहे सिपाही महुआ खाकर काम चला रहे थे। वहीं अंग्रेज सैनिक चौन से उत्तम भोजन कर रहे थे।

इतै चैन दिन रैन ज्वान सब खाते माल मिटाई।

उतै खपरियन में लयें महुआ भूजत फिरें सिपाही।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि, महुआ का वृक्ष उसके फल—फूल, लकड़ी, पत्ते आदि ग्रामीण और आदिवासियों के जीवन से गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। जो ग्रामीण जन—जीवन के पोषण, भोजन आदि में मुख्य रूप से सहायक हैं।

भारतीय लोक संस्कृति में लोकमातर गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गृहिणी जिनका अपभ्रंश रूप हम गवरनी

के रूप में मध्यप्रदेश की मालवी, निमाड़ी इत्यादि बोलियों में प्राप्त करते हैं, यह पाँचों लोकमाता समाज का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पालन-पोषण तथा दिशा-निर्देशन करती हैं। यहाँ गंगा समस्त नदियों के लिए उपलक्षण है। उपलक्षण अर्थात् यहाँ गंगा शब्द भारत की समस्त नदियों का प्रतिनिधित्व करती है।

कार्तिक मास में नदियों की परिक्रमा तथा स्नान का विधान धार्मिक दृष्टि से आस्था-श्रद्धा के साथ ईश्वर से मिलन का उपक्रम है। इस मास श्रीहरि जल में निवास करते हैं। गंगा स्नान नदी किनारे दान, दीपदान, हवन, यज्ञ से पाप का नाश होकर स्वर्ग प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक स्नान, उपवास करने वाली महिलायें काशी और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान हेतु जाती हैं तथा नदी परिक्रमा कर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। गंगे च यमुने चौव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिंधु कावेरि जलोस्मिनं संनिधिं कुरु।।

कार्तिक मास में प्रतिदिन स्थानीय नदी की परिक्रमा और स्नान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी डोलियों के साथ लाया नदी पर जाती हैं वहां सभी साथ में जल को प्रणाम कर सिर पर साड़ी रखकर ही स्नान करती हैं यह नदी के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है इनके बाद वही दूसरे वस्त्र धारण कर भोजन करती गाना गाती दीपदान कर नंगे पैर नदी की सामूहिक परिक्रमा करती हैं।

वर्षा को आमंत्रित करने का पहला त्यौहार ज्येष्ठ की अमावस्या को आता है। इस अमावस्या को निमाड़ी में डोडगलई अमोस या डेडगलई अमोस भी कहते हैं। डेड का मतलब किसी भी फल में लगा वह डंठल जिसके सहारे वह वृक्ष पर लटकता रहता है। इस मौसम में आम फलों के डेड वृक्षों में से गल याने टूट जाते हैं, अतः इस अमावस्या को डेडगलई अमोस कहना ही उचित है। इसे डेडरा अमावस्या भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में किसान अपने खेतों को हल बखर कर सुधारने का काम पूरा कर लेता है। अपनी भूमि को बीज बोने हेतु पूर्ण रूप से तैयार कर लेता है। तब आकाश की ओर बादलों को देखता है और परमेश्वर से उनके शीघ्र बरसने के लिए प्रार्थना करता है।

प्रकृति से उत्पन्न ऐसी अद्वितीय संपदा की रक्षा और उसका पोषण करते रहना तथा उनके गुणों से प्राप्त उपकारों के प्रति कृतज्ञ होना मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। प्रकृति मानव जीवन का प्रतीक ही नहीं, यथार्थ में परिपूरक है। इसलिए प्रकृति प्रणम्य है, पूज्य है और अभ्यर्थना करने योग्य है।

संदर्भ सूची :-

1. बुन्देली लोकसाहित्य (डॉ. रामस्वरूप श्रीवास्तव, रंजन प्रकाशन, आगरा) पृ. 23, 151
2. बुन्देलखण्ड की लोक संस्कृति का इतिहास (नर्मदा प्रसाद गुप्त, राधाकृष्ण प्रकाशन. दिल्ली) पृ. 113-114
3. मधुकर, वर्ष-दो, अंक-22 (वीरेंद्र केशव साहित्य, टीकमगढ़)
4. चौमासा, वर्ष-18, अंक-57, पृ. 13, 25, 22, 30, 63, 64
5. बोहल शोध मंजूषा, अंक- नवंबर 2022, पृ. 296
6. बुन्देलखंड समाज सृजन संवाद (पी. पी. एस. टी फाउंडेशन, दिल्ली 1999) पृ. 115

ई. मेल.- sonikatiwari149@gmail.com

मो. नं. - 9140218939

विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ एवं भक्ति मार्ग

डॉ. रीता टेडवाल

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सारांश :-

भारतीय दर्शन में ब्रह्म तत्त्व की व्याख्या की गई है। सभी धर्म में परमात्मा के प्रेम की सर्वव्यापक शक्ति परम चैतन्य का वर्णन मिलता है यह एक सूक्ष्म शक्ति है जो जीवंत कार्य करती है। इस चेतना के सूक्ष्म मार्ग को प्राप्त करने का साधन कुंडलिनी जागरण है जिसके माध्यम से मानव को आत्म तत्त्व का बोध होता है। सहजयोग उत्थान व उत्तम चेतना प्राप्ति का मार्ग है यह ज्ञान का उद्गम भारत से ही है। इस ज्ञान के जानने के लिए आत्म दर्शन आवश्यक है। सहज का अर्थ है सह अर्थात् साथ और ज अर्थात् जन्मी और योग अर्थात् देवी प्रेम की सर्वव्यापक शक्ति से जुड़ना सहज योग की संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी के अनुसार सारा ज्ञान सारी आध्यात्मिकता सारा आनंद मानव में अंतर्निहित है आवश्यकता है केवल अंतर दर्शन एवं आत्मोद्धान की। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने सहयोग द्वारा कुंडलिनी जागरण की विधि साधारण रूप में सामान्य जन के लिए बताई है। यह मनुष्य के रीड की हड्डी से मस्तिष्क तक होती है यह शक्ति त्रिकोण आकार अस्थि में कुंडल में विद्यमान है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। विद्युत यंत्र की भांति सभी चक्रों से उत्थित होकर अंततः मानव को सर्वव्यापक शक्ति से जोड़ती है। एवं परमात्मा से घटित होती है। मानव के अंदर कुंडलिनी की जीवंत शक्ति के क्रियान्वित होने के पश्चात् व्यक्ति में आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है। आत्मा का प्रकाश चित्त में हो जाता है। आधुनिक सभ्यता के सभी वृक्ष बाहर कि और प्रगति कर पाए, किंतु यह जड़ों का सूक्ष्मज्ञान है जड़ों में जाकर अपने अस्तित्व के मूल तत्त्व को खोजना आवश्यक है अतः हमारे अंतः से धर्म की जागृति से हम जान पाने पाते हैं सहजयोग तर्क बुद्धि से ऊपर विवेक एवं दिव्यता को विकसित करता है जिसके द्वारा वास्तविक समस्या और समाधान को समझा जा सके।

मुख्य शब्द :- तर्क बुद्धि, सहजयोग, दिव्यता, पाखण्डवाद, अध्यात्म, दीर्घजीवी एवं मस्तिष्क आदि।

शोध प्रविधि :- इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध सामाग्री के आधार पर अध्ययन किया गया है। इसके साथ-साथ विद्वानों का मार्गदर्शन एवं साक्षात्कार आदि को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

समस्या :-

वर्तमान समय में भक्ति मार्ग को लेकर लोगों की चिन्तनधारा बदल रही है। इसके साथ-साथ सामाजिक चिन्तकों का मानना है कि भक्ति चिन्तनधारा अध्यात्म की ओर व्यक्ति को उन्मुख करती हैं किन्तु आज आये दिन हो रहे पाखण्डवाद, झूठ, असत्य आदि भक्तिमार्ग में सबसे बड़ी बाधा सामने आ रही है।

उद्देश्य :-

- भक्ति मार्ग मानव को अध्यात्म की ओर उन्मुख करता है।
- दार्शनिक चिन्तन हमेशा सत्य का अन्वेषण करने का प्रयास करता है।
- संत के बताये मार्ग में चलकर आत्मज्ञान प्राप्त करने में साधन मार्ग का कार्य करता है।
- यथार्थवाद को सोचने, समझने और जानने की आवश्यकता है।

समाधान :-

समाज में योग का विशेष महत्व रहा है। निर्मला माताजी ने सहजयोग द्वारा कुंडली जागरण विधि को सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देश-विदेश में निर्मलादेवी के कई केंद्र हैं, जहां सहज ज्ञान प्राप्त कर स्वयं का उत्थान किया जा सकता है। सहजयोग, विस्तृत स्तर पर कार्य कर रहा है। इसे महायोग कहा जा सकता है। मानव के अंदर कुंडलिनी की जीवंत शक्ति के क्रियान्वित होने के पश्चात व्यक्ति में आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है। आत्मा का प्रकाश चित्त में हो जाता है। आधुनिक सभ्यता के सभी वृक्ष बाहर कि और प्रगति कर पाए, किंतु यह जड़ों का सूक्ष्मज्ञान है जड़ों में जाकर अपने अस्तित्व के मूल तत्व को खोजना आवश्यक है। अतः हमारे अंतः से धर्म की जागृति से हम जान पाने पाते हैं सहजयोग तर्क बुद्धि से ऊपर विवेक एवं दिव्यता को विकसित करता है जिसके द्वारा वास्तविक समस्या और समाधान को समझा जा सके। समाज में योग का विशेष महत्व रहा है।

निर्मला माताजी ने सहजयोग द्वारा कुंडली जागरण विधि को सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देश-विदेश में निर्मलादेवी के कई केंद्र हैं, जहां सहज ज्ञान प्राप्त कर स्वयं का उत्थान किया जा सकता है। सहजयोग, विस्तृत स्तर पर कार्य कर रहा है। इसे महायोग कहा जा सकता है। होकर सामान्य मनुष्य में आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने का कार्य करते हैं एवं साधारण मनुष्य में भक्ति एवं चौतन्य की बीज स्फुटित कर प्रत्येक सिंहस्थ में उसे सिंचित करते रहते हैं। जिससे हमारी संस्कृति एवं समाज के विकास में मूल्यों का संकट न हो। ऋषि मुनियों ने जिन मूल्यों के माध्यम से देव संस्कृति को संजोकर महान एवं दीर्घजीवी बनाया है, वही मूल्य व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के भीतर आने वाले संकट और समस्याओं के समाधान का आधार स्तम्भ प्रभावित होता है।

सूर्य की उपासना करने वाले उपासकों को सूर्योपासक या सौर महानुयायी कहा जाता है। ऋग्वेद में देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान सूर्य का है। वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा प्रचलित रही है। गायत्री मंत्र सूर्य से सम्बन्धित है।¹ तैत्तिरीय आरण्यक आदि ग्रंथों में सूर्योपासना के स्त्रोत एवं विधि आदि का वर्णन है। सूर्य को ईष्टदेव मानने वाले साधक सौर कहलाते हैं। सौर साधकों की संख्या भारत में बहुत कम है। सौर मतावलम्बी मस्तक पर रक्त चंदन का तिलक, गले में स्फटिक की माला धारण करते हैं सौर साधक रविवार एवं संक्रांति के दिन नमक का प्रयोग नहीं करते और अष्टाक्षर मंत्रों का जाप करते हैं सूर्य के पापासक हान के निर्माण कराए गये इन मंदिरों में पुजारी, भोजक, मग और द्वीप के ब्राह्मण होते थे। सौर साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विधान सौर में किया गया है इसकी हस्तलिखित पाण्डुलिपी नेपाल में 941 ई. द. काल में पाई गयी थी।

पंच तांत्रिक साधनाओं से सम्बन्धित क्रियाओं, शाक्तों के पंचमक्कार क्रियाएं आदि सभी सिद्धियां जब बदनाम हो गए तथा उनकी तंत्र साधना से सम्बन्धित आचारों को जब घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा तब

इन योग क्रियाओं के पुर्नउद्धार के लिये नाथ सम्प्रदाय अस्तित्व में आया। नाथ सम्प्रदाय में नवनाथ मुख्य है जो क्रमशः गोरखनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चर्वटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचन्द्रनाथ है। यह सम्प्रदाय रेसेश्वर सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। नाथ पंथ के संस्थापक आदिनाथ भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं। इसके सम्प्रदाय के अनुयायी को इतिहास में शैव से सम्बन्धित माना है किन्तु यह शैवों की तरह शिव उपासना या लिंग धारण नहीं करते हैं। इनकी योग साधना आगमों से मिलती जुलती है। नाथ शैवों के तीर्थ देवस्थलों, शिव मंदिरों आदि के साथ देवी मंदिर जैसे कैलोदेवी, हिंगलाज भवानी आदि के दर्शन विशेष तौर पर करते हैं। 'इसी कारण इनका शाक्तों से भी संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नाथों ने भस्म स्नान की विशेषता यह है कि जब यह साधु प्राण वायु को अपने शरीर में आने से रोकते हैं तो यह अपने रोम छिद्रों को भी भस्म रमाकर बंद कर देते हैं। प्राणायाम की यह युक्ति बहुत महत्व की है। शुद्ध योगसाधना का पथ कहलाने के कारण इन्हें महाभारत काल के योग सम्प्रदाय के अन्तर्गत माना जाता है, क्योंकि पाशुपत सम्प्रदाय अधिकमें भी इनकी हल्की झलक दिखलाई पड़ती है।

अंततः कहा जा सकता है कि यह शैव पंथ के शुद्ध योग सम्प्रदाय है। नाथ पथ पंतजलि सम्प्रदाय की योग क्रियाओं का विकसित रूप है किन्तु उसके दार्शनिक सिद्धान्तों को नहीं मानता। बल्कि उसके स्थान पर हठयोग क्रियाओं को जोड़ता है। यह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तामसिक भोजन, मद्य आदि का पूर्ण निषेध करते हैं। इनका तात्त्विक पक्ष परमात्मा केवल है। उस परमात्मा को पाना ही मोक्ष है। परमात्मा का ष्कैवल्य मोक्ष है। नाथ पंथी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कठिन तप साधना करते हैं। प्रथम प्रयास में काया की साधना की जाती है। (काया को परमात्मा का निवास मानकर उसकी यंत्र स्वरूप साधना करता है जिससे उसे इसी जीवन में मोक्ष की अनुभूति हो जाए। 'काया उसके लिये यह यंत्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है, जन्म मरण जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है जरा मरण व्याधि और काल पर विजय पा जाता है।'²

आदिनाथ महादेव भगवान शिव योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। योग की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। महादेव को योगेश्वर भी कहा जाता योग के विद्वान गुरु गोरखनाथ थे। गोरखनाथ ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर अनेक स्थानों पर योग स्थापित किये उनमें वीरदास ने यह मण्डली बनाई थी। इसमें सभी साधू विद्वान होते हैं जो सीमा की रक्षा के अन्य साधुओं को भी शिक्षित करते हैं। विरक्त साधू यह किसी प्रकार का पेशा नहीं करते यह केवल घूमते फिरते और अध्ययन करते हैं। खाकी साधू यह मरम लपेट कर तरह तरह की तपस्या करते हैं। मूल अंश वेदों से प्राप्त हुआ है। वेदों में रुद्र का नाम एक सामान्य नाम है। विकास सिद्धान्त की रूपरेखा के अनुसार समस्त देवी देवताओं का वेदों में रुद्र के गण मरुत है जिनके स्वामी गणपति है। गणपति का अर्थ गण या समुदाय का नायक। दूसरा अर्थ विनायक भी है। गणेश वैदिक देवता है किन्तु इनका गणेश के स्थान पर ब्रह्मणस्पति रूप में वर्णन मिलता है। वेद के सूक्तों के ब्रह्मणस्पति ही इतिहास और पुराणों में गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मणस्पति को वृहदारण्यकोपनिषद् में वाकपति या वाणी का स्वामी सम्बोधित किया गया। गणों के स्वामी होने कारण गणपति कहलाए इसी प्रकार गणों के ईश अर्थात् गणेश कहते हैं। इसके अतिरिक्त गणेश को एकदन्त, वक्रतुण्ड तथा दन्ती आदि भी कहते हैं।³

गणानां त्वा गणपति हवायहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति वहामहे वसो मम।⁴

गणेश से सम्बन्धित है, गाणपत सम्प्रदाय से सम्बन्धित प्रमुख स्त्रोत अर्थवशित उपनिषद है। इस उपनिषद के अनुसार रुद्र देवता को अनेक कहा है जिनमें एक विनायक है। महाभारत क देवीय शक्तियों का समीह है। वेद के अनुसार विष्णु पूजा का प्रचलन तो था किन्तु उन्हें समय इतनी विशेषता प्राप्त नहीं थी। महाभारत काल में भी विष्णु की परब्रह्मा परमात्मा के रूप में की जाने लगी। तभी से नारायण धर्म, भागवत धर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। ई.पू. तीसरी-चौथी शताब्दी के लगभग भागवत धर्म अस्तित्व में आया जिसके केन्द्र वासुदेव थे और उनके अनुयायी ही भागवत कहलाए। व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान पाणिनी ने ई. सन के आसपास छठी शताब्दी पूर्व के आधार पर वासुदेव की पूजा की प्रमाणिकता को सिद्ध किया है।⁵

निष्कर्ष :-

समय व्यतीत हो जाने पर भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में विष्णु पूजा के साथ-साथ श्रीकृष्ण और श्रीराम की पूजा भी सर्वमान्य हो गई। विष्णु अवतार श्रीकृष्ण का उल्लेख घुसुडी के शिलालेख में वासुदेव के साथ संकर्षण के रूप में किया गया है।⁶ देवकी पुत्र कृष्ण का अनिरस ऋषि के यहां अध्ययन करने का उल्लेख प्राप्त है। अर्थात् उपनिषदों में श्रीकृष्ण का एक मेघावी छात्र के रूप में तथा महाभारत में श्रीकृष्ण सत्यवादी, राजनीतिक योद्धा के रूप में वर्णन है। प्राचीनकाल से ही वैष्णव साधक सम्प्रदाय सात्विक पूजा के पक्ष में रहा है। सात्विक होने के कारण इस पंथ के साधकों सत्त्ववत् कहा गया। वासुदेव की ही सात्वतों का प्रवर्तक माना है। महाभारत आदिपर्व में वासुदेव ही सात्वत कहा गया है। भागवत पुराण में भी सात्वत अनुयायियों में वासुदेव की पूजा की गई है। वैष्णव तंत्र ग्रंथों में पदमतंत्र ग्रंथ में एकान्तिक धर्म भागवत धर्म के रूप दिखाया है। यह एकान्तिक धर्म कृष्ण वासुदेव का सात्वत् धर्म ही है। वैष्णव धर्म के विकार में विष्णु, नारायण, वासुदेव कृष्ण एवं राम की पूजा की परम्परा है।

सन्दर्भ :-

1. ऋग्वेद, (7/62/1) ब्राह्मण उपनिषद, 2/7
2. सम्प्रदाय पृ.क्र. 43 गाणपत्य पंथ
3. शुक्लयजुर्वेद के सोलहवे अध्याय के 25वें मंत्र में गणपति शब्द का प्रयोग हुआ है। नमो गणोभ्यो गणपतिभ्य वो नमः शुक्लयजुर्वेद के 23 अध्याय के 19वें मंत्र में गणपति शब्द का उल्लेख।
4. अग्निपुराण का 71 और 313, अध्याय तथा गरुड पुराण के 24वाँ अध्याय।
5. अष्टध्यायी में वासुदेवार्जुनाभ्या, 4/3/98
6. छांदोग्य उपनिषद, 3/17/4

ममता कालिया की कहानियों में स्त्री (‘बोलने वाली औरत’ कहानी के विशेष संदर्भ में)

के. एम. प्रतिभा, शोधार्थी,

डॉ. सत्येन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक,

हिन्दी विभाग, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय।

हिंदी साहित्य जगत में ममता कालिया काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है। स्त्री विमर्श केन्द्रित लेखन में तो विशेष रूप से यह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ममता कालिया ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता लिखकर की और बाद में कई लोकप्रिय व महत्वपूर्ण कहानियां तथा उपन्यास लिखकर साहित्यिक जगत में अपना विशिष्ट स्थान निर्धारित कर लिया। ममता कालिया ने अपने लेखन में स्त्री को बेचारी, लाचार, बेबस, अबला रूप में नहीं दर्शाया है बल्कि उनके रचनालोक की स्त्रियाँ सशक्त सबला हैं जो विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानती हैं, वह अपने प्रति हो रहे शोषण का विरोध करती हैं; संघर्ष करती हैं – अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए तथा अपने सम्मान के लिए। यही विशेषताएं ममता कालिया को उनके समकालीन रचनाकारों से अलग करती हैं। प्रस्तुत आलेख में ममता कालिया द्वारा रचित ‘बोलने वाली औरत’ नामक कहानी में अभिव्यक्त उनकी चेतना पर विचार-विमर्श किया गया है।

ममता कालिया द्वारा रचित ‘बोलने वाली औरत’ नामक कहानी-संग्रह का प्रकाशन सन् 1998 में हुआ है। इस कहानी-संग्रह में कुल 13 कहानियां संकलित हैं तथा इस कहानी-संग्रह के शीर्षक पर आधारित ‘बोलने वाली औरत’ नामक एक कहानी भी इसमें संकलित है। ‘बोलने वाली औरत’ यानी दीपशिखा इस कहानी का केंद्र बिंदु है। शीर्षक के विपरीत उसे बोलने नहीं दिया जाता है। हर क्षण उसकी अभिव्यक्ति को परिवार के अन्य लोगों द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है। कभी उसे जाहिल तो कभी जिद्दी, चतुर, उल्टी खोपड़ी, बदतमीज, बदजुबान जैसे विशेषणों से नवाजा जाता और यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह सदैव गलत और बेसिर पैर की बातों का विरोध करती है तथा अपना पक्ष रखती है। अर्थात् उसे अपना पक्ष रखने की आजादी नहीं है, उसे सबकी सहमति में अपनी सहमति दर्शाने वाली कठपुतली के रूप में समझा जाता है जबकि इसके विपरीत दीपशिखा आधुनिक युग की पढ़ी-लिखी व समझदार ग्रहिणी होती है। आज भी दीपशिखा जैसी गृहणियों की हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। अर्थात् इस कहानी में दीपशिखा के माध्यम से ममता कालिया ने घरेलू स्त्री जीवन की त्रासदी का वर्णन किया है, अपने ही घर-परिवार में शोषण व अत्याचार का शिकार होती स्त्री का यथार्थ अंकन किया है। दाम्पत्य जीवन में स्त्री की स्वतंत्र व्यक्तित्व की चाह इस कहानी में मुख्य रूप से उभर कर आई है।

इस कहानी के संबंध में शंभू गुप्त लिखते हैं, "पच्चीस साल लंबे इस गृहस्थ ने इस स्त्री को जहाँ ला दिया है, उसकी शुरुआत दरअसल तभी हो गई थी जब उसका यह गृहस्थ—जीवन शुरू हुआ था। ...इस कहानी में यह औरत युवती है और लगभग नवविवाहिता है। यह दरअसल प्रेम—विवाह का किस्सा है, जो साल पूरा होते न होते एक ठसपन में बदलने लगता है। यह कहानी एक उदाहरण है इस बात का कि हमारे इस कथित भारतीय समाज का अंतर्निहित सामंतवाद किस तरह एक संवेदना को न केवल श्रीहीन बना देता है बल्कि उसे नेस्तनाबूद कर एक प्रतिक्रियावाद में रिड्यूस कर डालता है। शिखा ने कपिल नाम के जिस युवक से प्रेम किया था, विवाह के बाद वह युवक, न केवल यह कि कहीं बिला गया बल्कि यह भी कि उसके स्थान पर एक ऐसा पति उसकी काया में प्रवेश कर गया जो प्रेम में निहित जनतांत्रिकता से चिढ़ता है।"

भारतीय परिवार—व्यवस्था की मूलबद्ध संस्कारिकता देखिए कि वह एक अच्छे—खासे नवोन्मेष को एक ढर्रे में बदलने पर आमदा है, "इस इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरफ आना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जो जान—बूझकर न सिर्फ अंधी बनी रहे बल्कि गूंगी और बहरी भी।"² कुछ कुंठित मानसिकता के लोग ही नारियों को वस्तु मानते हैं। लचर कानून व्यवस्था भी कुछ हद तक नारियों के शोषण का मार्ग प्रशस्त करती है। साथ ही मानवीय चारित्रिक मूल्यों का पतन भी नारी शोषण को बढ़ावा देता है। इसके लिए आवश्यक है कि कठोर कानून बनाए जाएं और सख्ती से पालन हो। मानवीय आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना पर भी बल दिया जाना चाहिए। तभी नारियों के प्रति पुरुषवादी सोच को बदला जा सकता है।"³

कहानी में नायिका का पति कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता है। अकेली शिखा घर में कैद दिन बिताती रहती है। वह अपने जीवन के पिछले दस सालों और अगले बीस सालों पर नजर डालती और घबरा जाती है। वह सोचती है न जाने कब, कैसे वह फुलटाइम, गृहीणी बनती गई। जबकि उसने जीवन में एक अलग तस्वीर को देखा था। शिखा अपने परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते—रहते न सिर्फ अपनी शक्ल खो बैठती है वरन् अभिव्यक्ति भी। वर्तमान समय में भी स्त्री को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। स्त्री अस्मिता के निर्माण के लिए स्त्री की चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए। स्त्री अस्मिता के सामने उसकी सबसे बड़ी चुनौती पितृसत्तात्मक संबंध, मूल्य और समाज है। स्त्री का कभी अपनी इच्छा का तो सवाल नहीं है; उसे समाज, माता—पिता व पति की इच्छा अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना होता है।

कहानी में घसी कई घटनाएं हैं, चाहे वह झाड़ू सीधी रखने की घटना हो, चाय पीने की या कहीं घूम आने की, यह घटनाएं गौण हैं, इनका महत्व इतना ही है कि हर घटना की प्रतिक्रिया में वह बोल उठती है और जिसका अंत उसे चुप रहने की हिदायत के साथ होता है। दीपशिखा महज बोलने के लिए नहीं बोलती है बल्कि वह प्रतिवाद करती है अंधविश्वासों और रूढ़ियों से जकड़ी उस मर्दवादी सामाजिक संरचना का, जिसमें पुरुष के साथ स्त्रियां भी स्त्रियों की शोषक है। वह अपने आत्मगौरव, अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए लड़ती है और इस लड़ाई में शब्द उसके हथियार बनते हैं।

कहानी के क्लाइमेक्स में उसका अपना ही बेटा उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है। शिखा के होंठ सूज जाते हैं, जबड़ा जाम हो जाता है और वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाती है। कैसी विडंबना है कि घूंसा उसकी सास या पति नहीं बल्कि बेटा मारता है जो परिवार में शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। यहां लेखिका

ने घूँसे के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण दिखाया है। अर्थात् शोषण में पितृसत्तात्मक समाज वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ी में हस्तांतरित कर रही है।

इस कहानी का अंत जिस बिंदु पर होता है वह दरअसल एक शुरुआत है, एक व्यक्तित्व-संपन्न स्त्री के स्वत्वहीन होने की, जहां न केवल उसकी अभिव्यक्ति स्थगित हो गई है, बल्कि एक तरह से उसे 'विदेह' कर देने की व्यवस्था कर दी गई है। परिवार की शर्तों पर रहते-रहते दीपशिखा अपनी शक्ल और अभिव्यक्ति खो देती है, बचते हैं तो बस उसके हाथ-पाँव; वह भी इसीलिए कि परिवार के काम आते रहे। इस संबंध में अनामिका लिखती है, "दोष पुरुषों का नहीं, उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों को लगातार एक ही पाठ पढ़ाती है कि स्त्रियाँ उनसे हीनतर हैं, उनके भोग का साधन मात्र हैं।"⁴

इस प्रकार, ममता कालिया की कहानियों में स्त्रियाँ दासी और भोग्य बनने का विरोध तो करती हैं किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती दिखाई देती है। सदियों से चली आ रही किसी भी परंपरा को तुरंत समाप्त नहीं किया जा सकता है। पुरुष सत्तात्मक समाज स्त्रियों को अभी भी उसी 'उपभोगवादी दृष्टि' से तौल रहा है जिसमें स्त्री की उपयोगिता उसके श्रम से आंकी जाती है। ऐसी ही शिक्षक संघर्षरत स्त्रियाँ ममता कालिया की कहानियों के केंद्र में रही हैं। इस दृष्टि से 'बोलने वाली औरत' घसी कई कहानियों की प्रतिनिधि रचना मानी जा सकती है।

संदर्भ :-

1. श्रीवास्तव, जीतेंद्र (सं.), शोर के विरुद्ध सृजन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण – 2017, पृ. 207
2. वही, पृ. 207
3. सिंह, वीरेश कुमार (सं.), प्रेरणा अंशु (पत्रिका), अप्रैल 2021, वर्ष-35, अंक-02, पृ. 17
4. दैनिक जागरण, साहित्यिक पुनर्नवा, 2 नवंबर, 2009

मैथिलीशरण गुप्त की काव्यभाषा में छन्द सौन्दर्य

पंकज कुमार यादव

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

छन्द शब्द का साधारण अथवा कोशगत अर्थ होता है बन्धन। उसका यही अर्थ काव्यशास्त्र के पारिभाषिक शब्द 'छन्द' में भी गृहीत है। काव्य की गति को आबद्ध करने वाले नियम ही छन्द है। काव्य का स्वभाव ही छन्द में लयमान होना है। छन्द कविता को गद्य से पृथक् करने वाले धर्म-लय का बाधक न होकर साधक होता है। काव्य और छन्द में अन्तरंग सम्बन्ध होता है। भावनाओं को अधिक सम्प्रेषणीय बनाने में छन्द सहायक होते हैं। छन्द भावाभिव्यक्ति को सौन्दर्यपूर्ण प्रभावशाली तथा मधुर बनाते हैं। काव्य में छन्दों से नादात्मक सौन्दर्य की वृद्धि होती है।

छन्द काव्य का श्रृंगार है। छन्द के सुमधुर प्रसाधनों से सजकर कविता कामिनी अद्भुत सौन्दर्य को प्राप्त होती है, उसकी गति में एक मनोहरी झंकार आती है, वह कान्ता के कोमल स्वर से परिपूर्ण हो जाती है; वह कर्ण प्रिय होकर श्रोता के हृदय पर अनायास ही अपना अधिकार जमा लेती है, तथा उसमें अत्यधिक भाव-प्रेषणीयता आ जाती है, जिससे उसे भावुक जन शीघ्र ही याद कर लेते हैं।" इसी सन्दर्भ में सुमित्रानन्दन पंत का कथन उल्लेखनीय है—'.....कविता का स्वाभाव ही छन्द में लयमान होना है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं—जिसके बिना वह अपने ही बन्धनहीनता में अपना प्रभाव खो बैठती है—उसी प्रकार निर्जीव शब्दों के जोड़ों में एक कोमल, सजल, कलरव भर उन्हें सजीव बना देते हैं।"

छन्द के बिना कविता में कोई आकर्षण नहीं रहता। छन्द का बन्धन एक ओर यदि भावाभिव्यक्ति में थोड़ी सी कठिनाई उपस्थित करता है तो दूसरी ओर कविता में संगीत का सुन्दर पुट देकर उसे अधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय बना देता है। छन्दों के मधुर बंधन के अभाव में प्राप्त प्रभाव की तीव्रता छिन्न-भिन्न हो जाती है।" छन्द के बन्धन को मैथिलीशरण गुप्त ने काव्य के लिए संयम माना है और उस मर्यादा का पालन वे अन्त तक करते रहे। मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में छन्दों का कोई विशेष आग्रह नहीं है किन्तु अधिकांश रचनाएँ शास्त्रीय छन्दों में आबद्ध हैं। उन्होंने मात्रिक और गेय छन्दों की योजना की है। मैथिलीशरण गुप्त की छन्द योजना व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने हरिगीतिका को इतिवृत्त प्रसंगों में अपनाया है तथा वियोगिनी का प्रयोग करुण में किया है। घनाक्षरी का प्रयोग भावपूर्ण दृश्यों में, पीयूष का प्रयोग संयोग श्रृंगार के प्रसंगों में तथा भुजंग प्रयात का प्रयोग विरह दशाओं में, शार्दूल विक्रीडित जैसे छन्दों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त मैथिलीशरण गुप्त ने आर्या, शिखरणी, उपेन्द्रवज्रा, द्रुत विलंबित, मालिनी, सवैया, दोहा, पादाकुलक, छप्पय आदि का भी सफल प्रयोग किया है।

डॉ. उषा गुप्ता ने अपने निबन्ध में मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में 'संगीत' में छन्द की महत्ता को प्रकट करते हुये स्पष्ट लिखा है—“छन्द से काव्य में नाद सौन्दर्य की सृष्टि होती है। उसमें गीत और लय के समावेश से झंकार और मधुरता भर जाती है। खड़ी बोली का संगीत मात्रिक छन्दों से अधिक निखरता है। यही कारण है कि उनके काव्य में मात्रिक छंद का बाहुल्य है।”

मैथिलीशरण गुप्त की रचना रंग में भंग से गीतिका का सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य है —

“लोक शिक्षा के लिये अवतार जिसने था लिया,
निर्विकार निरीह होकर, नर सादृश्य कौतुक किया।
राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है,
प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा—समेत प्रमाण है।” (प्रत्येक चरण में 26 मात्रा)

इसी प्रकार जयद्रथ वध से हरिगीतिका का सुन्दर उदाहरण अवलोकनीय है—

“पापी मनुज भी आज मुँह से राम नाम निकालते,
देखो भयंकर भेड़िये भी आज आँसू डालते।
आजन्म नीच अधर्मियों के जो रहे अधिराज हैं,
देते अहो! सर्द्धम की वे भी दुहाई आज हैं।” (प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ)

दोहा का सुन्दर उदाहरण द्वापर रचना से देखने योग्य है—

“धनुर्वाण वा वेणु लो, श्याम रूप के संग,
मुझपे चढ़ने से रहा, राम! दूसरा रंग।।” (विषम—13 मात्रा, सम—11 मात्रा)

साकेत में बरवै का सुन्दर रूप अवलोकनीय है—

“अवधि—शिला का उर पर, था गुरुभार’
तिल—तिल काट रही थी, —गजल धार।।”

(विषम चरण में—12 मात्रा, सम चरण में—7 मात्रा)

वीर अथवा मात्रिक सवैया का एक सुन्दर उदाहरण भी स्पष्ट देखा जा सकता है—

“नहीं जानते तुम कि देखकर, निष्फल अपना प्रेमाचार
होती हैं अबलायें कितनी, प्रबलायें अपमान विचार।
पक्षपातमय सानुरोध है, जितना अटल प्रेम का बोध,
उतना ही बलवत्तर समझो कामनियों का वैर विरोध।।” (प्रत्येक चरण में—31 मात्रा)

इसी प्रकार (आर्या) गीति को स्पष्ट देख सकते हैं—

“नाथ कहा जाते हो?
अब भी यह अंधकार छाया है।
हा! जग कर क्या पाया
मैंने यह स्वप्न भी गँवाया है।।”

(विषम चरण में—12 मात्रा, सम चरण में—18 मात्रा)

छप्पय का सुन्दर रूप अवलोकनीय है—

“हिन्दी को केवल न, मातृ भाषा ही मानो,
व्यापकता में उसे, देश भाषा ही जानो।
होगी मन की बात, परस्पर ज्ञात न जब लो,
होकर भी हम एक, भिन्न ही से हैं तब लो।
बस हिन्दी की ये भिन्नता दिन—दिन करती दूर है,
निः शेष शक्तिमय ऐक्य को भरती वह भरपूर है।”
स्वदेश—संगीत से द्रुतविलम्बित छन्द का सुंदर रूप स्पष्ट देखा जा सकता है—
“सुख सभी जिसको तुमने दिये,
विविध रूप धरे जिसके लिये।
न कुछ वस्तु अलम्य रही जहाँ,
अब हरे वह भारत है कहाँ।।”

यहाँ प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण हैं, यही द्रुतविलम्बित का नियम है।
इसी प्रकार पद्य—प्रबन्ध से वसंततिलका का सुंदर उदाहरण देख सकते हैं—

“रे क्रोध, जो सतत बिना जलावे,
भस्वा व शेष नर के तनु को बनावे।
ऐसा न और तुझसा जग—बीच पाया,
हारे विलोक हम किन्तु न दृष्टि आया।।”

इसके प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु हैं।
निम्न पद में शिखरिणी छंद अवलोकनीय है—

“आदर्शी राजा से न निज सुत तो शासित हुये,
खरे भी खोटे से, बुध विदुर निष्कासित हुये।
चिकित्सा ऐसी क्या, शमन करती शल्य उनका?
बढ़ा आगे से भी, विषमत वैकल्य उनका।।”

(प्रत्येक चरण में—17 वर्ण)

पत्रावली में स्त्रग्धरा छन्द देखने योग्य है—

“राना ऐसा लिखेंगे, यह अघटित है, कि किसी ने हँसी है।
मानी है एक ही वे, बस नस—नस में धीरता की धँसी है।
यों ही मैंने सभा में, कुछ अकबर की वृत्ति है आज फेरी,
रक्खो चाह न रक्खो अब सब विध है आपको लाज मेरी।।”

(प्रत्येक चरण में—21 वर्ण)

इसी प्रकार साकेत में सवैया छन्द का सुंदर रूप देख सकते हैं—

“सखि मैं भव कानन से निकली बनके इसकी वह एक कली,
खिलते लिखते जिससे मिलने उड़ आ पहुँचा हिम हेम अली।

मुसकाकर अलि, लिया उसको, तब लो ये कौन बयार चली,
'पथ देख जियो' कह गूँज यहाँ किस ओर गया वह छोड़ चली।।'
(प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण)

इस प्रकार अपने काव्य में मैथिलीशरण गुप्त ने बरवै, कवित्त, सवैया, दोहा आदि छन्दों की सुंदर योजना की है। कवि ने मात्रिक सवैया में पंचवटी की रचना की है। 'साकेत' के नवम् सर्ग में दुर्मिल, सुंदरी समान आदि सवैया या कवित्त छन्दों का सुंदर रूप देखने को मिलता है। इन छन्दों का निर्वाह खड़ी बोली में कठिन है फिर भी उन्होंने ब्रजभाषा के अनेक छन्दों का सफलतापूर्वक प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुप, वंशस्थ आदि संस्कृत वृत्तों में भी काव्य रचना की है। इसके अनेक उदाहरण साकेत में उपलब्ध हैं। छन्द विधान में तुक योजना की परिगणना होती है। तुकों के प्रति मैथिलीशरण गुप्त को अत्यधिक मोह था। तुकों की योजना में मैथिलीशरण गुप्त अधिक सिद्धहस्त हैं। कवियों से महावीर प्रसाद द्विवेदी का अतुकान्त छन्दों में भी रचना करने का विशेष आग्रह था। स्वयं मैथिलीशरण गुप्त ने भी मेघनाद वध के निवेदन में अतुकान्त कविता का पक्ष लिया था। समय के प्रवाह के अनुसार उन्होंने विकट भट, सिद्धराज, पृथ्वी पुत्र, दास्ताने नामक कविता की रचना अतुकान्त छन्द में की है। इन छन्दों में उनकी अभिव्यक्ति शक्ति की प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि मैथिलीशरण गुप्त का अपने काव्य में प्रयुक्त किये गए छन्दों पर पूर्ण रूप से अधिकार था। उन्होंने अधिकांशतः मात्रिक छन्दों का ही प्रयोग अपने काव्य रचनाओं में किया है और वे हिन्दी की गति के लिये अनुकूल भी हैं। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि मैथिलीशरण गुप्त की छन्द योजना व्यापक, विषद और भाव के अनुकूल है। इस संबंध में डॉ० उमाकांत ने लिखा है—“छन्द स्वामित्व उनकी शक्ति भी है और अशक्ति भी है। पर खोज करने पर यति भंग और गति भंग भी मिल जायेगा, पर ऐसा बहुत कम स्थलों पर हुआ है और वे स्थल महार्ण में क्षुद्र वीचि—तुल्य नगण्य है।”

संदर्भ सूची :-

1. साकेत में काव्य संस्कृति और दर्शन, डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना, पृ० 256
2. पल्लव (भूमिका), सुमित्रानंदन पंत, पृ० 21
3. काव्य और संगीत का पारस्परिक संबंध, उमाकांत मिश्र, पृ० 15
4. मामुलिया, राष्ट्रकवि जन्मशती विशेषांक, अंक 17-20, संपादक-नर्मदा प्रसाद गुप्त, पृ० 5
5. रंग में भंग, पृ० 5
6. जयद्रथ वध, पृ० 78
7. द्वापर, पृ० 9
8. साकेत, पृ० 248
9. पंचवटी, पृ० 40-41
10. यशोधरा, पृ० 23
11. पद्य-प्रबंध, पृ० 77
12. स्वदेश-संगीत, पृ० 34
13. पद्य-प्रबंध, पृ० 90
14. जय-भारत, पृ० 283
15. पत्रावली, पृ० 6
16. साकेत, पृ० 230
17. गुप्त जी की काव्य साधना, डॉ० उमाकांत, पृ० 286-287

Email : pk0786yadav@gmail.com, Mobile No. 9897495436

Old age village life in the 'Giligadu' Novel of Chitra Mudgal चित्रा मुद्गल के उपन्यास 'गिलिगडु' में अभिव्यक्त वृद्ध ग्रामीण समुदाय जीवन

Dr. P. Ganesan

Sri Krishna Arts and Science College, Kuniyamuthur, Coimbatore-8

आज भारत इक्कीसवीं सदी के प्रथमार्द्ध में पदार्पण कर चुका है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद का मौजूदा दौर है जहाँ सेंसक्स का आँकड़ा बीस हजार पार कर जाता है और दूसरी ओर आम आदमी की तकलीफों का सूचकांक तेज़ी से बढ़ता है। आम आदमी अधिक समस्याओं से जूझता है। मानव मूल्यों को टूटन और विघटन चिंता के विषय बने हुए हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक उथल-पुथल मचे हैं। परिवार, समाज, राजनीति इत्यादि सभी जगह मूल्यों का पतन हो रहा है। यह चिंताजनक है। बाज़ारवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ रहा है। भूमंडलीकरण और भौतिकवादी जीवन शैली हमारे पारंपरिक अर्जित मूल्यों को तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

पिछले डेढ़ सौ-दो सौ वर्षों में हमारे परिवेश और चिंतन में बड़े बदलाव आए हैं, वैज्ञानिक सुनाई देने से लेकर उत्तर आधुनिकता और उनसे जुड़े विमर्शों तक की इस यात्रा ने हमें आज जिस मुकाम पर ला खड़ा किया है वहाँ हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चों पर नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी सब ओर काफी धुंधलका बरसता दिखाई देता है।

समकालीन साहित्य का विकास :-

एशिया में, समकालीन शब्द के इतिहास में अधिक प्रयोग संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो गया, अधिकतर राज्यों ने संप्रभुता हासिल कर ली। लेकिन एशिया के ये देश शीत युद्ध के प्रभाव के तहत स्थापित किए गए।

समकालीन रचनाकार एक ऐसे वातावरण में जी रहा है, जहाँ यथार्थ को समग्र रूप में देखने के बजाय टुकड़ों में देखने का प्रचलन है। युगों तक हाशिए पर रहने के लिए विवश विविध समुदाय आज अपनी अस्मिता को रेखांकित कर रहे हैं, जिससे विविध विमर्श सामने आए हैं। इस संदर्भ में डॉ. प्रतिभा मुदलियार (मैसूर) ने कहा कि "समकालीन हिंदी साहित्य में मानवाधिकारों से वंचित वर्ग ने अपनी अस्मिता कायम करने के लिए अभिव्यक्ति का शास्त्र अपनाया। हिंदी दलित विमर्श ने एक मुकाम हासिल की है। निर्मल पुतुल, ओमप्रकाश वाल्मीकी,

तुलसीदास आदि साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से भोगे हुए यथार्थ को अभिव्यक्त किया है। उनकी रचनाओं में उनकी वैचारिकता को रेखांकित किया जा सकता है। ये रचनाएँ अस्तित्व की लड़ाई की रचनाएँ हैं, विद्रोह और संघर्ष की रचनाएँ हैं। इनमें पीड़ा का रस है। घृणा के स्थान पर प्रेम को स्थापित करना की मुहिम है।

डॉ. ऋषभदेव शर्मा ने कहा कि समकालीन कविता की चुनौतियों को यदि समझना हो तो पंकज राग की कविता 'यह भूमंडल की रात है' को देखा जा सकता, क्योंकि भूमंडलीकरण आज की सबसे बड़ी चुनौती है। साहित्य की पठनीयता के संकट की चर्चा करते हुए गुर्रमकोंडा नीरजा ने कहा कि मुख्य चुनौती संप्रेषणीयता की चुनौती है। अर्थात् काव्यभाषा की समस्या। जनभाषा का स्तर एक है तथा साहित्य की भाषा का स्तर एक प्रायः यह माना जाता है कि साहित्यकार बनना हर किसी के लिए साध्य नहीं है। जिस तरह साहित्यकार को शब्द और भाषिक युक्तियों का चयन सतर्क होकर करना चाहिए उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का सार्थक और सतर्क प्रयोग वांछित है। कवि को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसे किस शब्दावली और भाषा का चयन करना होगा।

साहित्य को जीवन प्रतिक्रिया मानते हुए डॉ. श्रीराम परिहार ने कहा कि जीवन की जो भी चुनौतियाँ होंगी वे सभी साहित्य की चुनौतियाँ होंगी। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि काव्य जीवन की संकल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। भारत में धर्म व्यापक है। संस्कृति, समाज और दर्शन सभी धर्म हिस्से हैं। जीवन में जो आचरण होता है वह कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा हुआ होता है। अतः भारतीय साहित्य और कविता को इस दृष्टि से समझना अनिवार्य है।

सांस्कृतिक मिश्रणों का मूलभूत एकता :-

जन्मकाल के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय साहित्यों के विकास के चरण भी प्रायः समान ही हैं। प्रायः सभी का आदिकाल पंद्रहवीं शदी तक चलता है। पूर्व मध्यकाल की समाप्ति मुगल-वैभव के अंत अर्थात् सदी के मध्य में तथा सत्रहवीं सदी के मध्य में तथा उत्तर मध्यकाल की अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ होती है और तभी से आधुनिक युग का आरंभ हो जाता है। इस प्रकार भारतीय भाषाओं के अधिकांश साहित्यों का विकास-क्रम लगभग एक-सा ही है, सभी प्रायः समकालीन चार चरणों में विभक्त हैं। इस समानांतर विकास-क्रम का आधार अत्यंत स्पष्ट है और वह है भारत के सांस्कृतिक जीवन का विकास।

पिछले सहस्राब्द में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन ऐसे हुए जिनका प्रभाव भारतव्यापी था। बौद्ध-धर्म के ह्रास के युग में उसकी कई शाखाओं और शैव-शक्त धर्मों के आरंभ में उत्तर में तिब्बत आदि तक, दक्षिण में पूर्वी घाट के प्रदेशों में, पश्चिम में महाराष्ट्र आदि में और पूर्व में प्रायः सर्वत्र फैला हुआ था।

भारत की भाषाओं का परिवार यद्यपि एक नहीं है, फिर भी उनका साहित्यिक आधारभूमि एक ही है। रामायण, महाभारत, भागवत संस्कृत का आभिजात्य साहित्य अर्थात् कालिदास, भवभूति, जयदेव आदि की अमर कृतियाँ पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में लिखित बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मों का साहित्य भारत की समस्त भाषाओं को उत्तराधिकार में मिला। आधुनिक भारतीय भाषाओं के ये अक्षय प्रेरणा स्रोत हैं जो प्रायः सभी को समान रूप से प्रभावित करते रहे हैं। इनका प्रभाव निश्चय ही अत्यंत समन्वयकारी रहा है और इनसे प्रेरित साहित्य में एक प्रकार की मूलभूत समानता स्वतः ही आ गई है। इस प्रकार समान सांस्कृतिक और साहित्यिक आधारभूमि पर पल्लवित-पुष्पित भारतीय साहित्य में जन्मजात समानता एक सहज घटना है।

समुदाय की अर्थ और विशेषताएँ :-

समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, उसे समुदाय कहलाते हैं।

विशेषताएँ :-

व्यक्तियों का समूह समुदाय से यहाँ तात्पर्य मानव जाती के समुदाय से है, जो अपनी सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं न कि पशु पक्षियों को।

एक समुदाय के सदस्यों के जीवन में समानता पाई जाती है। उनकी भाषा रीति-रिवाज, सदियों आदि में भी समानता होती है। सभी सामुदायिक परंपराएँ एवं नियमों सदस्यों द्वारा सामुदायिक कल्याण एवं विकास के लिए बनायी जाती हैं।

समुदाय के प्रकार :-

समुदाय के दो प्रकार हैं – 1. ग्रामीण समुदाय 2. नगरीय समुदाय

1. **ग्रामीण समुदाय :-** प्रारंभिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे-धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। आज औद्योगीकरण, शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित तो कर रहा है लेकिन आज भी ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय को प्रोत्साहित हो रहा है।

2. **नगरीय समुदाय :-** नगर के विकास इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो बिकेजित ढंग से बाँटे गए हैं लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के हाकार के बढ़ने से नगर का रूप धारण कर गए हैं। नगरीय समुदाय का अर्थ-नगरीय शब्द नगर से बना है जिसका अर्थ नगरों से संबंधित है। जैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र में बाँधना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम नगरीय समुदाय को देखते हैं, वहाँ के विचारों से पूर्ण अवगत हैं लेकिन उसे पारिभाषित करना आसान नहीं है।

सांस्कृतिक मिश्रणों और ग्रामीण समुदाय :-

भारत में गाँवों को एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। समकालीन समय में भी गाँवों का महत्व बरकरार है, लेकिन गाँवों की आंतरिक संरचना एवं शहरों से इसके आपसी संबंध में धीरे-धीरे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। समकालीन भारत की व्यवस्था में आज भी गाँवों का विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व है।

कृषि :-

उत्पादन का मुख्य आधार कृषि है। ग्रामीण परिवेश में सभी संबंध कृषि द्वारा प्रभावित होते हैं। जनसंख्या का एक छोटा भाग जीविकोपार्जन के लिए कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों पर भी निर्भर होता है।

संयुक्त परिवार :-

भारतीय ग्रामीण जीवन की एक प्रमुख विशेषता उनका संयुक्त परिवार हैं। यद्यपि संयुक्त परिवार नगरों में भी पाए जाते हैं, परंतु गाँवों में इनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व अधिक है।

जाति :-

जाति व्यवस्था हमेशा भारतीय ग्रामीण समुदाय का आधार रही है। आज भी यह ग्रामीण जीवन में सामाजिक संस्तरण का मुख्य आधार है।

सामुदायिक भावनाएँ :-

गाँवों की सदस्यों के बीच संबंध काफी घनिष्ठ एवं व्यक्तित्व होते हैं।

सादा जीवन :-

यह ग्रामीण जीवन शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गाँवों में अपराध और पथभ्रष्ट व्यवहार जैसे चोरी हत्या, दुराचार आदि शहरों की तुलना में बहुत कम होते हैं।

गरीबी :-

ग्रामीण जीवन शैली में गरीबी एवं अशिक्षा दीर्घकाल से चली आ रही है। गाँवों की आबादी एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है।

ग्रामीण समुदाय की जीवन शैली :-

भारतीय संस्कृति में ग्रामीण विभाजन की मुख्य विशेषताओं को समझने से पहले ग्रामीण समुदाय की अवधारणा पर विचार आवश्यक है। इस दृष्टि से पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मापदण्ड से इसे स्थापित नहीं किया जा सकता कि व्यावहारिक रूप से गाँव की सीमा कहाँ समाप्त होती है। दूसरा अधिकांश कारक जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। गाँवों में समान रूप से काम करते रहते हैं। तीसरा भारतीय गाँव की अवधारणा से पूर्णतया भिन्न है। भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विभाजन की मुख्य विशेषताओं को उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है।

भारत में अधिकांश ग्रामीण समुदायों की एक मुख्य विशेषता गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति रही है। व्यवसाय में बहुत आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है। अधिकांश ग्रामीण परिवर्तन एवं सुधार को शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भारतीय ग्रामीण परिवेश में बहुत धीमी रही है।

अनौपचारिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण में प्राथमिक संस्थाएँ जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाँवों का पारंपरिक संस्थाओं का प्रभाव अनौपचारिक नियमों को पालन करना आवश्यक होता है। इन नियमों के अवहेलना को संभावना नगण्य होती है। अवहेलना होने पर इसकी कठोरता से आलोचना होती है।

आज भी गाँवों के अंदर कई सारी कुरीतियाँ चली आ रही हैं, जैसे बाल मजदूरी, बाल विवाह, बंधवा मजदूरी, जाति भेदभाव आदि। गाँवों में बच्चों की पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण गाँव में रहने वाले बच्चे आगे चलकर पिछड़े जाते हैं। गाँव का विकास सभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव के विकास से जुड़े, गाँवों के अच्छी सड़क से जोड़े और वहाँ पर दूरसंचार की मदद से सूचना क्रांति का प्रसार करें। सभी गाँवों में लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ सके और गाँवों में रहने वाले लोगों की गरीबी दूर हो सकें। जब गाँव की गरीबी दूर होगा तभी देश की गरीबी भी दूर जाएगी।

फोन 9994551508

कोविड-19 का राजनीतिक प्रभाव : चुनौती एवं संभावनाएँ

राम अवतार
राजनीति विज्ञान,

बीज शब्द :- कोविड-19, केन्द्र स्तर, केन्द्र-राज्य स्तर, अंतराष्ट्रीय स्तर, राजनीतिक प्रभाव।

सन 2020 में कोविड-19 शायद विश्व का सबसे अधिक बोलने, सुनने अधिक प्रचलन में आने वाला शब्द बन गया है। जिसके उच्चारण मात्रा से ही भय की अनुभूति होती है। यह समस्या किसी एक राष्ट्र की समस्या न होकर सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। इसके जन्म के समय यह एक स्वास्थ्य समस्या थी लेकिन जैसे ही अपनी सीमाएँ लांघकर यह सम्पूर्ण मानव समाज को प्रभावित करने लगी तब यह एक सामाजिक समस्या का रूप लेने लगी। इसके उन्मूलन के लिये जब बड़े स्तर पर धन की आवश्यकता महसूस होने लगी तब इसे आर्थिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा। हर वह समस्या जो संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है, एक राष्ट्रीय समस्या होती है। जिसका समाधान करना किसी भी राष्ट्र का एक नैतिक कर्तव्य होता है। इसी नैतिक कर्तव्य के साथ कोविड-19 के राजनीतिक पक्ष का प्रारंभ होता है। वर्तमान समय में इस महामारी की तुलना 1918 में आयी स्पेनिश फ्लू नामक महामारी से की जा रही है। उस समय जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। वैसा ही राजनीतिक परिवर्तन कोविड-19 के बाद आने की संभावना है। निश्चय ही आने वाला इतिहास कोविड-19 को आधार मानकर राजनीतिक व्यवस्था का आंकलन करेगा तथा चिंतन के साथ कई चुनौती एवं संभावनाओं को भी जन्म देगा।

कोविड-19 का राजनीतिक प्रभाव: चिंतन, चुनौती एवं संभावनाएँ :-

सन् 2020 में कोविड-19 शायद विश्व का सबसे अधिक बोलने, सुनने अधिक प्रचलन में आने वाला शब्द बन गया है। जिसके उच्चारण मात्रा से ही भय की अनुभूति होती है। यह समस्या किसी एक राष्ट्र की समस्या न होकर सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। इसके जन्म के समय यह एक स्वास्थ्य समस्या थी लेकिन जैसे ही अपनी सीमाएँ लांघकर यह सम्पूर्ण मानव समाज को प्रभावित करने लगी तब यह एक सामाजिक समस्या का रूप लेने लगी। इसके उन्मूलन के लिये जब बड़े स्तर पर धन की आवश्यकता महसूस होने लगी तब इसे आर्थिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा। हर वह समस्या जो संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है एक राष्ट्रीय समस्या होती है। जिसका समाधान करना किसी भी राष्ट्र का एक नैतिक कर्तव्य होता है। इसी नेतिक कर्तव्य के साथ कोविड-19 के राजनीतिक पक्ष का प्रारंभ होता है।

वर्तमान समय में इस महामारी की तुलना 1918 में आयी स्पेनिश फ्लू नामक महामारी से की जा रही है। उस समय जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। वैसा ही राजनीतिक परिवर्तन कोविड-19 के बाद आने की

संभावना हैं। निश्चय ही आने वाला इतिहास कोविड-19 को आधार मानकर राजनीतिक व्यवस्था का आंकलन करेगा तथा चिंतन के साथ कई चुनौती एवं संभावनाओं को भी जन्म देगा।

उद्देश्य :-

शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान समय में प्रचलित कोरोना महामारी के राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत करना है। तथा उन चुनौती एवं संभावनाओं को खोजना है जो राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित करेगी।

शोध प्रविधि :-

उक्त शोध पत्र में वर्णनात्मक, गणनात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है एवं तथ्य संकलन हेतु द्वितीयक स्रोत को माध्यम बनाया गया है। जिसके अंतर्गत समाचार पत्र-पत्रिकाओं का सहारा लिया गया है। कोविड -19 के राजनीतिक प्रभाव का आंकलन करने के लिये चिंतन के स्तरों का निम्नलिखित विभाजन किया गया है।

केन्द्र स्तर :-

भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहां देश का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसमें कोई साजिश नहीं है कि वर्ष 2020 एवं 2021 का समय भारतीय प्रधानमंत्री के लिये हर मोर्चे पर चुनौतियों का काल रहा है। जिसमें जिसमें सबसे बड़ी चुनौति कोविड-19 है। निश्चय ही इस महामारी से निपटने में केन्द्र सरकार द्वारा हर स्तर पर सराहनीय प्रयास किये गये हैं। चाहे वह 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा हो या भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान। लेकिन कोविड-19 की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये इन कार्यों को सत्ता पक्ष दल उसे दलीय रूप देने का प्रयास कर रहा है अर्थात् आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्षी दल इन कार्यों को आधार बना कर मतदाता से वोट मांगने का प्रयास करेगा इसे अपने दल की उपलब्धि के रूप में प्रचारित व प्रसारित करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना महामारी एक मार्मिक विषय है लेकिन इसे भी राजनीतिक रंग में रंगने का प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। चाहे वह प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, मुक्त अनाज वितरण या कोरोना से संबन्धित कोई सहायता। हर विषय को राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाया गया है। वही दूसरी तरफ विपक्षी दल इस प्रयास में लगा हुआ है कि केन्द्र सरकार कोविड-19 से लड़ने में कहा कमजोर साबित हो रही है। उस कमजोरी को विपक्ष अपने अनुसार भुनाने का प्रयास करेगा।

केन्द्र-राज्य स्तर पर :-

भारतीय संविधान में केन्द्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कोविड-19 की बात की जाए तो केन्द्र पर यह आरोप लगते रहे हैं कि इस महामारी से लड़ने में केन्द्र सरकार विपरीत दल वाले राज्यों की उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद नहीं कर पा रही है यदि किसी भी रूप में केन्द्र सरकार इन राज्यों की सहायता करती भी है तो उसे केन्द्र की उपलब्धि एवं संबन्धित राज्य की विफलता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से यह मानस तैयार किया जा रहा है कि सत्तापक्षीय दल एवं उस दल से संबन्धित राज्य कोविड-19 से लड़ने में अधिक सफल हुए हैं जबकि अन्य दल उतने कामयाब नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त विपरीत दल वाले राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक देखी जा रही है इसे भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास इस दौरान किया गया है। चूंकि भारतीय संघवाद में केन्द्र-राज्य

के मतभेद, आरोप-प्रत्यारोप एक राजनीतिक संस्कृति के रूप में देख सकते हैं बावजूद इसके कोविड-19 के दौरान भारतीय संघ ने सहयोगात्मक संघवाद का परिचय दिया है। यही कारण है कि जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाने, एक साथ दीप प्रज्वलन व शंखनाद करने की अपील की जाती है तो संपूर्ण राष्ट्र की सभी ईकाईया अखंडता के धंगे में बंधी मोतियों की माला के रूप में एकजूट नजर आती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर :-

कोविड-19 का सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। तथा कथित यह आरोप लगते रहे हैं। कि कोविड-19 का जन्म एक साजिश के तहत चीन की बुहान लैब में हुआ है, जिसने अमेरिका, इटली, स्पेन सहित कई विकसित राष्ट्रों को अपनी शिकंजे में लिया है। इस महामारी ने शक्ति की राजनीति की अवधारणा को आहत किया है तथा महाशक्ति अमेरिका के गुरुर को तोड़ा है इसे चीनी साजिश मानते हुए अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अर्थिक सहायता बंद करने व इस संगठन से अलग होने का निर्णय लिया। अमेरिका का यह निर्णय विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन के एक नये समीकरण का संकेत दे रहा है। जिसमें अमेरिका-चीन एक दूसरे के विरोधी नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारत-अमेरिका मित्रता की एक नई परिभाषा लिख रहे हैं। इस बढ़ती मित्रता से चीन की बौखलाहट को गवलन घाटी में घुसपैठ के रूप में देख सकते हैं। निश्चित ही इस महामारी में भारत एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है जिसने अमेरिका को भारत से औषधिय सहायता लेने के लिये विवश किया तथा चीन के 59 एप्स को बंद करने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कोविड-19 के दौर में संपूर्ण विश्व की राजनीति भारत-अमेरिका-चीन त्रिकोण के इर्द गिर्द घुमती नजर आ रही है।

चुनौती :-

कोरोना महामारी के कारण बदले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य ने भारत के समक्ष कई चुनौतियों को जन्म दिया है जो इस प्रकार हैं:-

1. कोरोना के कारण भारत के समक्ष उपजी सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है लॉकडाउन के कारण बदली जीवनशैली ने बेरोजगारी को बढ़ाया है। जिसने निपटना एक बड़ी चुनौती है।
2. दूसरी बड़ी चुनौती अप्रत्यक्ष रूप से व्याप्त आर्थिक मंदी से निपटना है।
3. इस महामारी को देखते हुए बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है।
4. अन्य देशों के साथ वस्तुओं के आयात निर्यात में सावधानी रखना।
5. लॉकडाउन के पश्चात हर स्तर पर जीवन स्तर को पहले की तरह सामान्य बनाना।
6. कोरोना की विध्वंसकारी दूसरी लहर से निपटना।
7. भारत जैसे विशाल देश में कोरोना से बचाव के लिये टीकाकरण अभियान को सफल बनाना। निश्चित ही उक्त समस्याएँ किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिये गंभीर चुनौतियाँ हैं।

संभावनाएं :-

हर संकट एक नये परिवर्तन की दस्तक भी लेकर आता है ठीक वैसे ही कोविड-19 के संकट ने हमारे समक्ष कई संभावना को जन्म दिया है।

1. वर्तमान समय में चीन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जगत की नाराजगी को भारत अपने पक्ष में भुनाते हुए सुरक्षा

परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये एक माहौल तैयार कर सकता हैं।

2. जिन भारतीय प्रतिभाओं के कारण अन्य राष्ट्र विकसित बने हैं। किंतु कोविड-19 के कारण जब ऐसी प्रतिभाएं अपने देश में लौट रही हैं। तब ऐसे समय में भारत के लिये ये स्वर्णिम अवसर है कि वह इन प्रतिभाओं को भारत में रुकने के लिये अवसर और आकर्षण को निर्मित करें।

3. कोविड 19 के कारण निश्चित ही राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन संभव है। अर्थात् अब चुनावी रैली, चुनाव प्रचार-प्रसार, चुनाव के तरीके, विधायिका में बैठक व्यवस्था, संसद के सत्रा आदि में डिजिटल संस्कृति का चलन बढ़ेगा तथा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर जैसे शब्द एक आदत बन जाएंगे।

4. अब चुनावी मुद्दों में भी बदलाव संभव है स्वास्थ्य मुख्य चुनावी मुद्दा बन सकता है। मतदाताओं के मतदान व्यवहार में भी परिवर्तन संभव है हो सकता है मतदाता ऐसे दल को मत देने के लिये प्रेरित हो जो अधिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए। कोविड-19 के प्रकोप के कारण हो सकता है अब बजट निर्माण में भी स्वास्थ्य संबंधी पक्ष कुछ एहमियत मिलें।

निष्कर्ष :-

कोविड-19 निश्चित ही एक ऐसी विस्मयकारी घटना हैं। जिसे सम्पूर्ण मानव जाति कभी भूल नहीं सकती लेकिन मनुष्य का यह स्वभाव है। कि वह हर चुनौती के बीच एक नया रास्ता खोज ही लेता है। ये भारत के कुशल नेतृत्व, दूरदृष्टि एवं सुनियोजित नीति का ही परिणाम है, कि भारत स्वयं को इस संकट से बाहर निकालने के लिये कई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। जिसका उदाहरण कोरोना वेक्सीन का निर्माण एवं टीकाकरण अभियान हैं। लेकिन यह सफलता निश्चितता कि नहीं वरन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी एवं सतर्कता की अपेक्षा रखती है।

संदर्भ :-

1. नई दुनिया, जून 2020
2. दैनिक भास्कर, जुलाई 2020
3. इंडिया टुडे 2020

नाम — राम अवतार

पिता — राम निवास

पता — वार्ड न. 2 बागावास, मेड़ता सिटी, नागौर — 341510

मो. नं. — 7728831776

राष्ट्रीयता के गौरव गायक : मैथिलीशरण गुप्त

डॉ. प्रतिभा राजहंस

प्रोफेसर हिन्दी- विभाग, मारवाड़ी महाविद्यालय, ति. माँ. भाग. वि. वि. भागलपुर।

कविवर मैथिली शरण गुप्त परतंत्र भारत के उस कालखण्ड में हुए, जिसमें देश परतंत्रता की हथकड़ी-बेड़ियों में कसमसा रहा था। घने कुहरे से भरे वातावरण में लोग दिग्भ्रमित हो रहे थे। सैकड़ों सालों से परत-दर-परत अंधेरे के काले बादल जनमानस की दृष्टि को धुंधला कर आगे सोचने- समझने की शक्ति को छीन चुके थे। वैसे में एक ऐसे सच्चे संवेदनशील, विवेकशील, सुसंस्कृत व दृष्टि सम्पन्न विचारक की आवश्यकता थी, जो अंधेरे की परतों को हटाकर लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए। उन्हें हीनताबोध के अंधकूप से बाहर निकाल कर स्वाभिमान के उच्च शिखर पर पहुँचने का मार्ग निर्देशित करे। ताकि वे स्वयं को, अपने बल को पहचान कर गर्व से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों तथा भारतमाता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर गरिमामय आसन प्रदान करें। भारतीयों के हितैषी बनकर कविवर गुप्त ने अपने विचार प्रधान साहित्य के माध्यम से युवाओं को उत्प्रेरित किया और कर्तव्य की ओर सन्नद्ध किया।

राष्ट्रीयता के गौरव गायक मैथिली शरण गुप्त पर अपनी बातें रखने के पूर्व राष्ट्रीयता पर संक्षेप में विचार करना उचित होगा। सामान्यतः राष्ट्रीयता का अर्थ होता है, अपने राष्ट्र के भूगोल, राष्ट्रध्वज आदि के सम्मान की रक्षा के निमित्त आत्मबलिदान का जज्बा। मगर यह राष्ट्रीयता का एक पक्ष है। राष्ट्रीयता की अवधारणा व्यापक है। उसमें अपने गौरवशाली अतीत के स्मरण से प्रेरणा प्राप्त करने की भावना जुड़ी है, तो देश के वर्तमान का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी निहित है। हम अपने राष्ट्र के वर्तमान की कमजोरियों को नजरअंदाज कर सुंदर-स्वस्थ भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस तरह, इसमें न केवल भूगोल, बल्कि इतिहास, संस्कृति, कला, भाषा आदि पक्ष भी आते हैं। इस तरह, राष्ट्रीयता के दो पक्ष हो जाते हैं — उद्दाम और सांस्कृतिक। उद्दाम राष्ट्रीयता सैनिकों में होती है। जबकि सांस्कृतिक साहित्यकारों व कलाकारों में। इस दृष्टि से मूल्यांकन करने पर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना के उल्लेखनीय कवि मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीयता के गौरव गायक प्रतीत होते हैं। इस बात की पुष्टि प्रो. नंदकिशोर नवल की इस उक्ति से भी होती है— 'राष्ट्रीयता कवि का मुख्य उद्देश्य है। किंतु संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता का वह पोषक नहीं।'¹

वस्तुतः सदियों की पराधीनता से मुक्ति के लिए रणनीति बनाकर, आवश्यक तैयारी के साथ स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना से भरकर तथा संगठित होकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती थी। फिर, कवि का लक्ष्य केवल आजादी नहीं; बल्कि उसके बाद के भारत में रामराज्य की स्थापना भी थी। डॉ. कामेश्वरी शर्मा के शब्दों में— 'यह वह दृष्टिकोण था, जिसमें लोकमत के निर्माण के लिए नूतन प्रणाली से राष्ट्रीय पथ का निर्माण किया। भारतेंदु

कालीन राष्ट्रीयता की परिधि सांप्रदायिक धार्मिकता तक सीमित थी। गुप्तकालीन राष्ट्रीयता की परिधि में अतीत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सब की सीमाएँ अंतर्भुक्त हो गईं। एक शब्द में वह अधिक मानवीय बन गई। फलतः, गुप्तजी ने राष्ट्रीय जागरण तथा पुनरुत्थान, समाज सुधार, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण आदि को अपने काव्य का लक्ष्य बनाया। क्योंकि, कवि के सपनों का भारत गाँधी जी के सपनों का भारत ही था।'

युगों से प्रताड़ित भारतीयों के दबे-कुचले मानस में सोचने की शक्ति भी शेष नहीं रही थी। उस जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए तथा वर्तमान दुर्दशा के कारणों को जानने के लिए गुप्तजी ने अतीत के वैभवशाली गौरव का चित्र अपने काव्य द्वारा प्रस्तुत किया। जिसके विषय में दिनकर ने लिखा है— 'कविवर मैथिली शरण गुप्त अतीत में झाँककर वर्तमान को उद्घाटित करने वाले कवि हैं।' इस संदर्भ में 'भारत-भारती' की पंक्ति देखी जा सकती है, — 'हम कौन थे? क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी?'² के द्वारा तत्कालीन सवालियों के प्रति लोगों में जिज्ञासा जगाई, जिससे वे भारतीय सांस्कृतिक गरिमा और सभ्यता को जान सकें तथा परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। उन्होंने अतीत के भव्य और उदात्त चरित्रों की कथा को अपने उल्लेखनीय काव्यग्रंथों के माध्यम युग की आवश्यकता के अनुसार एक कुशल चित्रकार की भांति नया रूप देकर प्रस्तुत किया। 'रामचरितमानस' की कथा का 'साकेत' के रूप में एवं महाभारत की कथा को 'द्वापर', 'जयभारत', 'जयद्रथ वध' इत्यादि के रूप में प्रस्तुतीकरण इसका उदाहरण है। वे अतीत की गौरवशाली परंपरा में विश्वास रखते थे और मानते थे कि भारत की प्राचीन सभ्यता ही जनता को वह संदेश और प्रेरणा दे सकती है, जिससे राष्ट्रीय भावना का निर्माण हो सके। तभी हमारा वर्तमान उज्ज्वल होगा। 'ज्यों-ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों हमारी संस्कृति उच्चता की ओर चढ़ती जाएगी।'³

फलतः, कवि 'रंग में भंग' में पूर्वजों का गुणगान करने को कहते हैं तो 'जयद्रथ वध' में अपने पूर्वजों के शील, सौजन्य आदि गुणों से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं :-

‘निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो।

सब आत्म परिभव तज निज रूप का चिंतन करो।।’⁴

कवि का मानना था कि परतंत्रता के सुप्त वातावरण में अतीत की जय ही जागरण ला सकेगी। 'मौर्य विजय' की भूमिका में उन्होंने कहा— 'यदि सौभाग्य से किसी जाति का अतीत गौरवपूर्ण हो और उस पर अभिमान करें तो उसका भविष्य भी गौरव पूर्ण हो सकता है।'⁵

इसीलिए, उन्होंने 'भारत-भारती' में भारत भूमि के लिए जनता में गौरव का भाव जगाया है :-

‘भूगोल का गौरव कहाँ, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ?

फैला हिमालय गिरि मनोहर और गंगाजल कहाँ?

संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?

उसका कि जो शिवभूमि है, वह कौन भारतवर्ष है।'⁶

‘मातृभूमि’ कविता में भारत की विराट मातृछवि अंकित की गई है :-

‘नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है,

सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है।

करते अभिषेक पयोधि हैं, बलिहारी उस विष की,
हे मातृभूमि तू सत्य ही शगुन मूर्ति सर्वेश की।⁷

इन पंक्तियों में जिस भारत की गौरव गाथा गाते हुए कवि थकते नहीं, उसी की वर्तमान कारुणिक स्थिति को भी चित्रित करते चलते हैं, जिससे भारतीय पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो सकें 'भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो/पुण्य भूमि कहाँ गई है, वह तुम्हारी श्री कहो/अब कमल क्या जल तक नहीं, सर मध्य केवल पंक है,/वह राजराज कुबेर अब हा, रंक का ही रंक है।'⁸

भारतवर्ष की वह आत्म दृष्टि, प्रकाश दर्शन, सद्विद्या और नैतिकता की शक्ति अब नष्ट हो गई है। कवि-दृष्टि में यह सदा खटक रहा है कि 'भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में'। अब की स्थिति तो यह है :-

'दायें तथा बायें सदा सहचर हमारे चार हैं, अविचार, अंधाचार, व्यभिचार, अत्याचार हैं, मार्तंड थे जो अब वही हिमखंड होकर बह रहे, वह आप कुछ ना कहें भले ही कर्म उनके कह रहे।'⁹

इसी अकर्मण्यता से दुःखी होकर दीनबंधु ईश्वर से कवि उसके पुनरुद्धार की प्रार्थना करते हैं। यह भी उनकी राष्ट्रीयता ही है :-

'हे दीनबंधु! क्या हमारा नाम ही मिट जायेगा,/अब फिर कृपा कण भी न क्या भारत तुम्हारा पाएगा?' और 'साकेत' के राम से कहलवाते हैं :-

'पुण्य भूमि पर पाप कभी हम सह न सकेंगे पीड़क पापी यहाँ और अब रह ना सकेंगे।'

लगता है कि श्री रामचंद्र के बहाने कवि भारत के सचेत जाग्रत युवाओं को संकल्प बद्ध कर रहे हैं। गुप्तजी स्वतंत्र भारत के नागरिकों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि, शिक्षा ही हमारी सारी समस्याओं का मूल है। शिक्षा के बिना मनुष्य गूंगा, बहरा और अंधा होता है। वे कहते हैं :-

'सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में।'

गुप्त जी कर्मानुरागी और पुरुषार्थवादी थे। पुरुषार्थ करने वाले लोगों का ही भगवान साथ देते हैं :-

'कर्तव्य करना चाहिए होगी ना क्या प्रभु की दया?'

यही नहीं, कर्तव्य करते हुए अधिकार के प्रति भी सचेत रहना होगा। अधिकार की ओर ध्यान न देकर केवल कर्तव्य करने वाले के अधिकार छिन जाते हैं। वह केवल कर्तव्य का दास बना रह जाता है, जो गुलामी है। स्वतंत्र देश की मानसिकता और कार्यकलाप स्वतंत्र होने चाहिए। तभी स्वस्थ विकास संभव है। कहते हैं :-

'अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।'⁹

गुप्तजी ने अनुभव किया था कि देश की गुलामी का कारण भारतीयों में संगठन का अभाव था। जाति-पाति, ऊँच-नीच, गरीब-अमीर, स्त्री-पुरुष आदि अनेक स्तरों पर लोग बंटे हुए थे। वे मानते थे, हमारा कल्याण तब तक नहीं हो सकता, जब तक सभी भारतीय एक न हो जाएं। उन्होंने उनमें व्यापक बंधुत्व की कामना की:-

'हम सब हैं हिंदू संतान, जिये हमारा हिंदुस्तान/जैन, आर्य, बौद्ध अशेष, सभी हिंदू कुल के ही वेश' तथा 'आओ मिलें सब देश बांधव हार बनकर देश के।'

यह तत्कालीन परिस्थिति में अत्यावश्यक था। क्योंकि, एक ओर भारतीय आपस में ही लड़-झगड़ रहे थे तो दूसरी ओर अंग्रेज उन्हें लड़ा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे।

गुप्तजी ने स्वतंत्र देश की गरिमा के लिए उसकी अपनी भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय

भाषा के माध्यम से ही राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। राष्ट्रभाषा के अभाव में कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। राष्ट्रभाषा से किसी राष्ट्र की दूसरे के समक्ष अपनी अलग पहचान बनती है और उसके निर्माण में देश के कवियों-लेखकों का पर्याप्त योगदान होता है। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति 'भारत भारती' में राष्ट्रभाषा के विषय में भी चिंता प्रकट की है।

‘है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं/हम निर्विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहीं/इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी/भाषा बिना भावैकता अब तक न हममें आ सकी।’

खेद की बात है कि आजादी के 70 साल बाद हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर सही अर्थ में प्रतिष्ठित न हो सकी।

मैथिलीशरण गुप्त जी ने न केवल राष्ट्रभाषा की वकालत की, बल्कि राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने खड़ीबोली को भावानुकूल यथेष्ट परिमार्जित किया। सुसंस्कारित किया। इस संबंध में डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ ने लिखा है – ‘राष्ट्र कवि ने अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा के बहुविध प्रयोगों द्वारा काव्य को नवीन भाषा-सौंदर्य प्रदान कर जहाँ खड़ी बोली को काव्योचित और लोकव्यवहारिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, वहीं सर्वग्राही शब्दावली के उपयुक्त चयन के लिए दिशा-निर्देशित करते हुए राष्ट्रभाषा के स्वरूप के निर्धारण में भी योग दिया।’

भूमंडलीकरण के इस दौर में राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान कराने वाली और उसकी रक्षा के लिए किए जाने वाले संघर्ष का चित्रण करने वाली गुप्त जी की राष्ट्रीय कविताओं का महत्व असंदिग्ध है।¹⁰

अब तक के विवेचन के आलोक में कहा जा सकता है कि मैथिलीशरण गुप्त सच्चे अर्थ में राष्ट्रीयता के गौरव गायक हैं।

संदर्भ सूची :-

1. द्वापर आलोक : श्री मलिक नाथ नोवेल्टी एंड कंपनी पटना पृष्ठ संख्या- 6
2. भारत-भारती : मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी, संवत्- 1981, प्रथम संस्करण
3. रंग में भंग : मैथिलीशरण गुप्त।
4. जयद्रथ वध : मैथिलीशरण गुप्त।
5. मौर्य विजय : मैथिलीशरण गुप्त।
6. भारत भारती : मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी।
7. मातृभूमि (कविता) : मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी, संवत् 1981 प्रथम संस्करण।
8. भारत भारती : मैथिलीशरण गुप्त, वही।
9. जयद्रथ वध : मैथिलीशरण गुप्त।
10. नंदकिशोर नवल, पहला संस्करण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली – 2011, पृष्ठ संख्या-423

pratibha.rajhans40@gmail.com

वेद : मानवीय मूल्य

जेठाराम

सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय, खिवसर, जिला—नागौर।

विषय संकेत :- आधुनिक परिपेक्ष्य में नैतिक मानवीय मूल्य।

समाज जीवन में मूल्यों की महत्ता असंदिग्ध है। किसी भी समाज में प्रचलित मानवीय मूल्य उस संस्कृति की उच्चता के परिचायक होते हैं प्राचीन आर्य चिंतन में आविष्कृत मूल्यों की वर्तमान संदर्भ में परीक्षण का प्रयास न केवल भारतीय साहित्य की उच्चता का बोध करना है बल्कि जीवंत समाज की अक्षुण्ण सांस्कृतिक परंपरा का अन्वेषण है। प्रस्तुत शोध आलेख इसी आमुष्मिक चिंतन का प्रतिफलन है।

‘ऋग्वेद में ऋत् अर्थात् सत्य को धर्म कहा गया है सुगा ऋतस्य पन्याः।’ समस्त चराचर में व्याप्त जगत् शब्द सत्य तथा तप का व्यंजक है और धार्मिक क्षेत्र में यह यज्ञ और संस्कार का द्योतक है। ऋग्वेद (10/190) के एक सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आरम्भ में तप से ऋत की उत्पत्ति हुयी। उसके पश्चात् रात्रि, सागर, वर्ष एवं फिर विधाता ने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु तथा अन्तरिक्ष का सृजन किया। इस प्रकाश ऋत का अस्तित्व एवं महत्त्व स्वतः सिद्ध है। वेदों में ऋत का अर्थ—अनुशासन या व्यवस्था से लिया गया है। ऐसा अनुशासन, जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। इस कठोर नियम से आबद्ध ऋग्वेद के ऊषा सम्बन्धी एक ऋचा में भी कहा गया है कि द्युलोक एवं द्युस्थानीय ज्योतिर्मय वस्त्रों को धारण किये हुये, सबके प्रति सद्भावना रखने वाली यह ऊषा देवी सामने दृष्टिगोचर हो रही है। मानो वह सत्य के मार्ग का बुद्धिपूर्वक अनुसरण करती हुयी कभी भी अपने नियमों का अतिक्रमण नहीं करती है।

एष दिवोदुहिताप्रत्यदर्शिज्योतिर्वसनासुमनापुरस्तात्। ऋतस्य पन्थानमन्वेतिसाधुप्रांजतीव न दिशोमिनाति।।

वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों में भी सत्य का प्रभावशाली वर्णन देखने को मिलता है।

कठोपनिषद् में कहा गया है कि परम सत्य ऋत, वाणी, मन और दृष्टि से अतीत है :-

“नैववाचा न मनसाप्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा।”

इस प्रकार यदि ऋत के सिद्धान्त पर विचार किया जाये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा ही वेद की विश्व जनीन संस्तुति का निरूपण हुआ है। उसके मूल में महान भारतीय आदर्श निहित है। आधुनिक भौतिकवादी विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु के बाह्य रूप का आधार उसका भीतरी रूप होता है जोकि अप्रत्यक्ष या अदृष्ट है। प्रति रूप में वही मूल सत्ता ऋत है, जोकि सारी सृष्टि नियमित तथा संचालित किये है। वैदिक वाङ्मय की दिव्य एवं उदात्त भावना का यही आधार है। वेद में द्वेष को ऐसा मानवीय दुर्गुण कहा है, जिससे सिवाय शत्रुता के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए अथर्ववेदीय ‘मनसा परिक्रमा’ के मन्त्र में द्वेष की

प्रवृत्ति को प्रभु की न्याय व्यवस्था में रखने की बात कही है। यजुर्वेद में परस्पर मिलकर रक्षा करने, भोज्य पदार्थों का सेवन करने, अध्ययन करने की चर्चा कर मैत्री भाव रखना एवं द्वेषभावों से सुतराम् दूर रहने पर बल दिया गया है।

सहनाववतु। सहनौभुनक्तु। सहवीर्य करवाव है। तेजस्विना वधीतमस्तु। मा विधिषाव है।

वैदिक वाङ्मय में मानव मूल्यों के सार्वभौम स्वरूप का सम्यक् विश्लेषण किया गया है। सम्पूर्ण मानव जाति को एक ही पिता की सन्तान मानकर राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँधने की बात कही गयी है। इस प्रकार की भावना से पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष स्वतः समाप्त हो सकते हैं।

“सः नः पितेवसूनेवेऽग्नेसूपायनोभव। सचस्वा नः स्वस्तये।”

किसी भी समाज की उन्नति तभी सम्भव है जब लोगों में एक-दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग, प्रेम, परोपकार आदि की भावना विद्यमान हो।

संगच्छध्वंसंवदध्वं सं वो मनांसिजानताम। देवाभागं यथापूर्वसंजानानाउपासते।।

अर्थात् हम सब परस्पर मिल कर रहें, एक साथ स्त्रोत पाठ करें, हम सबका मन एक समान हो, हम सब उसी प्रकार एक साथ अपना प्राप्य ग्रहण करें, जैसे देवतागण एक साथ मिलकर अविरोध भाव से अपना हविभाग ग्रहण करते हैं।

मानवीय मूल्यों या नैतिक गुणों पर यदि विचार करें तो हमें समस्त वैदिक साहित्य मानवीय मूल्यों से ओते-प्रोत मिलेगा। वैदिक साहित्य से लेकर वेदांगों में जहाँ एक ओर सत्यवादिता, श्रेष्ठजनों के प्रति सम्मान, त्याग, सदाचार, सत्संगति, अतिथि सत्कार, दान-धर्म एवं ‘ईशावास्यमिदं, सर्वं’ ‘भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम’, ‘तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु’ सद्दशमंत्रों द्वारा ईश्वर की व्यापकता एवं अनासक्त भाव का सम्पोषण जैसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानवीय मूल्य दृष्टिगोचर होते हैं, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक सौमनस्य, विश्व बन्धुत्व की भावना एवं देशानुराग भी भारतीय आर्यों में चरमोत्कर्ष पर था, जो आज समग्र मानव जाति के लिये पथ-प्रदर्शक का कार्य सम्पन्न करता है। यदि हम वैदिक शिक्षाओं एवं सिद्धान्तों को स्थापित करें, तो पुनः प्रेम, दया, परोपकार, सहानुभूति आदि की भावना का विकास करके समाज के दृढ़ बनाया जा सकता है। मानव एक बुद्धिजीवी प्राण है और बुद्धि तत्त्व की कामना वेद में बहुत देखने को मिलती है। वेद ने उसे मानव होते हुये भी सच्चे अर्थों में मानव बनने एवं दिव्य गुणों के धारण करने की धारणाओं से अवगत कराना आवश्यक समझा है ‘मनुर्भवजनयादैवयंजनम्।’

मानव के जीवन में अनेकानेक विघ्न बाधाओं के फलस्वरूप मानवीय मूल्यों के गिरने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिये सतत् सावधानी बरतने की दृष्टि से उसे वेद ने मनुर्भव का उपदेश दिया है, यहीं मानव को अत्यधिक उदात्त मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन की बात कही गयी है, इन्हीं को लक्ष्य कर वेद ने उदात्त मानव मूल्यों के आश्रम में रहकर जीवन जीने की चर्चा की है, इन्हीं मानवीय मूल्यों के स्वरूप को सरल, सरस, हृदय ग्राह्य एवं लौकिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

वेदों में प्रतिपादित नैतिक एवं मानवीय मूल्य किसी स्थान, काल या देश धर्म की परिधि में बँधे हुये नहीं हैं अपितु शाश्वत सार्वभौम तथा सार्वकालिक हैं। यही कारण है कि युगों से मानव मात्र का मार्गदर्शन करता हुआ यह वैदिक साहित्य आज भी तथा आने वाले युगों पर्यन्त ‘सर्वजनहिताय एवं सर्वजनसुखाय’ कल्याण कारक नीति-नियमों, आदर्शों तथा संस्कारों का दिग्दर्शन तथा उद्घोष करने में समर्थ है।

वैदिक कालीन शिक्षा ने संतुलित एवं सुशिक्षित व्यक्तित्व के निर्माण का सदैव उपदेश दिया है और ऐसे मूल्य स्थापित किये हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस सन्दर्भ में यदि हम वैदिक साहित्य को देखें तो हम पाते हैं कि सभी मनुष्यों की पृष्ठभूमि ऐसी बनायी गयी है कि वे देश हित एवं मानवहित से अलग सोच ही नहीं सकते। वेदों में कहा गया है कि जिनके पढ़ाने से विद्या बढ़े, उसके संग से समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें एवं वे विद्यायें अधिक उचित होती हैं, जिनसे व्यक्ति के आन्तरिक गुणों का विकास होता है। जो मनुष्य विद्या और सुशिक्षा चाहते हैं उनको धर्मपूर्वक विद्या देना चाहिये, तथा जो अधिक विद्या वाले हैं उनसे विद्या ग्रहण करना चाहिये। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है—

ब्रह्माणि में मतयः शं सतासः शुष्मऽइयर्तिप्रभृतोमेऽद्रिः। आ शासतेप्रति हर्यन्त्युक्थेमाहरीवहतस्तानोऽअच्छा।।
मानवीय जीवन के सौन्दर्य में मधुरता की अहं भूमिका वेद ने रेखांकित किया है। मधुरता का अभिप्राय सहजता, नैसर्गिकता, सरलता एवं मुधुर वाक् प्रयोग है। मधुर वाणी प्रयोग का उद्देश्य दुःखों से रक्षा करना माना जाता है। कर्कश व्यवहार एवं कठोर वाणी का प्रयोग वस्तुतः सामाजिक अथवा वैधानिक दृष्टि विशेष दोष या अपराध न होने पर भी मानवीय दृष्टि से अपराध माना जाता है। ऋग्वेद ने कर्कश व्यवहार कर्ता एवं कठोरवाक् प्रयोग करने वालों की निन्दा करते हुये उन्हें गर्हित व्यक्ति कहा है।

“इन्द्राग्नी अवसा गमतस्यभ्यंचर्षणीसहामानोदुःशंसः ईशत।”

जीवन की मधुरता अथवा कटुता क्रमशः निर्भर करती है मधुर वाग्व्यवहार पर। अतः मानवीय जीवन अच्छा, मधुर एवं सुखकार हो, एतदर्थ अथर्ववेद में मधुरता का उल्लेख उदात्त रूप से मिलता है। इसी के साथ ही परस्पर मधुर सम्भाषण करने, वृक्षों का मधुरता से सम्मान करने, सुविचार शीलों को एकमत होने पर पर्याप्त बल दिया गया है।

इस प्रकार आज के भौतिकवादी युग में मानव कल्याण के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है वे मानवतावादी मूल्य वैदिक साहित्य में सहज की सुलभ है। यदि आज हम इन वैदिक मूल्यों एवं सिद्धान्तों को स्थापित करें तो पुनः विश्व में प्रेम, दया, सौहार्द की भावना का विकास करके समाज को दृढ़ बनाया जा सकता है।

आभार एवं सन्दर्भ :-

1. ऋग्वेद : 10/3/6
2. ऋग्वेद : 1/124/3
3. कठोपनिषद् : 6/12
4. तैत्तिरीय आरण्यक : 9/1
5. ईशावास्योपनिषद् : प्रथम मंत्र
6. ऋग्वेद : 7/94/7
7. जिह्वायाअग्रे मधुमेजिह्वामूले मधूकलम्। ममेदह कृतावसोममचित्तमुपयसिः मधुमन्मेनिक्रमणं मधुमन्मेपरायणम्।वाचावदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशम्।।
8. ऋग्वेद : 10/164/3

जेठाराम, मु.पो.—पाबुसर, तहसील—खिवसर, जिला—नागौर (राज.)

पश्चिमी राजस्थान मानसून अध्ययन

कैलाश प्रजापत

अतिथि शिक्षक, भूगोल, राजकीय महाविद्यालय कुचेरा नागौर (राजस्थान)

उद्देश्य :-

पश्चिमी राजस्थान में मानसून की बदलती हुई प्रकृति को समझा तथा पहले से अकाल जैसी भयंकर विभिषिका से कैसे बचा जा सके इसके लिए पहले से ही ठोस रणनीति बनाना जैसे ठोस जल संरक्षण नीति का निर्माण आदि।

भारत एक मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है अतः पश्चिमी राजस्थान की जलवायु मानसूनी प्रभाववाली गर्म एवं शुष्क मरुस्थली प्रकार की है। गर्मियों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक एवं सदियों में न्यूनतम तापमान -1 सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है वर्षा का औसत 10 से 50 CM के बीच रहता है इसके अलावा गर्मी की ऋतु में गर्म हवाएं चलती रहती है जिन्हें लू कहते हैं तथा शरद ऋतु में ठण्डी हवाएं चलती है।

इस क्षेत्र की यह विशेषता है कि दिन अधिक गर्म व राते ठण्डी होती है। वार्षिक एवं दैनिक तापान्तर अधिक रहता है।

जलवायु विभिन्न भौगोलिक दशाओं का योग होता है जो विभिन्न प्राकृतिक तत्वों सेना केवल स्वयं प्रभावित होता है किन्तु अपने प्रभाव से किसी क्षेत्र विशेष के विशाल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अतः जलवायु और मनुष्य के क्रियाकलापों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष कारकों में जहाँ सूर्यात आर्द्रता हवा वनस्पति आदि सम्मिलित है वहीं इसके प्रत्यक्ष कारकों में भू-आकृति, जल प्रवाह प्रणाली आदि को शामिल किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में मानसूनी जलवायु के फलस्वरूप यहाँ के मौसम में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं तथा इन उतार-चढ़ाव का प्रभाव लम्बे समय तक चलने वाले अकाल तथा कभी-कभार भारी वर्षा के रूप में देखा जा सकता है। मूल रूप से रेतीला स्थल खण्ड होने के कारण को यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रभाववाली गर्म व शुष्क मरुस्थली है।

शीत मानसून की ऋतु :-

(1) शीत ऋतु (दिसम्बर-फरवरी)

वास्तविक शीत ऋतु का प्रारम्भ दिसम्बर माह में होता है क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है। इस समय उत्तरी भागों से उत्तरी-पूर्वी हवाएं राज्य की ओर प्रवाहित होती हैं तो दुसरी ओर पश्चिम की ओर से आने वाले शीतकालीन चक्रवात भी प्रवेश करते हैं। इन चक्रवातों से कुछ वर्षा भी हो जाती है जिन्हें स्थानीय भाषा

में मावट की कहते हैं। यह वर्षा गेहूँ एवं शीतकालीन फसलों के लिए वरदान है जनवरी में अधिकतम मासिक माध्य तापमान 21.1 सेन्टीग्रेड और न्यूनतम तापमान 4.1 सेन्टीग्रेड रहता है।

(2) ग्रीष्म ऋतु (मार्च-जून) :-

सूर्य के उत्तरायण होने की दशा में ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ मार्च माह से ही हो जाता है तथा इसका प्रभाव जून तथा आशिक मात्रा में जुलाई तक देखने को मिलता है यहाँ बालू क्षेत्र होने व मिट्टी की अधिकता होने के कारण गर्मियों में मिट्टी अपने चरम परताप बिन्दू-पर होती है। गर्मियों का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेन्टीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस ऋतु में दैनिक तापान्तर 25 से 30 तक पाया जाता है।

ग्रीष्म मानसून की ऋतु :-

(3) वर्षा ऋतु (जून-सितम्बर) :-

मानसूनी जलवायु होने के कारण वर्षा में अनियमितता किसानों की प्रमुख कृषि समस्याओं में से एक है। अगस्त से सितम्बर माह में यहाँ औसतन अच्छी वर्षा जरूर होती है यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10-15 CM पाई जाती है यहाँ के मनुष्यों व पशु-पक्षियों का जीवन काफी हद तक वर्षा पर ही निर्भर करता है। यहाँ के निवासियों में तालाबों व कुण्डों में वर्षा के जल को एकत्रित करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।

(4) पतझड़ ऋतु (सितम्बर-नवम्बर) :-

वर्षा ऋतु के पश्चात् सितम्बर माह के अन्त से यहां पतझड़ ऋतु का आरम्भ हो जाता है। इस समय पेड़ों के पत्ते झड़ने प्रारम्भ हो जाते हैं तथा इस समय दिनभर सुहावनी हवायें चलती रहती है।

वर्षा :-

अध्ययन क्षेत्र में जिलानुसार औसत वर्षा M.M. 2021

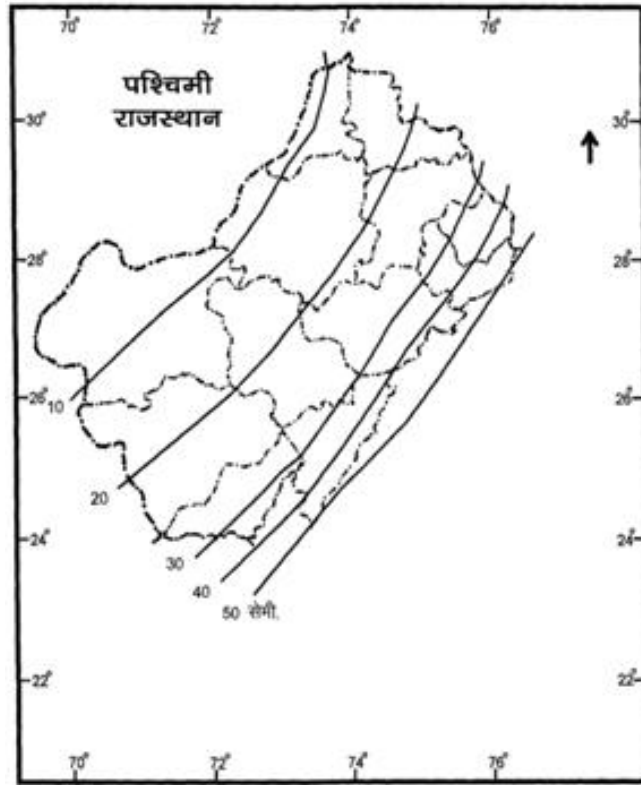
सीकर	582.6	झुन्झुनू	459.9
जालोर	333.9	पली	396.7
नागोर	485.9	चुरू	521.5
जोधपुर	294.3	बाड़मेर	242.7
श्रीगंगानगर	143.3	हनुमानगढ़	293.5
बीकानेर	282.3	जैसलमेर	273.5

मौसम विभाग, जयपुर।

Rainfall during South-West Monsoon 2021 (West Rajasthan)

Month	MM
June	50.2
July	80.7
August	38.3
September	148.4

पश्चिमी राजस्थान सम वृष्टि रेखा :-



मानचित्र 2.5 : पश्चिमी राजस्थान के जिलों में वर्षा समवृष्टि रेखाएँ

पश्चिमी राजस्थान के जिलों की वार्षिक वर्षा 2015-2021

जिले	वार्षिक वर्षा (m.m.)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
बाड़मेर	311.0	291	493	153	486	346	206
बीकानेर	475	426.0	221	416	402	250	312
चुरू	500	575	343	394	488	515	650
श्रीगंगानगर	454.0	285	388	272	368	493	359
हनुमानगढ़	390	195	212	116	335	205	288
जैसलमेर	390	212	334	199	341	379	353
जालौर	779.6	1003	—	211	684	818	455
झुंझुनू	404.6	490.6	334	418	692	486.8	494
जोधपुर	540	540	453	279	542	362.8	213
नागौर	462.5	448	289	214	317	436	429
पली	502	750	861	265	827	556	508
सीकर	754	395	294	405	766	497	765

Source :- kajarienvs.nic report 2023

इन जिलों में वर्षा की मात्रा में प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। सन् 2015 से 2021 के मध्य सबसे कम वर्षा 2018 में हनुमानगढ़ जिले में अंकित की गई जो 116 mm थी। तथा सर्वाधिक वर्षा जालौर में जो 1003 mm थी।

जिले	वर्षा के दिनों की संख्या 2015-2021						
बाड़मेर	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
बीकानेर	21	16	21	6	29	23	15
चुरू	30	23	22	21	29	24	21
श्रीगंगानगर	35	28	25	24	27	31	38
हनुमानगढ़	26	19	17	15	24	28	16
जैसलमेर	29	18	15	10	20	22	24
जालौर	29	12	23	7	28	22	16
झुंझुनू	19	19	—	12	33	48	33
जोधपुर	28	27	27	29	34	34	32
नागौर	21	21	30	15	27	31	25
पली	21	30	23	16	18	28	25
सीकर	20	23	30	17	20	27	23
बीकानेर	41	29	27	28	37	34	36

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या में काफी उतार-चढ़ाव प्रतीत होता है। सन् 2018 में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में वर्षा के दिनों की संख्या सबसे कम रही।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मानसून की अनियमितता अनिश्चितता हमें साही बनी रहती है। पश्चिमी राजस्थान के लिए एक कहावत है तीजो कुरियो आठो काल अर्थात् प्रत्येक तीसरे वर्ष कुरिया (छोटा अकाल अर्द्ध अकाल) तथा प्रत्येक आठ वे साल भयंकर अकाल पड़ता है जो उपरोक्त शोध से वर्णित भी होता है।

सन्दर्भ :-

1. काजरी रिपोर्ट, 2022
2. Chatter Ji, P.C. and Sexena 1998 : Canal Irrigation in Arid Zone of Rajasthan and its Ecological Implications.
3. Economic and Statistical Directorate (2013) : District Statistical Outline, 2013 District Bikaner, Economic and Statistical Directorate, Rajasthan, Jodhpur
4. Hari Mohan : Rajasthan Geography.

गुप्त काल : स्थापत्य कला

जेठाराम

सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय, खिवसर, जिला-नागौर।

विषय संकेत :- कला का स्वरूप।

गुप्त युग और उसके काल के कुछ बड़े मन्दिर जो अलंकृत ईंटों मृण्मयी मूर्तियों और फलकों से बने हैं। 1 अभी तक इस कला के महत्वपूर्ण पद की सूचना देते हैं। कानपुर के पास भीतर गाँव का मन्दिर, सीरपुर का लक्ष्मण मन्दिर, सारनाथ का छोटा मृण्मय स्तूप, पहाड़पुर का बड़ा स्तूप, जिसकी सजावट में हजारों मिट्टी की मूर्तियाँ लगी थी और महास्थान के अवशेष इस बात के साक्षी हैं कि इस कला में इतनी उन्नति की थी अहिच्छत्रा के त्रिमेधि एडव या शिव मन्दिर में लगे हुए मिट्टी के बड़े फलक बहुत ही सुन्दर कला के परिचायक हैं। मीरपुर खास में प्राप्त बौद्ध स्तूप के अवशेष मूर्तियों और अलंकृत दृष्टिकाओं की रचना में नये सौष्ठव का परिचय देते हैं। बाण ने कादम्बरी में लिखते हुए चतुर्विधि कलाओं का उल्लेख किया है जैसे-वास्तु कला में स्तम्भ प्रदान होते थे, शिल्प कला जिसमें उत्कीर्णन क्रिया मुख्य होती थी चित्रकला जिसमें आलेखन प्रधान होता था और पुस्त कर्म जिसमें मिट्टी की मूर्तियाँ और गचकारी का काम मुख्य होता था। उन्होंने अपने युग में इन दृश्यों की ओर हाथ उठाते हुए कहा है कि दिशाएं इन चार कलाओं से भर गयी थी।

गुप्तकाल में व्याप्त धार्मिक और आध्यात्मिक संवेदना है। अजन्ता की गुफाओं में देवताओं, ऋषियों, राजाओं, रानियों और उनके अनुचरों के चित्रों से अच्छाई और बुराई का पता चलता है। गुप्त कला से शैली की सरलता और अभिव्यक्ति की सुगमता का पता चलता है। महान् विचारों को प्राकृतिक और सरल ढंग से स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया। बायाकार और आन्तरिक अर्थ को उसी प्रकार मिला दिया गया जैसे शरीर और आत्मा मिले हुए हैं। विद्वानों के विचार में गुप्तकला प्राचीन भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसे केवल भारत में ही विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं हुआ बल्कि वृहत्तर भारत में भी इसे ले जाया गया। इसने भारत में तथा विदेशों में आश्चर्यपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की। विशेषकर गुफाओं की दीवारों को मध्य एशिया और चीन में पहुंचाया गया।

मूर्तिकला :-

“गुप्त कला को मूर्तिकला का सम्मान प्राप्त है। कुशल कलाकार की छेनी ने पत्थर को स्थाई सौन्दर्य और लालित्य प्रदान किया गुप्त मूर्ति कला की सफलता कुषाण मूर्तियों की कामुकता और प्रारम्भिक मध्ययुगीन कला की प्रतीकात्मकता कल्पना के सन्तुलित सम्मिश्रण में है। नग्नता गुप्तकला से पूरी तरह लुप्त हो गई। शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिये गुप्त कलाकार ने वस्त्रों का प्रयोग किया। गुप्तकला की बुद्ध मूर्तियों से स्पष्ट दिखाई देती है। सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मथुरा अजायब घर में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में बुद्ध

की ताँबे की मूर्ति इस कला के नमूने हैं। उनमें केवल बुद्ध की मुस्कान ही नहीं उनकी शान्त चिन्तन मुद्रा भी दिखाई देती है। गुप्तकाल की बौद्ध मूर्तियों के सुन्दर घुंघराले बाल हैं। बुद्ध मूर्ति के दीप्तिचक्र में विभिन्न प्रकार के ललित अलंकार प्रयोग किये गये। गुप्त कलाकारों ने पारदर्शक वस्त्र प्रयोग किये। किन्तु मूर्तियों में कला की नवीनता तथा संजीवता दिखाई देती है। अत्यन्त सुन्दर शिव मूर्तियों में है कुछ गुप्तकाल में ही बनाई गई। यह सत्य है किलिंग के रूप में शिव की पूजा कुषाण युग में होती थी, लेकिन “एकमुखी” और “चतुर्मुखी” शिवलिंग गुप्त कलाकारों की ही देन है। गुप्त कलाकारों ने शिव के “अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी की जिसमें देवता को आधा पुरुष और आधा नारी दिखाया गया है। गुप्त मूर्तियों से ज्ञात होता है कि विष्णु और उसके विभिन्न अवतारों की पूजा उस समय बहुत लोकप्रिय थी। मथुरा से प्राप्त विष्णु की मूर्ति गुप्तनम्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है।

इसमें संतोष और शान्त आत्म चिन्तन दिखाई देता है। विष्णु की मूर्ति में मानव सिर के साथ वाराह और सिंह के सिर दिखाये हैं। गढ़वाल और मथुरा की विष्णु मूर्तियों में एक केन्द्रीय मानव आकृति के चारों ओर दीप्तिमान सिर दिखाये गये हैं। उदयगिरि की विशाल वाराह मूर्ति लगभग 400 ई. 01 को गुप्त मूर्तिकारों की कुशलता का स्मारक माना गया है। इसका आकार और सशक्त परिष्कृति इसकी पृष्ठभूमि की छोटे आकार के दृश्यों के सम्मुख सुन्दर विषमता के रूप में प्रस्तुत होती है। दो पार्श्विक दृश्य भी असाधारण महत्व लिये हुये हैं, जिनमें गंगा, यमुना के जन्म, प्रयाग में उनके संगम और सागर में उनके विलीन होने के दृश्य प्रस्तुत किये गये हैं। सम्पूर्ण दृश्य में कविता की संवेदना है और सम्भवतः इसमें मध्य प्रदेश के आदर्श रूप में दिखाया गया है जो विशाल साम्राज्य का केन्द्र था। इसके चिन्ह थे गंगा और यमुना देवियां, जो अपने-अपने वाहन मगर और कछुए पर खड़ी हैं।

गुप्त कलाकारों में विष्णु और शिव के विभिन्न अवतारों की कथाओं को कुशलतापूर्वक व्यक्त किया है। देवगढ़ मन्दिर में राम और कृष्ण की काव्य कथाओं के दृश्यों को चित्रित किया गया है। कृष्ण से संबंधित किंवदन्तियां भी दिखाई गयी हैं जैसे कृष्ण का गोकुल जाना, दूध की गाड़ी को ठोकर मारना, कंस को बालों से पकड़ना आदि। एक दृश्य में कृष्ण, रूकमणी और सुदामा को इकट्ठे दिखाया गया है। “रामायण” के कुछ दृश्य भी प्रस्तुत किये गये हैं, जैसे राम-लक्ष्मण और सीता का वन प्रस्थान, अगस्त्य ऋषि से उनकी भेंट, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना आदि। “गजेन्द्र मोक्ष अनन्त पर लेटा हुआ विष्णु और हिमालय में नर तथा नारायण जिन्हें देवगढ़ के मन्दिर में चित्रित किया गया है, हिन्दू मूर्ति कला की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में है।

भवन निर्माण कला :-

जबलपुर जिले में टिगवा स्थित विष्णु मंदिर, भूतपूर्व नागोड़ राज्य में भूमरा स्थित शिव मंदिर भूतपूर्व अजयगढ़ राज्य में नचना कुठार स्थित पार्वती मन्दिर, सांची तथा बोधगया के बौद्ध मन्दिर, देवगढ़ में दशावतार मन्दिर, असम के दागर जिले में ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित दाह पार्वतिया का मन्दिर और भूतपूर्व नागोड़ राज्य में खोह स्थित शिव मन्दिर, गुप्तकाल के अवशिष्ट मन्दिर हैं। 3 इस मन्दिर से प्राप्त उत्तम “एकमुखी” लिंग तथा “गणों को चित्रित करने वाली बहुत सी मूर्तियां अब इलाहाबाद अजायब घर में रखी हुयी हैं इनके अतिरिक्त गुप्तकाल के ईंटों के बने हुये मन्दिर कानपुर जिले के भीतर गांव बंगाल में पहाड़पुर तथा मध्य प्रदेश में सीरपुर में भी स्थित है। भीतर गांव के मन्दिर की छत शुण्डाकार है। इसकी दीवारों को टेरा कोटा की पट्टियों से सजाया गया है। उनमें हिन्दू पौराणिक कथायें प्रस्तुत की गयी हैं। डॉ. अग्रवाल ने लिखा है कि इस मन्दिर का विशेष

महत्व है क्योंकि इसमें भारत की पूर्वतम् वास्तविक मेहराब पायी गयीं हैं।

पत्थरों के बने हुये मन्दिर छोटे-छोटे और सामान्य है। उन्हें केवल मूर्तियों के लिए बनाया गया है और उपासकों के लिए उनमें कोई स्थान न था, उनकी छत प्रायः चपटी है। पत्थर तरासी बहुत अच्छी की गयी है, उनमें किसी प्रकार का गारा चूना नहीं लगाया गया है, उनमें ऊँचे “शिखर” या बड़े-बड़े “मण्डप” नहीं हैं। देवगढ़ के दशावतार मन्दिर का शिखर शुरू में 40 फुट ऊँचा था। पर्सों ब्राउन के अनुसार पूर्णवस्था में देवगढ़ का दशावतार मन्दिर इसके विभिन्न भागों के क्रम की दृष्टि से असाधारण था। कहा गया है कि बहुत कम स्मारकों में देवगढ़ के मन्दिर की सी कारीगरी दिखाई गयी है। इस मन्दिर की मूर्तिकला में परिपक्वता और परिष्कृति दिखायी देती है। यह उल्लेखनीय है कि मूर्ति स्थान का प्रवेश द्वारा ही गुप्तकालीन मन्दिरों के मुख्य आकर्षण का केन्द्र था। जौलियां, चासंगा और पुष्क लवती के पास प्राचीन स्थानों में पाये गये बौद्ध स्तूप पूजा स्थान तथा विहार उल्लेखनीय हैं। मुहरा मराडू में एक सभी सदन, जलपान गृह, रसोई, भण्डारागार तथा शौचालय मिले हैं। सारनाथ में की गयी खुदाई से एक बुद्ध मन्दिर तथा बहुत विहार निकले हैं। राजगीर में जरासंध की बैठक में पाया गया स्तूप तथा सारनाथ में धामेख स्तूप भी गुप्तकाल के हैं। सारनाथ का स्तूप 128 फुट ऊँचा है। इसके चारों कोनों पर बुद्ध की मूर्तियों के चार गवाक्ष बने हुए हैं। नरसिंह गुप्त बाला दित्य ने नालन्दा में ईंटों का एक बौद्ध मन्दिर बनवाया। यह 300 फुट ऊँचा था। गुप्तकाल की मुख्य गुफायें अजन्ता और आन्ध्र प्रदेश की हैं। गुप्तकाल में अजन्ता में चैत्य तथा विहार गुफाएँ खोदी गयी। विहार गुफायें 13 और 17 नं. तथा चैत्य गुफा 19 नं. अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये गुफायें गुप्तकाल की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियां हैं। प्रत्येक गुफा में बहुत से स्तम्भ हैं उनकी सुन्दरता तथा भिन्नता विशिष्ट हैं। मुगल राजपुरम् उण्डवल्ली तथा अक्कान्नाम दन्ना की गुफायें भी गुप्तकालीन हैं। उनके शिल्प कला सरल हैं। उनके स्तम्भ सादे किन्तु भारी हैं। भोपाल के निकट उदयगिरि के गुफा मन्दिर का कुछ भाग तो चट्टान में काटा गया है और कुछ पत्थरों से बनाया गया है।

आभार एवं सन्दर्भ :-

1. ई.सी. हैवेल : इण्डियन स्कल्पचर एण्ड पेन्टिंग्स, पृष्ठ सं. 73
2. वी.एस. अग्रवाल : गुप्तआर्ट, 1947, पृष्ठ सं. 231
3. महाजन : प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ सं. 517
4. वासुदेव शरण अग्रवाल : गुप्तकालीन कला, पृष्ठ सं. 37
5. आर. सी. मजूनदार : ए हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ ए इण्डियन पीपुल— वोल्यूम—3
6. वी.ए.स्मिथ : ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इण्डिया, पृष्ठ 178
7. पर्सोंब्राउन : इण्डियन आर्कीटेक्चर, बुद्धिष्ट एण्ड हिन्दु, पृष्ठ 115
8. सी. कार. : क्लासीकल इण्डियन स्कल्पचर, पृष्ठ सं. 146

जेठाराम

पता :-मु.पो.—पाबुसर, तहसील—खिंवसर, जिला—नागौर (राज.)

राष्ट्र की अवधारणा : बंकिमचन्द्र चटर्जी के विशेष सन्दर्भ में

राम अवतार
राजनीति विज्ञान।

मूल शब्द :- राष्ट्र, राष्ट्रवाद, बंकिमचन्द्र चटर्जी, आनन्दमठ।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। समय के साथ यह समृद्ध भी हुआ है। सुप्रसिद्ध लेखक बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास 'आनन्दमठ' भारतीय संस्कृति एवं देश भक्त का एक पर्याय बन गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने आनन्दमठ एवं उसके गीत 'वन्दे मातरम्' के माध्यम से व्यक्त राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक प्रभाव का विश्लेषण किया है।

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है भारतीय संस्कृति। युग-युगीन परम्पराओं ने इसका विकास किया और इसे समृद्धि प्रदान की प्रकृति ने भी भारत को एक पृथक राष्ट्र बनाया।¹ यद्यपि इसको अनेक विभाजनों ने विभिन्न आकारों में विभाजित किया है, किन्तु फिर भी इसकी विशेषता को कमतर नहीं आंका जा सकता।² हजारों वर्ष पूर्व लिखित विष्णु पुराण ने भी इसकी सीमाओं का विभाजन और उनका वर्णन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रतीकों के आधार पर ही किया था।

यथा—उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैवदक्षिणम्। वर्षतद्भारतं नाम भारती यत्र त्र सन्ततिः।।

यानि, जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है, उसमें भारत की सन्तान निवास करती है। यह पुत्र एवं माता का जो भाव है उसने इसे विभिन्न जाति, वर्ण, भाषा होने के बाद भी एक सूत्र में बाँधकर रखा और इस भाव को वेदों ने "माताभूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः", यानी यह जो भारत-भूमि है यह मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इसी के वशीभूत भारत-भूमि पर जो संस्कृति विकसित हुई, वह संस्कृति भारतीय संस्कृति के नाम से जगद् विख्यात हुई। यहाँ पर यह भी विचार करना समीचीन प्रतीत होता है कि अन्ततः संस्कृति होती क्या है? ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द के शब्दों में 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से भूषण अर्थ में सुट् का आगम करके क्तिन् प्रत्यय करने से 'संस्कृति' शब्द बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि भूषण युक्त सम्यक् कृति। इसलिए भूषण युक्त सम्यक् कृति या चेष्टा ही संस्कृति कही जा सकती है।

इस प्रकार भूषण युक्त सम्यक् कृतियों का सम्पूर्ण क्षेत्र संस्कृति का क्षेत्र है।³ इस प्रकार से हिमालय से समुद्रपर्यन्त जो भी क्रिया-कलाप सम्पादित किए गए वे संस्कृति का हिस्सा बनते गए। सबसे अच्छी बात यह रही कि संस्कृति में उन्हीं तत्वों को समाविष्ट किया गया जोकि सम्यक् थे, शेष तत्वों को विलग कर दिया गया और समान मूल तत्वों को समाविष्ट करके एक धारा बहती रही। भारत रत्न पुरुषोत्तम वामन काणे लिखते हैं कि,

“ऋग्वेद” के काल से अब तक चली आई अत्यन्त विलक्षण धारणा यह रही है कि मूल तत्त्व एक है, भले ही लोग उसे इन्द्र, मित्रा, वरुण, अग्नि आदि किसी भी नाम से क्यों न पूजित करें। महाभारत, पुराण, संस्कृत काव्य के काल एवं मध्य काल में जबकि विष्णु, शिव या शक्ति से सम्बन्धित बहुत से सम्प्रदाय थे, सभी हिन्दुओं (भारतीय, इस शब्द पर मेरा स्वयं का जोर है, क्योंकि आधुनिक काल में यह शब्द सही अर्थों में सर्व समावेशी है और संपौराणिक महत्त्व को भी प्रदर्शित करता है।) में यहाँ अन्तश्चेतना थी कि ईश्वर एक है, जिसके कई नाम हैं।⁶ यही भाव था जिसने सम्पूर्ण भारत वर्ष में वैविध्य का पोषण किया, यह वैविध्य चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, भारतीयों ने न केवल उसको स्वीकारा, बल्कि उसको अपने जीवन का अभीष्ट भी बना लिया, परिणाम स्वरूप उसने सम्पूर्ण सृष्टि में ही ईश्वर का दर्शन शुरू किया।⁷ यही विशेषता भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जैसे-जैसे यह भाव विकसित होता गया वैसे-वैसे भारतीय संस्कृति का व्याप भी बढ़ता गया और उसी प्रकार से विस्तृत होता चला गया भारतीय संस्कृति का वाग्मय। परिणाम स्वरूप मनुष्य के लौकिक-पार लौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आचार-विचार ही संस्कृति है।⁸ ऐसा इसलिए भी सम्भव हो सका, क्योंकि इसमें ‘सर्वभूतहितेतरतः’ को अपना मूल मंत्र मानकर विचार किया गया है। इस भाव ने संपूर्ण आर्यावर्त को एक सूत्र में गूँथकर रखा और यही दृष्टि ‘राष्ट्रवाद’ के पोषण में सहायक सिद्ध हुई। फलतः हिमालय से लेकर सिन्धु तक समस्त तत्वों में एकात्म भाव का उदय हुआ। इस एकात्म भाव ने संस्कृति आधारित सभ्यता का विकास किया और राष्ट्रवाद को भी सुदृढ़ता प्रदान की।

राष्ट्रीय अस्मिता पर विदेशी आक्रमण और भारतीय चेतना :-

भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि से प्रभावित होकर अनेक आक्रमण भारत पर हुए, किन्तु राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव के चलते वे या तो निष्क्रिय हो गये या भारत ने उन आक्रमणकारियों को अपने में समाहित कर लिया और इस प्रकार से कुछ मिश्रित जातियों का अभ्युदय हुआ। महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। राष्ट्रीय चेतना का विकास वैदिककाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, सतत् चलता रहा।¹⁸ कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कौटिल्य के काल में सम्राट चन्द्रगुप्त ने ही सोलह महाजनपदों को एक सूत्र में पिरोकर एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बनाने की कोशिश की थी, यह सत्य नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व भी अनेक प्रयत्न इस दृष्टिकोण से किये जा चुके थे। तब ही तो संस्कृत वाग्मय में अनेक ऐसे शब्द जिनका सम्बन्ध महान शक्तिशाली सम्प्रभु राज्यों से है आते हैं। जैसे-अधिराज यानि राजाओं राजकुमारों का राजा।¹⁹ इसी प्रकार राजाधिराज यानि राजाओं का राजा²⁰ सम्राट श्रेष्ठ सम्प्रभु शासक के लिए प्रयुक्त शब्द है। यह राजा से अधिक शक्तिशाली होता था।²¹ अन्य भी अनेक प्रकार के राजाओं के विषय में शुक्रनीति, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी आदि ग्रन्थों में वर्णन उपलब्ध हैं। इन वर्णनों से यह ज्ञात होता है कि सांस्कृतिक इकाई के अतिरिक्त एक राजनीतिक इकाई के रूप में भी भारत प्राचीनकाल से ही या तो था या एक होने के सतत् प्रयास करता रहता था। यह प्रयास कौटिल्य के काल में प्रमुख रूप से उभरकर आया और काफी लम्बे समय तक भारत एक इकाई (राजनैतिक) के रूप में संगठित भी रहा।²²

इस प्रकार यह ध्यान में आता है कि भारत ने अपनी संस्कृति को न केवल भारत में अक्षुण्ण रखा बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार-प्रसार किया उसी के परिणाम स्वरूप भारत पर विदेशियों ने आक्रमण की शृंखला प्रारम्भ की। 1757 का प्लासी का युद्ध भी इसी शृंखला का एक भाग है। 1191 से लेकर 1757 तक (प्लासी के

युद्ध तक) भारतीय संस्कृति सुषुप्त रूप से आन्दोलन के माध्यम से संगठित एवं संरक्षित होती रही। राष्ट्रवाद की बयार धीमी ही सही, किन्तु बहती रही। राष्ट्रवाद का ज्वार थमा नहीं, लेकिन 1757 के युद्ध के बाद जो दुर्दमनीय व्यवहार अंग्रेजों ने भारतीयों पर किया उसने सम्पूर्ण मानवता को कलंकित किया। कैम्ब्रिज आर्थिक इतिहास के लेखक बी. चौधरी लिखते हैं कि (1769–70) बंगाल में जो अकाल पड़ा उस अकाल में आबादी के लगभग एक तिहाई लोग काल का ग्रास बने।²³ रजनी पामदत्त लिखते हैं कि मरने वालों की संख्या एक करोड़ के आस-पास थी फिर भी मालगुजारी न केवल वसूली गई, बल्कि उसमें बढ़ोत्तरी भी हुई।²⁴ परिणाम स्वरूप बंगाल में असंतोष व्याप्त हो गया और अनेक स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इनमें से एक संन्यासी विद्रोह भी था। यही संन्यासी विद्रोह बाद में चलकर प्रखर राष्ट्रवादी लेखक बंकिम चन्द्र चटर्जी की अमरकृति आनन्द मठ की विषयवस्तु बना।

बंकिम चन्द्र चटर्जी का परिचय :-

वस्तुतः राष्ट्रीय चेतना भारत में कभी भी विलुप्त नहीं हुई थी इसका शाश्वत प्रवाह स्वतः स्फूर्त रूप से गतिशील रहता था। भारत की यह अद्भुत विशेषता है कि संस्कृति और राष्ट्रीय संकल्पना सदैव ही एक दूसरे के पूरक होकर कार्य करते हैं, किन्तु वाह्य आक्रमणों के समय या विदेशी आक्रान्ताओं के लम्बे प्रभाव के चलते इस चेतना को जोकि अन्तः प्रवाहित रही है, को सतह पर लाना पड़ा है। मध्य काल में यह कार्य भक्ति आन्दोलन के माध्यम से सम्पादित किया गया। आदिकाल में भी ऋषि मुनियों ने ही इस व्यवस्था को स्थापित किया था। वही, प्रक्रिया मध्यकाल और आधुनिक काल में भी सक्रिय रही। उसी श्रेणी के आधुनिक काल के राष्ट्रवादियों ने संस्कृति को आधार मानकर राष्ट्रीय चेतना का पुनः संचार किया और भारतीय जनमानस को न केवल स्वतन्त्रता के संघर्ष के लिए अभिप्रेरित किया, बल्कि भारत का स्वरूप कैसा हो, भारत के साथ हमारा भाव एवं सम्बन्ध कैसा हो, कि दिशा में सोचने और उसे व्यवहार में लाने के उपायों पर भी बल दिया। इनके वैचारिक आन्दोलन ने न केवल भारतीयों अपितु ब्रिटिशर्स को भी उद्वेलित कर दिया।

वस्तुतः बंकिमचन्द्र चटर्जी सरकारी महकमे में कार्यरत थे और भारतीय इतिहास से सम्बन्धित साहित्य का सृजन करते थे। आपने अनेकानेक उत्कृष्ट कोटि की सांस्कृतिक रचनाएं की, किन्तु प्रसिद्धि मिली इनकी कालजयी कृति 'आनन्दमठ' से। आनन्द मठ, 1773 में उत्तरी बंगाल में, जो संन्यासी विद्रोह हुआ था, से अभिप्रेरित है। इस उपन्यास में बंकिमचन्द्र ने संन्यासियों के माध्यम से वो सब कहलवा दिया जिसको कि कहना एक सरकारी आदमी के लिए सहज नहीं था। इस उपन्यास में उन्होंने समाज संस्कृति और सत्ता के मध्य अद्भुत समन्वय बनाने की कोशिश की है। सुप्रसिद्ध बांग्ला इतिहासकार सुकुमार सेन लिखते हैं कि "बंकिमचन्द्र अंग्रेजी राज्य के कोई बहुत बड़े प्रेमी नहीं थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन शक्ति संचित कर रहा था, इसके प्रति भी वे अचेत नहीं थे।" परिणाम स्वरूप "आनन्दमठ" देशभक्ति का पर्याय बन गया और उसने बंगाल को वन्दे मातरम् गीत दिया और यह गीत राष्ट्रीयता का मन्त्र बन गया, इस रूप में यह बंकिमचन्द्र की जीवन्त रचना है।²⁵ यद्यपि संगठित रूप से वन्दे मातरम् की स्वीकार्यता पर प्रश्न चिह्न रहा है, किन्तु भारतीय राष्ट्रीय चेतना ने सदैव ही इसको मन प्राण का गीत माना है। इस गीत ने न केवल बंगाल को अपितु संपूर्ण भारत को ही झकझोर दिया।

राष्ट्रवादियों विशेषकर सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों के लिए तो यह अग्रिम श्रेणी का गीत बना। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि अंग्रेजों के प्रति संन्यासी विद्रोह एक ही दिन में नहीं पनप गया था, यह पनपाथा शनैः-शनैः अंग्रेजों

की बढ़ती जा रही कुत्सित नीतियों के विरोध में और अंग्रेजों की प्रगतिशील भूमिका के प्रतिशोध के रूप में। अंग्रेजों की इस भूमिका ने संपूर्ण समाज को उद्वेलित करके रख दिया था इसलिए जैसे ही आनन्द मठ प्रकाशित हुआ वैसे ही जनता को अपना अभीष्ट मिल गया। डॉ. रामविलास शर्मा इस सम्बन्ध में बहुत ही क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं, वे कहते हैं कि “संन्यासी विद्रोह नव जागरण का स्रोत जनता की सशस्त्र कार्यवाही के बल पर बना, लेखकों, पुस्तकों व्याख्यानों के बल पर नहीं।” अवश्य ही उन लेखों, पुस्तकों और व्याख्यानों के लिए प्रेरणा स्वरूप बंगाल में दो तरह के नव जागरण हुए—

1. अंग्रेजी राज बना रहे, उसमें रहते हुए हम शान्ति पूर्वक समाज सुधार करते रहें।
2. अंग्रेजी राज में लाखों आदमी दम तोड़ रहे हैं, इस राज को हर सम्भव उपाय से खत्म करो। पहले वाले नव जागरण की चर्चा बहुत कम होती है। इस चर्चा में अकाल में मरने वालों का जिक्र कम ही आता है। साम्राज्य विरोधी आन्दोलन से उसका प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध हो यह भी दिखायी नहीं देता। इसके विपरीत दूसरा नवजागरण स्वाधीनता आन्दोलन से सीधा जुड़ा हुआ है। उन दोनों को भुला देना हैं।²⁶ डॉ. शर्मा ने संपूर्णता में विश्लेषण किया है, दोनों कारणों का पहला कारण तो चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि इससे अंग्रेजों का महिमा मण्डन होता है और समाज की प्रगतिशील भूमिका उजागर होती है, किन्तु दूसरे कारण का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि इससे अंग्रेजों का वीभत्स चेहरा उजागर होता है और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापना पर बल दिया जाता है। भारत की जनता का भारत भू-भाग से माता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित होता है। यही बात आधुनिक बुद्धिजीवियों को स्वीकार नहीं है। इसलिए ही समस्त सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों को नेपथ्य में धकेल दिया गया है और तथाकथित प्रगतिशीलों को परिदृश्य पर स्थापित किया जाता रहा है। इसलिए आनन्द मठ ने जहाँ एक ओर कांग्रेस के आन्दोलन को प्रेरणा दी वही, दूसरी ओर नवयुवकों को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से बंकिम के विचारों ने चहुँ ओर वैचारिक सैलाब दिया।

इस सम्बन्ध में सुकुमार सेन²⁷ की टिप्पणी को मैं यहाँ पर उद्धृत करना समीचीन समझता हूँ। आनुषांगिक रूप से उसने राष्ट्रीयता और देशभक्ति की विभिन्न कार्यवाहियों का जबर्दस्त प्रेरणा दी जिनकी परिणति उस क्रान्तिकारी (क्रान्तिकारी शब्द मेरा अपना है) आन्दोलन से हुई जो बीसवीं सदी के पहले दशक में बंगाल में शुरू किया गया। यानि बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन में आनन्दमठ का सीधा सम्बन्ध है, वह आन्दोलन उस कृति के प्रभाव की चरम परिणति है। संन्यासी विद्रोह बंगाल के एक भाग तक सीमित था, इससे उसका राष्ट्रीय महत्व कम नहीं होता। ठीक ही तो है कि संन्यासी विद्रोह हुआ तो उत्तर बंगाल में था किन्तु उसने सम्पूर्ण भारत में मार्गदर्शक की भूमिका निर्वहन की और उस पर आधारित कालजयी कृति “आनन्द मठ” और उसमें लिखित गीत वन्दे मातरम् ने नवयुवकों को ही नहीं अपितु बाल-वृद्ध-नारी तक में रक्त संचार को तेज कर दिया। यह मात्र गीत ही नहीं था, अपितु भारतीय जनमानस की मानसिकता की अभिव्यक्ति थी, कि वह भारत को अपने जीवन में कैसा समझते और अंगीकार करते हैं। साथ ही वह भारत के उन अनपढ़ मजदूर, किसान और समस्त जनता की चेतना शक्ति थी जिन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 63 श्लोकों को न तो पढ़ा ही था और न समझा ही था। उन सबने इस गीत के माध्यम से स्वयं को एकात्म कर लिया था। सभी मायनों में यह गीत पृथ्वी सूक्त का जनभाषा में प्रकटीकरण था।²⁸

वन्दे मातरम् की व्याख्या बंकिमचन्द्र ने इस गीत को जिसे संन्यासी भवानन्द ने गाया है वह बहुत ही

समर्पित एवं भारत भूमि के प्रति अद्भुत श्रद्धाभाव रखने वाला जीव है। वह महेन्द्र से कहता है कि “हम लोग किसी अन्य माँ को नहीं मानते। ‘जननीजन्मभूमिश्चस्वर्गादपिगरीयसी। हमारी माता और जन्मभूमि ही हमारी जननी है—हमारे न माँ है न पिता है, न भाई है—कुछ नहीं है, स्त्री भी नहीं, घर भी नहीं, मकान भी नहीं, अगर कोई है तो वही, सुजला, सुफलां, मलयजशीतलाम् शस्यश्यामलां.....। तब महेन्द्र भाव को समझकर भवानन्द से फिर गाने को कहता है। भवानन्द अब पूरे गीत को तन्मयता से गाता है। इस गीत के कुल चार चरण हैं। इन चारों चरणों में भारतमाता के स्वरूप और स्वभाव तथा उससे अपेक्षाओं का वर्णन है। प्रथम चरण में भारतमाता का मूल स्वभाव एवं स्वरूप कैसा है, का वर्णन है—

वन्देमातरम्सुजलांसुपफलांमलयजशीतलाम् शस्यश्यामलांमातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां—पुलकित यामिनीम्
पफुल्लकुसुमित—द्रुमदलशोभनीम् सुहासिनींसुमधुरभाषिणीम् सुखदांवरदांमातरम्।

वन्देमातरम्।

दूसरे चरण में भारत की जनसंख्या 1769—70 में लगभग सात करोड़ के आसपास ही रही होगी। ये सात करोड़ जनता इसारत माता से क्या अपेक्षा करती है। अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों और दमनकारी व्यवहार ने भारतीयों की जो दुर्दशा की थी उसने पीड़ित होकर भारतमाता से जो विनती की वह इसमें परिलक्षित होती है। यद्यपि यह गीत बंगाल के सन्दर्भ में ही गाया गया था, किन्तु भाव और पीड़ा सम्पूर्ण भारत की समाहित थी —

सप्तकोटिकण्ठ—कलकलनिनादकराले, द्विसप्तकोटिभुजैधृतखरकरवाले, अवलाकेनो माँ तुमि एतोवले।

वहुबलीधारिणींनमामितरिणीम् रिपुदलवारिणींमातरम्।।

वन्देमातरम्.....।

तीसरे चरण में माता के सम्मुख पुत्र के दीन भाव का वर्णन है। पुत्र जब अक्षम होता है तो माता से कैसी दया की याचना करता है, का वर्णन इसमें बहुत ही सटीक रूप से किया गया है। वह कहता है —

तुमिविद्या, तुमिधर्म, तुमिहृदि, तुमिकर्म, त्वंहिप्राणः शरीरे। बाहुते तुमी माँ शक्ति, हृदयेतुमी माँ भक्ति
तोमाराईप्रतिमा गढ़ी मन्दिरे—मन्दिरे। त्वंहिदुर्गादषप्रहरणधारिणींकमलाकमल—दल विहारिणी

वाणी विद्यादायिनींनमामि त्वां, नमामिकमलां, अमलाम् अतुलाम्, सुजलां, सुफलां, मातरं, वन्देमातरम्।।

श्यामलां, सरलां, सुस्मितां, भूषिताम्, धरणीं, भरणींमातरम्। वन्दे मातरम्।।²⁹

इस गीत के माध्यम से महेन्द्र जोकि ‘आनन्दमठ’ का केन्द्रीय पात्र है यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर यह भारतमाता है कौन और इसकी सन्तान कौन है। उसकी यह भी समझ में नहीं आता है कि अभी—अभी इन्होंने जो लूट की है, गाड़ी लूटी है, राजा के रुपए लूटे हैं, ऐसा क्यों किया है। क्या पुत्र चोरी, डकैती से माता की पूजा करते हैं। “भवानन्द महेन्द्र को समझाते हैं।” देखो साँप मिट्टी में अपने पेट को घसीटता हुआ चलता है, उससे बढ़कर तो शायद ही कोई न होगा, लेकिन उसके शरीर पर पैर रख देने पर वह फन काढ़ लेता है। तुम लोगों का धैर्य क्या किसी तरह नष्ट नहीं होता। देखो कितने देशी शहर हैं, मगध, मिथिला, काशी, करांची, दिल्ली, कश्मीर उन जगहों की ऐसी दुर्दशा है? किस देश के मनुष्य भोजन के अभाव में घास खाते हैं? किस देश की जनता कांटे खाती है, लता—पात खाती है? किस देश के मनुष्य सियार, कुत्ते और मुर्दे खाते हैं? यह जो भयावहता है सम्भवतः उसी ने शस्य श्यामला भारतमाता की लेखक ने दुर्गा के रूप में स्तुति की, जोकि शत्रु विनाशक है। यह वही, कल्पना है जोकि तुलसी मुगल काल में प्रभु राम को राजाराम के रूप

में करता है, क्योंकि कही और से कल्याण की आशा नहीं है। ठीक वैसा ही बंकिम भारतमाता से प्रार्थना करते हैं कि तू ही दुर्गा दसों हाथों में अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाली है अब तू ही भारत और भारतीयों का कल्याण कर सकती है।

मूलतः 1757 के बाद की घटना है संन्यासी विद्रोह, किन्तु उपन्यास का लेखन 1882 में (1857 के लगभग 25 वर्ष बाद) बंकिम करते हैं। और 1769-70 के काल से 1882 तक काफी जल गंगा-जमुना में वह गया था। अंग्रेजों का शोषण भी कम होने के स्थान पर और बढ़ा ही था। परिणाम स्वरूप बंकिम बाबू जैसा विनम्र, किन्तु दृढ़ सरकारी कर्मचारी 'आनन्दमठ' के सृजन की कल्पना को न केवल साकार कर सका बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वन्दे मातरम् के माध्यम से स्वर भी दे पाया और 1882 के बाद का भारत अनेक प्रकार से इससे पूर्व के भारत से भिन्न भारत के रूप में उपस्थित हुआ। 1882 'आनन्दमठ' के लेखन के ठीक तीन वर्ष बाद यानि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने भी आनन्दमठ के तापको समझा और सामाजिक रूप से ही सही भारतीय जनता को सत्ता का हमराह बनाया। डॉ. रामविलास शर्मा इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि "विद्रोह संन्यासियों की चेतना उस नव जागरण से हटकर है जो अध्यात्मवाद को भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानता है और सांसारिक प्रपंच से उदासीन रहा ब्रह्म-चिन्तन का उपदेश देता है। अंग्रेजी राज से पहले जैसे सन्तों के लिए ईश्वर ही माता-पिता, सब कुछ था, वैसे ही इन संन्यासियों के लिए मातृभूमि ही माता-पिता सब कुछ है।"³⁰

इस प्रकार से आनन्दमठ ने न केवल क्रान्तिकारियों के लिए एक वैचारिक धरातल प्रदान किया बल्कि उनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावभूमि के लिए भी तैयार किया। जिसे वे अपने सम्बन्धों को भारत भूमि के साथ जोड़कर विश्लेषण कर सकें और तदनु रूप अपनी भूमिका निर्वहन करें। आनन्दमठ ने तत्कालीन समाज को ही नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उद्बलित करके रख दिया। आज भी वन्दे मातरम् का गायन जोकि संस्कृति से अभिप्रेरित है, राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से 19वीं सदी के अन्त में लिखे गए इस परम यशस्वी गीत ने भारत की भावी पीढ़ी को लम्बे समय तक न केवल प्रभावित किया, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसके प्रभाव से अपने को अछूता न रख सकेंगी।

इस प्रकार इस गीत के माध्यम से भवानन्द ने सम्पूर्ण भारत का एक रेखाचित्र खींच दिया और भारतीयों की भारत माता से क्या अपेक्षा हैं, यह भी सुनिश्चित कर दिया। राष्ट्रगीत के उद्गाता बंकिमचन्द्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 को कांटल पारा ग्राम, जिला 24 परगना में हुआ था। इनके पिता यादव चन्द्र चटर्जी सरकारी सेवा (कम्पनी शासन) में डिप्टी कलेक्टर थे और मिदनापुर में सेवारत थे। चटर्जी ने मिदनापुर में अपनी शिक्षा पूर्ण करके हुगली के मोहसिन कॉलेज में प्रवेश लिया और छः वर्ष तक अध्ययन किया। वे पठन-पाठन के बेहद शौकीन थे, विशेषकर संस्कृत साहित्य के प्रति इसी रुझान ने उनको साहित्य सृजन में बहुत मदद की 1858 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने 1859 में बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कलकत्ता के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें 1859 में ही डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर दिया। उन्होंने 32 वर्षों तक सरकारी सेवा की और 1891 में अवकाश ग्रहण किया।

यद्यपि चटर्जी के अध्ययन के दौरान ही 1857 का महान स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया, किन्तु उन्होंने अपने अध्ययन को पूर्ण किया। सरकारी सेवा के अनुभव और संस्कृत साहित्य के अध्ययन ने उन्हें विश्लेषणात्मक दृष्टि

प्रदान की परिणामस्वरूप 1882 में उन्होंने अपने भावों को 'आनन्दमठ' के माध्यम से अभिव्यक्त किया। 1882 में लिखा गया यह उपन्यास सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हुआ। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्षेत्र में इसने अनेकानेक महापुरुषों को प्रेरित किया।

सन्दर्भ :-

1. राधाकुमुद मुखर्जी, भारत की आधारभूत एकता, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली 2010, पृ.15
2. तदेव, पृ. 15
3. महर्षि वेदव्यास, विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, द्वितीय अध्याय, प्रथम श्लोक।
4. अथर्ववेद— 12/1/12
5. कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक, चौबीसवें वर्ष का विशेषांक, गीता प्रेस गोरखपुर।
6. भारतरत्न पी.वी. काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 2010, पृ. 393
7. ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्योपनिषद्, प्रथम मन्त्र।
8. कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक, चौबीसवें वर्ष का विशेषांक, गीता प्रेस गोरखपुर, पृ. 24
9. शिवपुराण, दशम भाग, 2/12
10. महाभारत, भीष्म पर्व—अध्याय 9/11
11. विश्वामित्र स्मृति, 44वाँ श्लोक, प्रथमाध्याय, स्मृति सन्दर्भ, नाग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 2649
12. अथर्ववेद 12/1/3
13. अथर्ववेद 12/1/4
14. राधाकुमुद मुखर्जी, भारत की आधारभूत एकता, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृ. 32
15. डॉ. रामविलास शर्मा, भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 1992 पृ. 88

नाम — राम अवतार

पिता — राम निवास

पता — वार्ड न. 2 बागावास, मेड़ता सिटी

नागौर — 341510

मो. नं. — 7728831776

निर्धनता : समस्या एवं सुझाव

सहदेव कुमार

शोधार्थी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, राधागोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़ (झारखण्ड)

समाज का एक वर्ग जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) को भी पूरा नहीं कर पाता है तो समाज की इस स्थिति को "निर्धनता" या "गरीबी" की स्थिति कहा जाता है। गरीबी की स्थिति में जब समाज का एक अंग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है तो यह कहा जाता है कि समाज में व्यापक निर्धनता है।

सभी समाजों में निर्धनता को परिभाषित करने के प्रयास किए गए हैं। देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर गरीबी अथवा निर्धनता को परिभाषित करने का आधार हर देश में अलग-अलग है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धनता की धारणा भारत से बिल्कुल अलग है क्योंकि अमेरिका में आम नागरिक भी कहीं अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर रह रहे हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में निर्धनता की समान्यतः स्वीकृत परिभाषा उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर पर बल देती है।

- एन०सी०ई०आर०टी० के अनुसार "जीवन, स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए न्यूनतम उपयोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने में अयोग्यता को निर्धनता कहते हैं।"¹
- नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आर्तुर सेन की अपनी पुस्तक।

"India; Economic Development And Social Opportunity"

में गरीबी के संदर्भ में उनका यह कथन महत्वपूर्ण है कि "यह जानना काफी नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं यह जानना महत्वपूर्ण है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं। इस बात का अनुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति वास्तव में कितनी 'खराब' है और एक खराब स्थिति दूसरी खराब स्थिति से कितनी भयावह है।"²

- हजारों वर्ष पूर्व अरस्तु ने कहा था "जब मध्यवर्ग नहीं रहता है और गरीबी की संख्या काफी अधिक हो जाती है तो समस्याएं जन्म लेती हैं और शासन समाप्त हो जाता है।"³
- अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार "मनुष्य की दरिद्रता और धनाढ्यता को मानव जीवन की आवश्यक वस्तुओं, आराम व मनोरंजन के साधनों को प्राप्त मात्रा में आंका जा सकता है।"

मूल आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मानवीय आवश्यकताएं अनिवार्यता सम्मिलित हैं। भारत सरकार सन् 1992-1993 की कीमत पर ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 228 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 264 रुपए

प्रति माह खर्च करने में असमर्थ है। सामान्य रूप में निर्धनता इस स्थिति का द्योतक है कि जिसमें समाज के एक वर्ग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है।

निर्धनता निर्धारण के अनेक परिमाण बनाए गए हैं। इन सभी अध्ययनों का आधार 2250 कैलोरी के बराबर खाद्य मूल है जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी है क्योंकि शहरी और ग्रामीण व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर, व्यय के स्तर तथा खान-पान के स्तर में अंतर पाया जाता है।

निर्धनता के कारण :-

भारत में गरीबी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं : —

1. रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि -

भारत में श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती रही जबकि उनके लिए रोजगार के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। ऐसा होने के दो कारण रहे हैं :-

- एक तो विकास की दर धीमी रही और पर्याप्त पूंजी निर्माण के फलस्वरूप अपेक्षित मात्रा में उत्पादक तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके।
- दूसरा देश में पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक अपनाए जाने से श्रम प्रधान कार्यकलापों का अधिक तेजी से विस्तार नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी तथा अल्प रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी। ऐसी स्थिति में गरीबी का फैलना स्वाभाविक है।

2. निम्न आय अर्जक परिसंपत्तियां :-

रोजगार की कमी के कारण जहां मजदूरी नहीं बढ़ सकी वहां आय अर्जक परिसंपत्तियों के अभाव में मजदूरी के अलावा आय के अन्य स्रोत भी नग्न रहा। देश में आय वितरण की असमानता के फलस्वरूप गरीब व्यक्तियों के पास परिसंपत्तियां ना के बराबर है। भूमि, भवन, मशीनरी, कंपनी-शेयर आदि परिसंपत्तियां थोड़े से धनी लोगों के हाथों में ही केंद्रित है।

यद्यपि सरकार द्वारा पुनर्वितरण की दिशा में कुछ प्रयास किये गए हैं। परंतु उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया है। इस तरह निर्धन व्यक्तियों की कुल आय में मजदूरी के अलावा आय के अन्य साधनों से प्राप्त योगदान लगभग नहीं के बराबर है।

3. जनसंख्या में वृद्धि :-

जनसंख्या में होने वाले भारी वृद्धि भी गरीबी के मुख्य कारण है।

4. दोषपूर्ण विकास रणनीति :-

देश में गरीबी तथा आय विषमताओं के लिए विकास की रणनीति भी बहुत हद तक उत्तरदाई है।

देश में पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर अधिक बल दिया गया जिसके कारण पूंजी गहन परियोजनाओं में निवेश अधिक हुआ और रोजगार के अवसर कम सृजित हुए हैं। उपभोग वस्तुएं के उत्पादन पर कम ध्यान दिए जाने के कारण उपभोग की वस्तुओं का अभाव हो गया। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने से आय तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती थी। इन सब का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि देश में बेरोजगारी बढ़ी और आय कम होने से गरीबी की समस्या में वृद्धि हुई।

5. सामाजिक कारण :-

देश में प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं गरीबी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं। समाज में व्याप्त जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार का नियम, अशिक्षा, अज्ञानता, भाग्यवादिता तथा धार्मिक रूढ़िवादिता, लोगों को नई विचार तथा तकनीकों को अपनाने से रोकता है। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने और झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु लोग फिजूल खर्ची करते हैं और निर्धन बने रहते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव :-

सामान्य रूप से गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। वह न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है। भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने गरीबी के निर्धारण के लिए अनेक-अनेक प्रमाण बनाए हैं। इन सभी अध्ययनों का आधार 2250 कैलोरी के बराबर खाद्यान का मूल्य है।

सरकार गरीबी को दूर करने के लिए समय-समय पर नई-नई योजनाएं चलाती रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव एवं कठोरता लाती रही है। साथ ही विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले समस्याओं पर विचार विमर्श करती रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार जन-धन बीमा योजना, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, इंदरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मिड-डे मील, किसानों के ऋण माफ की योजना चलायी गयी है। परिणामतः गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कम हुआ है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। सरकार गरीबी उन्मूलन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के मूल को जानने का प्रयत्न करती है तथा समय-समय पर उनका मूल्यांकन भी करती है साथ ही मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का जड़ से मिटाने का प्रयत्न करती है। ताकि योजनाओं का फायदा गरीबों को मिल सके और गरीबी रूपी प्रेत से छुटकारा मिल सके।

ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले अनाज योजना को जारी किया है। सरकार की 'महत्वाकांक्षी योजना' तथा गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे कारगर योजना 'महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना' का शुभारंभ 2 फरवरी को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम के बावजूद गरीबी की संख्या में आशा के मुताबिक कमी नहीं हुई है। इनका मुख्य कारण महंगाई में हो रही लगातार वृद्धि है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहां अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और कृषि पर आश्रित रहते हैं। इसी कृषि विकास के साथ ही साथ पूरक धंधों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन व अन्य रोजगार परक जैसे ग्रामीण उद्योगों के विकाश पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

सन्दर्भ सूची :-

1. Ahluwala Montek Singh, (1978): Rural Poverty And Agricultural Performance In India, Journal of Development Studies, 12.
2. Sen Amartya : India Economic Development And Social Opportunities, P-11.
3. Kurukshetra, May-1991, अंक-7, पृ०-8.
4. अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन : आगरा, पृ०-114, 115.

Email :- sahdeokumar7@gmail.com, Mob :- 7667671832



संगम

Impact Factor : 4.553

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 11, Issue 7-8

पृष्ठ : 98-103

विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक

A Overview of Forensic Accounting in India

Sahiba, MBA,

Swami Vivekanand Subharti University

Neha, M. Com,

Kumaun University, Nainital

Abhishek Kumar Sharma, M.Com,

Tilka Manjhi Bhagalpur University

Abstract :-

The Country over economic crimes has increased in size and scale. The average annual cost of financial fraud is estimated to be annual revenue of any company, with the overall figure amounting to trillion. Forensic Accounting involves the in- depth application of certain special skills in areas like accounting, auditing, finance, quantitative methods, research, law, etc. Forensic accounting used to combine knowledge of the law with their accounting skills. They can assess companies and help companies resolve the issues. Forensic accounting can make significant contributions in the positive work environment establishing effective lines of communication and vigilant oversight. In nutshell, the forensic accounting is 'a blood- hound of book- keeping.

Keywords :- Forensic accounting, Skill, Positive work environment, fraud.

Introduction :-

Forensic accounting is the application of accounting, auditing, and investigative techniques to examine financial statements to detect fraud, asset misappropriation, financial crime, tax evasion, etc., and gather financial evidence .Forensic accountants investigate and confirm if any financial crime has been committed and ascertain the extent and damages of the crime. They are considered expert witnesses and assist in administrative and legal proceedings to form opinions and verdicts in several types of court cases and technology.From the investigation of frauds and crimes, forensic accountants now play a proactive role in fraud deterrence, consultants to internal audit committees, litigation support, settling insurance claims, exposing Ponzi schemes, disputes in divorce, and various other helpful activities related to court cases.Forensic accountants are employed by large accounting

firms, government agencies, banks, law enforcement, the court of law, insurance companies, etc. A forensic accountant is normally a certified public accountant – CPA. American Board of Forensic Accounting (established – in 1993) assesses the investigative skills of CPAs in its Certified Forensic Accountant program. Similarly, the Association of International Certified Professional Accountants conducts a program that awards “Certified in Financial Forensics” credentials to forensic accountants.

Literature Review :-

Generally, Forensic accounting techniques involve the reactive and proactive ones. The application of any of these techniques relies very much on the existing situations. The proactive technique is argued to be a totally tactical technique as it vigorously focuses on the types of fraud, searches for flags (Shawyer & Walsh, 2007). The five step detection technique (Bjerstedt, 2006). The fraud hypothesis testing technique (Turkheimer et al. 2004). The strategic fraud detection technique (Sharma, 2012). The break point technique (Doern, 2010) and the Bencords digital analysis (Nigrini, 2003) are a few examples of generally forensic accounting technique since they comply with the detective philosophy, which aims at detecting fraud before it actually occurs. On the contrary, the reactive technique inclines towards the philosophy of waiting to see the fraud occurring first and tackling it. This may entails the application of electronic equipment, such as the closed circuit television (CCTV) or Mobile and Digital Cameras (Halbouni, 2015).

In the study on the suitability of forensic accounting to financial crimes in both public and private sectors of the third world economies, Kasum(2012) , empirically established that forensic or investigative accounting has a significant role to play in fighting financial crimes. Further more, the study argued that their services are required more in the public sector. The research methodology used the combination of empirical survey and library where documentary records of organization that apply the services of forensic accountants and those that coordinate their studies provided the suitable materials for review on the nature in the field. The perceptions of accountants, bankers, economists, lawyers, engineers, contractors and other related professionals on the subject matter were received



through the questionnaire.

Research Question :-

1. What is the role of a forensic accountant in an organization?
2. Is there any possibility of reducing the occurrence of fraud cases using forensic accounting?
3. Can forensic accountants help in detecting and preventing fraud in the public sector?
4. Is there any significance difference between forensic accountants and external auditors?

Research Hypothesis :

Hypothesis 1

H0 : Forensic accountant does not play a role in an organization.

H1 : Forensic accountant plays a significant role in an organization.

H0 : The uses of forensic accounting do not significantly reduce the occurrence of fraud cases in the public sector.

H1 : The uses of forensic accounting do significantly reduce the occurrence of fraud case in the public sector.

Hypothesis Results :-

H0 : There is no significant difference between professional forensic accountants and traditional external auditors.

H1 : There is a significant difference between forensic accountants and traditional external auditors.

Method :-

A forensic accountant works as an investigator and an explorer. He deploys scientific methods of inquiry, fraud discovery, evidence gathering, and criminal investigation. His methods can broadly be categorized into qualitative and quantitative methods.

- **Qualitative Methods :** In examining the personal traits and characteristics of perpetrators of financial fraud. Forensic accountants focus on suspects' motives, opportunities, rationalization, and behavioral factors. It helps narrow down the suspects as many common traits are found among the perpetrators.

- **Quantitative Methods :** in forensic accounting focus on data collection and use data analytics to detect abnormalities, exceptions, patterns of misconduct, etc. In financial forensics, predictive modeling, Benford's law, data mining, etc., are employed to gather factual evidence that can stand the scrutiny of the law.

Benefits :-



Assists investment bankers and valuation experts in their due diligence process. It forms the irrefutable basis for valuing the company and ensuring the fairness of the merger or acquisition. Scientific Evidence Collection: As the process of evidence gathering is objective and scientific, all the involved parties are ensured of their unbiased nature. The reliability of the findings makes it an important basis for litigation support. Forensic accounting as a specialized field has witnessed tremendous demand for its services. With increasing financial complexities, the scale of business transactions, penetration of the internet, and globalization, the threat of fraud and crimes has also witnessed a manifold increase. Forensic accounting is increasingly more relevant as the commercial landscape has been expanding ever since. Following are the benefits of forensic accounting :

- 1. Risk Mitigation :** Forensic accounting is helpful in the early detection of fraud by analyzing patterns and data analysis. Early detection of anomalies helps prevent frauds that can save the company from future litigations, penalties, and loss of goodwill.
- 2. Better Corporate Governance :** Forensic accounting contributes to establishing the basic tenants of corporate governance, which include responsibility, fairness, transparency, and accountability.
- 3. Mergers and Acquisitions :** Forensic accounting

4. Business Valuation and Brand Building : Forensic accounting goes beyond compliance to ensure fairness, responsibility, and accountability. Organizations that withstand the forensic accounting processes are perceived to be more transparent and responsible, adding to their valuation and brand.

Objectives of Forensic Accounting :-

1. To avoid fraud and theft
2. To restore the downgraded public confidence
3. To formulate and establish a comprehensive corporate governance policy
4. To create a positive work environment.

Limitations :-

- 1. Time-consuming :** The organization's accounting systems are investigated and subjected to numerous tests. The accounting data is verified, and all the parties involved with the transactions under scrutiny are probed. This data processing and evidence gathering is a time taking process.
- 2. Expensive :** Forensic accounting is time-consuming and escalates the cost of conducting forensic audits. The fee for forensic accountants is higher than normal auditors. In case of any underlying legal suit, the company's operations may be halted until the forensic accounting data gathering is complete.
- 3. Specialized Domain :** Forensic accounting as a subject came to the fore in the post-modern world. As a new domain with specific knowledge that combines auditing, accounting, and investigating ability, there are far fewer forensic accountants than other professionals in the finance domain.
- 4. Fraud Auditing :** The objective of a fraud audit is for the auditor to assess the likelihood that fraud will be detected or prevented in a corporate or regulatory environment. Typically this assessment is made by reviewing existing controls to prevent and detect fraudulent transactions.
- 5. Financial Auditing :** The auditors objective in a financial audit is to render an opinion on whether the information appearing in a set of financial statements is presented fairly in conformity with generally accepted accounting principles (GAAP). These engagements are conducted after the transaction have occurred and are performed in accordance with Generally Accepted Auditing Standards (GAAS). The financial audit is an at least function and the auditor is responsible to the client and any third parties that may rely on the financial statements issued.

Conclusion :-

In Summary, a forensic investigation is a very specialized and detailed type of engagement, which requires highly skilled team members who have experience not only of accounting and auditing techniques, but also of the relevant legal framework. There are numerous different type of fraud that a forensic accountant could be asked to investigate. The investigation is likely to ultimately lead to

legal proceedings against one or several suspects, and members of the investigative team must be comfortable with appearing in court to explain how the investigation was conducted. It is only through the practice of preventive rather than reactive auditing that forensic auditing will become visibly effective and make auditing credible. Awareness of human element organizations behavior knowledge of the system. The technology in use and expected to be used, knowledge of fraud, evidence are so called red flags are key issues.

References :-

1. Shawyer, A., & Walsh, D. (2007). Fraud and peace : Investigative Interviewing and Fraud Investigation. Crime prevention and community safety, 9(2), 102-117.
2. Turkheimer, F., Pettigrew, K., Solloff, L., & Schmidt, K. (2004). The fraud hypothesis testing technique. Communication in statistics simulation and computation, 28(4), 931-956.
3. Sharma, S. (2012). Fraud and Tamper Detection in Authenticity verification through Gradient Based Image Reconstruction Technique for Security Systems.
4. Doern, G. (2010). Break point susceptibility testing.
5. Bjerstedt, A. (2006) . The Five step detection technique.
6. Nigrini, J. (2003). The use of Benfords Law as an aid in analytical procedures. A Journal of practice And Theory.
7. Halbouni, S. (2015). The Role of Auditors in preventing, Detecting, and Reporting Fraud: The case of the UAE.
8. Kasum, S. (2012). Forensic Accounting for Financial Malpractice in Developing Countries.

Contact address : Nakki Nagar Keshopur Jamalpur, Bihar- 8539806864

Email Id: saifisahiba63@gmail.com

Email Id: nehaahmad49@gmail.com

Email Id: abhisheksharma8539@gmail.com

बाल कथा साहित्य और बचपन

सुश्री अन्नू इंदौरा

शोधार्थी व सहायक प्रोफेसर (हिंदी), राजकीय कन्या महाविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा।

सार :-

किसी भी देश का भविष्य बच्चों के विकास पर निर्भर करता है। बच्चों का जीवन ही समाज का आधार है। इस काल के दौरान जिस प्रकार बच्चे की देखभाल की जाती है, वह उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व व भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के व्यक्तित्व पर उनको दी जाने वाली पठन-लेखन सामग्री का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है, इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया को उनके लिए जीवंत, स्थायी और सहज बनाने के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें बाल कथा साहित्य के रूप में कुछ ऐसा दे सकें, जिससे बच्चे आसानी से जुड़ सकें, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर कुछ नया सीख सकें। अतः बचपन में बच्चों को पढ़ने के लिए क्या और किस प्रकार की सामग्री दी जाती है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि बच्चा शिक्षा से स्थायी पाठक बनने के लिए जुड़ेगा या मात्र रटने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। प्रस्तुत लेख में बच्चों की पठन पाठन सामग्री के संदर्भ में विशेष तौर पर बाल कथा साहित्य के स्वरूप, महत्व और पठन-लेखन की चुनौतियों पर बात की जाएगी।

बीज शब्द :- बालक, बचपन, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, साहित्य, बाल साहित्य, बाल कथा साहित्य, बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ, पाठक, पाठ्यपुस्तक, पाठ्येतर सामग्री।

मूल आलेख :-

बच्चों की शिक्षा प्रारम्भ से ही मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी रही हैं। बच्चों को चूँकि भावी समाज के सदस्य के रूप में एख जाता है। इसलिए उनकी शिक्षा में बड़े अपने हस्तक्षेप को एक जरूरी निवेश के रूप में देखते हैं। ऐसे में बाल कथा साहित्य बच्चों की शिक्षा को सफल बनाने का प्रभावी साधन माना जाता है। बाल कथा साहित्य का चूँकि बचपन की अवधारणा से सीधा सम्बन्ध है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा के निर्धारण से पूर्व हमें बचपन की अवधारणा को समझना बहुत आवश्यक है। बचपन की अवधारणा कोई एक सामान्य एकल समानुरूप इकाई नहीं है। बचपन तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित संप्रत्यय है, जिसका निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के तहत होता है अर्थात् बचपन के निर्माण में लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि का प्रभाव भी पड़ता है। जिस परिवेश में बचपन पलता है, जो कुछ वह देखता है, परखता है, पढ़ता है, समझता है, सभी कुछ का बच्चे के कोमल अस्तित्व पर गहरा असर पड़ता जाता है। इसलिए बचपन को एक जटिल व संवेदनशील अवस्था माना जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि मानव विकास की प्रत्येक अवस्था को एक विशिष्ट

अवस्था के रूप में देखने समझाने पर बल देता है और यह बताता है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न रूप से बनता और परिवर्तित होता चलता है। बदलावों के बिंदुओं को हम उम्र के अनुसार व्यवहार में आये परिवर्तनों के रूप में देख सकते हैं। मनोविज्ञान में बाल्यावस्था की भी भिन्न विशेषताएं बताई गयी हैं इस अवस्था में एक बच्चे का लोगों, घटनाओं, आसपास की चीजों के प्रति अनुक्रिया करने का ढंग, उसकी अभिरुचि, आवश्यकता बड़ों से भिन्न होती है। मनोविज्ञान बताता है कि बालक का बचपन जितना स्वस्थ होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही उत्कृष्ट होगा। ऐसे में बच्चों के लिए अलग से साहित्य होने की जरूरत को विश्वभर में महसूस किया जाता रहा है इसलिए बच्चों की रुचियों को संतुष्ट करने वाले बाल साहित्य का महत्त्व आज और बढ़ गया है।

साहित्य की विभिन्न कोटियों में बाल कथा साहित्य भी एक महत्वपूर्ण कोटि है। बच्चों के सम्पूर्ण और संतुलित विकास में बाल साहित्य की उपयोगिता असंदिग्ध है। विश्वभर में हुए शोध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बाल साहित्य का बच्चों के जीवन और शिक्षा में बहुत अधिक महत्त्व है। अतः बाल कथा साहित्य की अवधारणा को समझना बहुत आवश्यक है। बाल साहित्य से अर्थ साहित्य के उस लिखित या मौखिक रूप से है जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व की परतों को, बच्चों की कल्पनाओं संघर्षों, समस्याओं, जिज्ञासाओं, अनुभवों, इच्छाओं, विचारों और भावों को केन्द्रीय स्थान दिया जाता है। बाल साहित्य का अर्थ है— जिस साहित्य में बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, कल्पनाओं, द्वंद्वों, संघर्षों, समस्याओं, जिज्ञासाओं, अनुभवों को केंद्र में रखा गया जाता है। इस प्रकार बाल साहित्य बच्चों से सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है। आज बाल साहित्य के क्षेत्र में कई प्रकार का साहित्य उपलब्ध है उदहारण के लिए ऐसा साहित्य जो विशेषकर बच्चों के लिए बड़ों द्वारा लिखा जा रहा है, दूसरे ऐसा साहित्य जो विशेषकर बच्चों के लिए तो नहीं लिखा गया किन्तु जिसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है, तीसरे ऐसा साहित्य जिसके लेखक बच्चे स्वयं हैं।

बाल कथा साहित्य के विषय में यह माना जाता है कि इसमें मनोरंजनात्मक कथा हो, आकर्षित करने वाले पात्र हों, रुचिकर जिज्ञासापरक लेखन शैली हो, भाषा सहज, सरल, और बच्चे की आयु के अनुसार हों। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार 'अपने आसपास के परिवेश के प्रति एक बच्चे का दृष्टिकोण एक प्रौढ़ से बिल्कुल भिन्न होता है।' यह कथन बच्चे के स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति के महत्त्व को स्थापित करता है। इसलिए बच्चे को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार कर उसकी रुचि, मनोभाव, प्रवृत्तियों, उनके मन और अनुभव आदि को ध्यान में रखकर रोचक बाल कथा साहित्य की रचना की जानी बहुत जरूरी है। इस कथन से स्पष्ट है कि बाल साहित्य की विषयवस्तु, भाषा शैली, प्रस्तुतिकरण, प्रौढ़ साहित्य से सर्वथा भिन्न होनी चाहिए क्योंकि बच्चों का अनुभव जगत बड़ों की अपेक्षा सीमित होता है। इस से स्पष्ट है कि बाल कथा साहित्य की अपनी विशेषताएं होती हैं। बाल कथा साहित्य लिखते समय बच्चों की उम्र के समस्त मनोविज्ञान, उनकी रुचि, अनुभव, मानसिक विकास आदि तमाम स्तरों को अच्छी तरह से जान समझ कर लिखना सबसे अधिक जरूरी है। गुलजार (2017) के अनुसार "बच्चों के लिए लिखना बड़ों के लिए लिखने के बनिस्पत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के लिए लिखते समय अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए लिखना ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है" (डेलीहंट, 10 मई ऑनलाइन)। विद्वानों के विचार यह स्पष्ट करते हैं कि पहले से मौजूद साहित्य में बच्चों की उपस्थिति होने के बावजूद अलग से बाल कथा साहित्य की आवश्यकता है। इस प्रकार अलग-अलग आयु के

अनुसार हम निम्नलिखित ढंग से बाल साहित्य लेखन का प्रयास कर सकते हैं :—

- दो से पांच वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पुस्तक में बड़े अक्षर, आकर्षित चित्र, चटकीले रंगों का प्रयोग, शब्दों की पुनरावृत्ति, छोटे वाक्य, मजे के लिए कार्टून का प्रयोग।
- पांच से नौ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पुस्तक में चार से छः पंक्तियों के सरल वाक्य, हास्यात्मक या मनोरंजनात्मक वाक्य, आकर्षित करने वाले चित्र, आयुनुसार शब्दावली, मध्यम आकार वाले अक्षरों का प्रयोग, चटकीले रंगों का प्रयोग, सरल जटिलता रहित कथानक हो।
- नौ से बारह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पुस्तक में जटिल कथानक, चित्र थोड़े कम हों, कहानी ऐसी हो जो बच्चों की कल्पनाशीलता को उद्दीप्त कर सके, अक्षरों का आकार छोटा हो।

इस प्रकार बाल कथा साहित्य में बच्चों के स्तरानुसार चित्र, वाक्यों की संख्या, कथानक की विषय वस्तु की जटिलता बढ़ती और बदलती जाती है और यह भी जरूरी नहीं कि कोई एक रचना ही सभी प्रकार की पृष्ठभूमि के बच्चों को पसंद आ ही जाये। इसके लिए जरूरी है कि हम विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को ध्यान में रखकर विपुल बाल कहानियाँ उन्हें उपलब्ध करवाएं जिसमें से वे अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार चयन कर सीखने की प्रक्रिया से जुड़ सकें।

हमारे देश में प्रारम्भ से ही बाल साहित्य मौखिक परम्परा के रूप में बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। मानवीय मूल्यों के संप्रेक्षण के लिए बाल कविताओं और कहानियों का प्रयोग शुरू से किया जाता रहा है। जहाँ तक बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का सवाल है तो इसके पीछे बच्चों और बचपन को लेकर बड़ों की यह सोच काम करती है कि बच्चे नासमझ और अबोध होते हैं। अतः उन्हें सीखा देने की साड़ी जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं किन्तु यह देखा गया है कि अति संरक्षित परवरिश में पले बढ़े बच्चे स्वयं से चीजों को सीखने और अन्वेषण की प्रवृत्ति को विकसित नहीं कर पाते हैं जिसका प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। जहाँ तक बाल कथा साहित्य की बात है तो बड़े कैसा बाल साहित्य बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि बच्चों की प्रकृति को लेकर वे क्या और किस प्रकार की समझ रखते हैं। इस संदर्भ में हमें मनोवैज्ञानिक पियाजे के कथन पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो बच्चों को सक्रिय, विचारशील, सृजनशील और संवेदशील प्राणी के रूप में देखने पर बल देते हैं।

आज बाल साहित्य के अंतर्गत लगभग उन तमाम सभी विधाओं में लिखा जा रहा है जिन विधाओं में वयस्को के लिए लिखा जा रहा है जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। मैसन (1994) के अनुसार बाल साहित्य में विविध विधाओं के अंतर्गत वास्तविक पौराणिक कथाएँ, काल्पनिक कथाएँ, जीवनी, ऐतिहासिक कथा को शामिल कर सकते हैं। वास्तव में बाल साहित्य एक व्यापक टर्म है, जिसमें एक पृष्ठ पर एक शब्द वाली पुस्तकों से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक के बच्चों के लिए उपन्यास और कथेतर पुस्तकें आ जाती हैं। इस प्रकार बाल साहित्य के अन्तर्गत वह साहित्य आता है जिसका लेखन बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया गया हो। बाल साहित्य में रोचक शिक्षाप्रद बाल-कहानियाँ, बाल गीत व कविताएँ प्रमुख हैं। हिन्दी साहित्य में बाल साहित्य की परम्परा बहुत समृद्ध है। पंचतंत्र, हितोपदेश, अमर-कथाएँ व अकबर बीरबल के किस्से बच्चों के साहित्य में सम्मिलित हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की ईदगाह, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, गुल्ली डण्डा, बूढ़ी काकी आदि कहानियाँ महादेवी वर्मा की गिल्लू, इस्मत चुगताई की दो हाथ, जैनेंद्र की पाजेब, प्रकाश

मनु की जमुना दादी, आहा रसगुल्ले, दिविक रमेश की लू लू की सनक आदि वहीं दूसरी तरफ हमको फिर छुट्टी, प्यारा लड्डू, लोमड़ी और जमीन, आजादी की नुक्ती, टेमरू एकलव्य प्रकाशन द्वारा तथा दो सहेलियाँ, जल परी, मुनिया का सपना, शादी में मौज मस्ती प्रथम प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बच्चों की लिखी रचनायें आदि इस प्रकार की हैं, जिनके माध्यम से बच्चों की ललक, मन की इच्छाओं और आपत्ति, ईर्ष्या द्वेष का अच्छा चित्रण है। बहुत से शोध यह बताते हैं कि प्रारंभ में बाल मन को कोरा कागज समझ कर उस पर वयस्कों द्वारा अपने विचार एवम निर्देश थोपने की प्रवृत्ति प्रचलित थी अर्थात् बाल साहित्य के नाम पर बचपन को दिखाने की बजाये यह दिखाये जाने पर जोर था कि बचपन कैसा होना चाहिए अर्थात् बचपन क्या था और क्या है, इसकी जगह बाल साहित्य में बचपन को ऐसा दिखाया जाता था जैसा कि व्यस्क चाहते थे, किन्तु समयानुसार कुछ बदलाव भी हमें इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों को स्वयं अपने लिए बाल साहित्य लिखने के अवसर उपलब्ध करवाना और उसे पब्लिक डोमेन में महत्व दिलाये जाने के प्रयास करना और बच्चों के लिखे लेखन के माध्यम से बच्चों को और बचपन की अवधारणा को समझने का प्रयास करना। बहुत सी बाल पत्रिकाएँ जैसे चकमक, बाल भास्कर, पराग, चंदामामा, चंपक, अभिनव बालमन, नंदनवन, बाल वाटिका आदि बाल कथा साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखती हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक व्यास, साहित्य अकादमी, प्रथम, एकलव्य, कथा, किताबघर प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, आलेख प्रकाशन और आत्माराम एण्ड संस जैसी अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं जिनका बाल कथा साहित्य के प्रकाशन में अच्छा खासा हस्तक्षेप है।

बच्चों द्वारा लिखे जाने वाले साहित्य को कुछेक ही सही प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है जैसे एकलव्य प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन। इसका एक प्रमुख संभावित कारण यह हो सकता है कि हमारे समाज में भी आज भी बच्चों की एजेंसी को उस तरह से मान्यता नहीं मिल रही है जैसे कि बड़ों को मिलती है। किन्तु बच्चों के लिखे साहित्य को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है। बच्चों की रचनायें उनकी दुनिया के प्रवेश द्वार हैं। इसके महत्व को वयस्कों को समझना चाहिए। बच्चों को लिखने के अवसर देने से न सिर्फ उनका लेखन परिष्कृत होगा बल्कि बच्चे साहित्य के स्थायी पाठक के तौर पर भी उभरेंगे जोकि एक शिक्षित और उन्नत समाज निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जब अन्य बच्चे अपने हम उम्र बच्चों का लिखा पढ़ेंगे तो उनमें भी स्वयं से कुछ सृजन करने की इच्छा उत्पन्न होने की सम्भावना विकसित होगा।

बाल कथा साहित्य का महत्व :-

बाल कथा साहित्य बच्चों में विपुल साहित्य से संवाद कर सकने की क्षमता का विकास करता है क्योंकि बाल कथा साहित्य न केवल दर्पण है, जिसमें बच्चे खुद का प्रतिबिम्ब देखकर खुद पर अनुचिंतन कर सकते हैं बल्कि यह वह खिड़की भी है जिससे बच्चे अपने आसपास के संसार को अन्वेषित कर सकते हैं। शोध बताते हैं कि बाल कथा साहित्य एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो बाल सुलभ कौतुहल जागृत कर अध्ययन के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है। बाल साहित्य बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विस्तार करता है। बच्चों में स्वाध्ययन की आदत डालने और स्थायी पाठक बनाने का एक प्रभावशाली साधन बाल कथा साहित्य ही है। बच्चों के बहुपक्षीय विकास के सन्दर्भ में उनको अच्छा बाल साहित्य उपलब्ध कराने तथा उनके भाषागत विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है और कहानी, कविता, लोकगीत, लोरी आदि को बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से तब्वजो देने की दरकार की

है। बाल साहित्य रचना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को पुष्ट रूप देना होता है।" अतः साहित्य का बच्चों से सीधा व गहरा सम्बन्ध होता है। बाल कथा साहित्य बच्चों को विभिन्न पात्रों से संवाद कर निर्णय लेने की क्षमता व अपने निजी मूल्यों को बनाने में मदद करने के साथ संवेदनशील भी बनाता है। बाल कथा साहित्य बच्चों की कल्पना को चुनौती देकर उनके अनुभवों को समृद्ध करता है। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार जयप्रकाश भारती के अनुसार "जिस देश के पास समृद्ध बाल कथा साहित्य नहीं है, वह उज्ज्वल भविष्य की आशा कैसे कर सकता है।" (जनकृति, अंतराष्ट्रीय पत्रिका, अंक 3, मई 2015) उल्लेखनीय है कि बच्चों के शैक्षिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, निजी तथा सामाजिक विकास में भी बाल कथा साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। बाल कथा साहित्य के अध्ययन से बच्चे अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखते हैं। अध्ययन बताते हैं कि बाल कथा साहित्य से बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, पढ़ने के दौरान वे सोचने लगते हैं कि कहानी में कौन-सा किरदार कैसा है, कहानी कैसे चल रही है, इस कल्पना से बच्चे में रचनात्मकता आती है और उसकी सोचने एवं समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ती है। बाल कथा साहित्य की अध्ययन से विभिन्न संस्कृतियों के विषय में जानने का मौका मिलने के साथ बच्चों को पता चलता है कि अलग-अलग जगहों और कालों में लोग कैसे रहते आये हैं। बाल कहानी सुनते समय बच्चे खुद को कहानी के पात्र के रूप में देखने लगते हैं। इससे अलग-अलग भावनाओं का अनुभव कर दूसरों की प्रति समानुभूति के भावों को विकसित कर पाते हैं। अतः बाल साहित्य का काम बच्चों के ज्ञान की वृद्धि करना भी है और बालक के भीतर छिपी अनंत सम्भावनाओं को विकसित करना भी है।

बाल साहित्य को लेकर नकार, स्वीकार और दरकार :-

दुनियाभर के तमाम अध्ययन बच्चे की शिक्षा में बाल कथा साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित कर चुके हैं बावजूद इसके भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बाल कथा साहित्य को मुकामल स्थान नहीं मिल पाया है। हमारे यहाँ अक्सर बाल साहित्य की पुस्तकों को नॉन सलेब्स बुक्स कह कर नकार दिया जाता है। इसके कई कारण हैं। एक, आज के वैज्ञानिक तकनीकी प्रतियोगी परिवेश में अंक आधारित शिक्षा व्यवस्था में साहित्य के अध्ययन के वास्तविक महत्व को ही नहीं समझा जा रहा है। उसमें भी पाठ्यपुस्तक आधारित संस्कृति होने के कारण बाल कथा साहित्य को तो और भी कमतर करके आँका जाता है। बच्चे की शिक्षा का खर्च अधिक होने को एक कारण के तौर पर गिनाकर पाठ्यपुस्तक से इतर बाल कथा साहित्य को बच्चे की शिक्षा का सहगामी साधन मानने की अपेक्षा अतिरिक्त और गैर जरूरी शौक की पूर्ति के तौर पर देखा जाता है। दूसरे, अभिभावकों के व्यवहार ने और मोबाइल, कंप्यूटर, यू ट्यूब की दुनिया ने भी बच्चों की किताबों से दूरी बढ़ा दी है। किताबों से दूरी का प्रभाव आजकल के बच्चों की भाषा पर भी देखा जा सकता है। बच्चे बड़ों का अवलोकन करते हैं और जो देखते हैं वैसा ही व्यवहार वे भी अर्जित कर लेते हैं। चूँकि हमारे समाज में वयस्कों में भी पठन संस्कृति अब पहले की भाँति नहीं रही है। अतः इसके परिणाम हमें बच्चों के व्यवहार में भी दिखने लगे हैं। जहाँ तक हमारे जीवन में तकनीक के प्रभाव का प्रश्न है तो निसंदेह तकनीक के बहुत से लाभ भी हमें प्राप्त हुए हैं किन्तु बच्चों में अध्ययन संस्कृति के विकास के सन्दर्भ में तकनीक ने किस चीज की पूर्ति की है और कहाँ रिक्तता को पैदा किया है, इस पर चिंतन आवश्यक है। तीसरे, साथ ही ऐसा नहीं है बच्चों के मन को भाने वाला बाल कथा साहित्य उपलब्ध नहीं है, या वे बाल साहित्य में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। भारत देश के विभिन्न विद्यालयों

से ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जहाँ अध्यापक अपनी पेशेगत प्रतिबद्धता के तहत अपने निजी प्रयासों से बच्चों की शिक्षा में मुक्कमल हस्तक्षेप करते हुए पारम्परिक सामग्री से इतर पठन सामग्री को अपनाते हैं। उनके कक्षायी अनुभव सहज रूप से सीखने की प्रक्रिया के रूप में सामने आते हैं। एक अच्छी कहानी आज भी बच्चों द्वारा अत्यंत लालयित होकर सुनी और पढ़ी जाती है। आज बाल साहित्यकारों के समक्ष मुख्य चुनौती ही यह है कि वे बच्चों के विचारों, भावनाओं और प्रकृति को समझ कर कहानियों की रचना करें और बाल कथा साहित्य के नाम पर अपने बचपन के निजी विवरणों को व्यक्त करने से बचें। बाल साहित्य के प्रति उपेक्षा भरे रवैये को खत्म करने के लिए पाठ्यपुस्तकों से इतर बाल कथा साहित्य के महत्त्व को समझते हुए देश में एक केन्द्रीय संस्था होना बहुत आवश्यक है जो पूर्ण रूप से बाल साहित्य के लेखन, प्रकाशन, प्रचार के प्रति समर्पित हो। देशभर से बाल साहित्य में कार्यरत रुचि रखने वाले, पढ़ने वाले, बाल साहित्यकार, बाल साहित्य के शोधार्थी, चित्रकार, बाल साहित्य प्रकाशित करने वाले प्रकाशन घर, विद्यालयों के लाइब्रेरियन, शिक्षक, बच्चे, अभिभावक, उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रोफेसर, पाठ्यपुस्तक निर्माण समितियों के सदस्य, पत्र-पत्रिकाओं के संपादक आदि सभी इस संस्था से जुड़े होने चाहिए। ताकि समय-समय पर संगोष्ठी, कार्यशाला, बाल साहित्य पुस्तक विमोचन, बाल साहित्य समीक्षा कार्यक्रम आदि के आयोजन के माध्यम से एक दूसरे की राय ली जा सके, बच्चों की बदलती आदतों और अभिरुचियों की थाह ली जा सके, तथा बाल साहित्य के लेखन, प्रकाशन, प्रचार और पहुँच की दिशा में विमर्श कर वांछित कदम उठाये जा सकें।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जैसा आज हम अपने बच्चों को देंगे ठीक वैसा ही समाज कल हमें मिलेगा अर्थात् बाल कथा साहित्य को महत्त्व देना बच्चों को महत्त्व देना है। बाल कथा साहित्य बच्चों में शिक्षा के लिए मानसिक भूमि तैयार करता है। बच्चों में स्वाध्ययन की आदत डालने से लेकर उन्हें स्थायी पाठक बनाने तक का सफर बाल कथा साहित्य द्वारा सहजता से तय किया जा सकता है। भारत और दुनिया के तमाम शिक्षाशास्त्रियों ने बाल केन्द्रित शिक्षा की वकालत की है किन्तु बाल कथा साहित्य के बिना बच्चों की शिक्षा बाल केन्द्रित कभी भी नहीं बन सकती है। अतः बच्चों और वृहतर समाज के हित में बच्चों को कमतर न आकंते हुए बच्चों की शिक्षा में बाल कथा साहित्य को तवज्जो देना और उसकी अहम भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची :-

1. सुशील कँवर राठौड़, बच्चों के मनोविज्ञान को प्रभावित करती बाल-पत्रिकाएँ, अपनी माटी, 2022
2. डॉ. उर्वशी कुमारी, बालकों के विकास में बाल-पत्रिकाओं का योगदान, अपनी माटी, 2021
3. ओमप्रकाश कश्यप, परीकथा एवं विज्ञान लेखन, प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 2019
4. प्रो. कृष्ण कुमार, पढ़ना, जरा सोचना, जुगनू प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019
5. प्रकाश मनु, हिंदी बाल साहित्य का इतिहास, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2018
6. अमन मदान, शिक्षा और आधुनिकता एकलव्य प्रकाशन, भोपाल, 2018
7. उषा शर्मा, बाल साहित्य की जादुई दुनिया, एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली 2015
8. दिविक रमेश, हिंदी का बाल साहित्य : परम्परा, प्रगति और प्रयोग, जनकृति विमर्श केन्द्रित अंतर्राष्ट्रीय मासिक ई पत्रिका अंक 2. अप्रैल 2015

9. दिविक रमेश, बाल साहित्य : उपेक्षा और अपेक्षा, जनकृति विमर्श केन्द्रित अंतराष्ट्रीय मासिक ई पत्रिका अंक 3, मई 2015
10. सीमा ओझा, आजकल (साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका), प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 2012
11. रश्मि पालीवाल, शशि सबलोक, पढ़ना सीखने में किताबों का महत्त्व, एकलव्य प्रकाशन, भोपाल. 2008
12. प्रो. कृष्ण कुमार, कहानी कहाँ खो गई, एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली, 2008
13. रामशरण जोशी, गवेषणा, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 2007
14. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा, एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली, 2005
15. रोहित धनकर, शिक्षा विमर्श (बाल साहित्य विशेषांक, जुलाई— दिसम्बर), राजस्थान, 2005

nua892@gmail.com

9971324947

गाँधी का धर्म दर्शन एवं वर्तमान व्यवस्था का स्वरूप : एक अध्ययन

डॉ. सुनीता मीणा

आचार्य. राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर।

भूमिका :-

मानवता का भविष्य किसी देवता या भगवान के हाथों में नहीं बल्कि खुद उसी के हाथों में है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से धर्म समन्वय का विचार आज एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनिवार्यता बन चुकी है। आज हम जातियों, राष्ट्रों एवं व्यक्तिगत धर्मों की पदावली में सोच नहीं सकते। आज जिस प्रकार विश्व सरकार, विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व साहित्य एवं विश्व संस्कृति की बात चल रही है। उसी प्रकार विश्व धर्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सर्वधर्म समभाव आवश्यक चरण है। संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व की विविधताओं से परिपूर्ण होते हुए भी गांधीजी ने एक कर्मशील मानव के रूप में धर्म को अंगीकार किया। गांधीजी का धर्म धार्मिक अंधविश्वास का प्रतिफल नहीं बल्कि सशक्त चेतनाशील आध्यात्मिक आस्था की देन है। गांधीजी ने धर्म में उदात्त गुणों का समावेश का अनुमोदन किया। क्योंकि उनके अनुसार धर्म नैतिकता के रूप में था जिसमें रूढ़ियों को किंचित मात्र भी स्थान नहीं था। पूरी मानवता की सेवा में निबंध होकर उन्होंने अपने धार्मिक आदर्शों को पूरा किया प्रगतिशील धर्म का सही मापदंड यही है कि अपने पड़ोसी से मनुष्य को उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना वह स्वयं से करता है। गांधीजी का धर्म अत्यंत व्यावहारिक था उनके लिए पवित्रता एवं मानव सेवा अभिन्न अंग थे।

गांधी के मान्यता अनुसार संसार में कोई भी ऐसा धर्म नहीं जो मानव मानव के मध्य भेद की भावना उत्पन्न करता हूँ सभी धर्मों का मूल तत्व एक है केवल उसकी अनुभूति के तरीके अलग हैं। गांधीजी का धर्म मानवता की सेवा है धार्मिक एकता की भावना है जिसमें सांप्रदायिकता या धार्मिक मतभेदों का कोई स्थान नहीं गांधी जी हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौजन्य पूर्ण संबंधों का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार जब तक भारत के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार बैठे रहेंगे तभी कोई विदेशी शक्ति उन्हें अपना दास बना कर अपने अधीन कर सकती है। अतः ने केवल हिंदू और मुसलमान बल्कि भारत की समग्र जातियों में भी परस्पर मातृत्व की भावना की स्थापना हो जाए जो भारत को अपना घर समझते हैं और अनंत काल से उसमें रहती आ रही है। गांधीजी ने समग्र मानव समाज के आत्मिक उत्थान की आवश्यकता को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया है

उनकी आकांक्षा थी कि संपूर्ण समाज नैतिक मानदंडों को अंगीकृत करें गांधी के समक्ष तत्कालीन समाज की नैतिक मान्यताएं थी जड़वत रूप में थी वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने ऐसे दूषित संस्कारों व कुप्रथाओं को समाज से दूर करने का प्रयास किया जो सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध थी। लेकिन क्या आज हम गांधी के धार्मिक समन्वय, सहिष्णुता, सामाजिक नैतिकता, बंधुत्वता था जैसे विचारों को समाज में किस रूप में परिलक्षित होते देख रहे हैं यही हमारे लिए चिंतन एवं शोध का विषय है क्या गांधी का समाज गांधीजी के आदर्शों पर चल रहा है? या धर्म, जाति सांप्रदायिकता का एक अलग ही रूप अलग-अलग मुखौटा लिए समाज में पैर पसार रहा है।

गांधीजी का धर्म दर्शन :-

धर्म गांधी जी का धर्म आदर्श समाज की आधारशिला है उनकी दृढ़ मान्यता है कि 'धार्मिक चेतना ही दृढ़ सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना का विश्वसनीय आधार हो सकती है।' गांधीजी के अनुसार धर्मशास्त्र एवं धार्मिक ग्रंथ नैतिक नियमों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि "मेरे मत में धर्म का अर्थ है नैतिकता। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिकता के परे कोई उपदेश देता हो धर्म तो वास्तव में नैतिकता को व्यवहार में गठित करने की पराकाष्ठा है। साथ ही धर्म ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के विवेक को हीन माताग्रहों से मुक्त करती है। विवेक एवं दृष्टिकोण की व्यापकता दो ऐसे आधार हैं जिन पर किसी भी धार्मिक मान्यता का परीक्षण करके उसे अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि जो बात विवेक सम्मत में हो वो संकीर्ण दिखावा और धार्मिक हो ही नहीं सकती। गांधीजी ने व्यक्त किया है कि "धर्म के प्रति विवेक सम्मत दृष्टिकोण का अर्थ होगा कि 'व्यक्ति सभी धर्मों की मूलभूत एकता को आत्मसात कर लेगा और यह स्वीकार कर लेगा कि सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर की संतान हैं चाहे उनके धार्मिक विश्वास कोई भी हो उनके बीच कोई भी भेदभाव किए जाना उचित नहीं धर्म का यह पक्ष सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता वह सद्भाव को अनिवार्य बना देगा और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित व्यक्ति के मन मस्तिष्क में किसी दूसरे धार्मिक मत के लिए घृणा, द्वेष या शोषण का कोई स्थान नहीं रहेगा' गांधी गांधी जी ने कहा है कि "विभिन्न धर्म तो एक ही लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग हैं जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसकी प्राप्ति के लिए अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं।

सभी धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता ईश्वर की अनिवार्य एकता में विश्वास :-

गांधीजी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व ईश्वर की अनिवार्यकता में विश्वास करते थे उनका मत था कि धार्मिक आचरण ही जीवन का मापदंड है गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन में धर्म के प्रति उदार और विवेकशील दृष्टिकोण को अपनाया उन्होंने यह दावा किया कि वह निष्ठावान हिंदू हैं किंतु साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उनका हिंदुत्व उन्हें अनिवार्य रूप से इस बात की प्रेरणा देता है, कि वह दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति भी समान स्नेह और सहिष्णुता का भाव रखें उन्होंने कहा कि यदि "मैं किसी मुसलमान या ईसाई को संकट में पड़ा देखूं और उनका संकट का समाधान ना करूं अर्थात् उनके अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों को भी

दांव पर ना लगा दूं तो इससे मेरे हिंदुत्व का अपमान होगा।” हालांकि गांधी जी का हिंदू धर्म में गहरा विश्वास था लेकिन उनका यह विश्वास न तो ग्रंथ किट पंडितों की तरह है न विचार शक्ति रहित भक्तों की तरह जो आंखें मूंद कर हर की बात पर विश्वास कर लेते हैं। उनकी धर्म चेतना उन्हीं के विवेक और तर्कों से एक साथ नियंत्रित होती है। वह कहते हैं “मैं यह नहीं मानता की वेद पवित्र ग्रंथ है। मुझे लगता है कि बाईबल, कुरान और जिंदावेता भी समान रूप से पवित्रता प्रेरित हैं।” हिंदू धर्म चरमपंथियों के लिए नहीं है उसमें संसार के सभी महान धार्मिक पुरुषों की पूजा का स्थान है। उनका कहना है कि सभी लोग अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की पूजा करें। गांधीजी ने जोर देकर कहा कि भगवत गीता को मैं पहले से जानता था और उसका बड़ा भक्त था लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति का मूल्य कितना हो सकता है यह मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद ही जान सका। पढ़ते-पढ़ते मैं आनंद से अधीर हो उठा यह धारणा और भी सुंदर तब हुई जब मैंने फिर भगवत गीता पढ़ी उसके बाद जब मैंने टॉलस्टॉय की पुस्तक “ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही भीतर है” पढ़ी तो वह धारणा मन में हमेशा के लिए बदमूल हो गई।

मानवता की सेवा ही धर्म है :-

इसमें रूढ़ियों का किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। प्रगतिशील धर्म का सही मापदंड यही है। अपने पड़ोसी से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना वह स्वयं से करता है। गांधीजी का धर्म दायित्व को संपन्न करने की प्रेरणा देता है जिसमें पदों के लोभ या मोह का कोई आकर्षण या स्थान नहीं मनोवृत्ति से हम सब ईश्वर के अतिरिक्त किसी के दास नहीं होते गांधीजी की मान्यताओं के अनुसार संसार में कोई भी ऐसा धर्म नहीं जो मानव मानव के मध्य भेद की भावना उत्पन्न करता हो सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है। केवल उसकी अनुभूति के तरीके भिन्न भिन्न हैं। गांधीजी ने धर्म को सत्य के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। वह सर्वधर्म समभाव के प्रति आस्थावान है। उनके जीवन में सर सैयद अहमद खान की भूमिका हो या जिन्ना की गांधी जी हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौजन्य पूर्ण संबंधों का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि जब तक भारत में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे रहेंगे तब तक कोई विदेशी शक्ति उन्हें अपना दास बना कर अपने अधीन कर सकती है” हिंदू मुसलमान मेल का अभिप्राय यह नहीं है कि केवल इन्हीं में परस्पर मेल हो बल्कि भारत की समग्र जातियों में परस्पर भातृत्व भाव की स्थापना हो, जो कि भारत को अपना घर समझती हैं। गांधी जी हिंदू और मुसलमानों के मध्य दिली दोस्ती के समर्थक थे। उनका व्यक्तिगत जीवन व आश्रम का जीवन उनके आदर्शों के अनुरूप ही था। आश्रम जीवन के सभी धर्मों के लोग सुख पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तथा आश्रम की मान्यताओं को अपने कार्यों में मुखरित करते थे।

लेकिन आज जब हम गांधी जी के भारत की तस्वीर देखते हैं, तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले लोग उनके आदर्शों एवं विचारों पर चर्चा परिचर्चा अनुगमन करने वाले लोग सत्य, अहिंसा, सेवा, बंधुत्वता का अनुसरण करने वाले लोग गांधीजी के इस देश की तस्वीर गांधीजी के आदर्शों से बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रही है। यह समझने के लिए कुछ घटनाएं उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष

हैं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं।

देश के कई हिस्सों में हाल के दिनों में देश में धार्मिक हिंसा की घटनाओं में तोड़फोड़ आगजनी एवं पथराव की घटनाएं बढ़ी हैं :-

2 अप्रैल 2022 करौली नव संवत्सर के मौके पर बाइक रैली पर पथराव के बाद तोड़फोड़ एवं आग लगाने की वारदात की गई। इसी प्रकार दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। 10 अप्रैल 22 दिल्ली जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प सिर्फ इस बात पर हो गई कि एक गुट के छात्रों का कहना था कि हॉस्टल में चिकन बना रहे हैं। 10 अप्रैल बिहार मुजफ्फरपुर में रामनवमी के दौरान मस्जिद पर जबरदस्ती भगवा झंडा फहराने की घटना सामने आई, और इसी प्रकार 17 अप्रैल को अलीगढ़ के मानिक चौक पर कुछ धार्मिक शरारती लोगों ने मस्जिद पर पथराव किया। 2023 होली से पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में तनाव भड़काने की कोशिश हुई त्योहारों से पहले दो समुदायों के बीच बहस हिंसक हो गई स्थानीय पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थिति पर काबू पाया जा सका। इसी प्रकार स्त्रियों पर अत्याचार हो या शोषण हो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसी क्रम में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार का दावा हो, चाहे प्रशासनिक पदों, नौकरियों में स्थान कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुद्दों को लेकर जो हिंसा भड़की है वो हिंसा धर्म और जाति को मूल में रखकर ही भड़की है। चाहे ईसाई या हिंदुत्व मुद्दा हो या अनुसूचित जाति और हिंदू सरेराह अगर किसी को तन मन धन की हानि हुई है तो वह है आम जनता महिलाएं, बच्चे, गरीब लोग, दलित, जब हम गांधी जी के दर्शन की बात करते हैं तो हमेशा सत्य, अहिंसा अस्तेय, सामाजिक समरसता, धार्मिक एकता और सद्भाव, समन्वय की राजनीति के आध्यात्मिककरण जैसे आदर्श हमारे जहन में उतरते हैं। लेकिन जब हम देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक माहौल को देखते हैं। और रहते हैं तो गांधीजी के इस देश में हम किन विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यही प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है।

मणिपुर से सामने आए वीडियो में देश की चेतना को झकझोरकर रख दिया है। 2023 में भी एक भीड़ खुलेआम ऐसा कर सकती है, विचलित कर देने वाला है। स्थानीय, जातीय एवं धार्मिक मतभेद चाहे जितने हों इस प्रकार की हिंसा एवं अराजकता बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं हो सकती। क्योंकि एक आम भारतीय कट्टर एवं धर्मांध नहीं होता चंद कट्टरपंथी लोग इस प्रकार की घटना हिंसा, असहिष्णुता, फैलाकर समाज एवं राज्य को दूषित करते हैं। मणिपुर के इतिहास में धार्मिक स्थल पहली बार जातीय हिंसा का निशाना बन रहे हैं। जहां चर्च भी जल रहे हैं और मंदिर भी जल रहे हैं। यह हम सभी के लिए दुःख की बात है। 24 जुलाई 2023 जिसमें 18 साल की बच्ची को घर से ठीक बाहर से किडनैप करके रात भर सामूहिक बलात्कार हुआ दूसरे दिन बुरी तरह घायल बच्ची को घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए। इसी प्रकार 21 जुलाई 2023, 4 मई को दो युक्तियों को निर्वस्त्र कर दौड़ाया गया फिर सामूहिक बलात्कार किया गया 19 साल की एक छात्रा ने बताया कि एक जातीय समूह का होने की वजह से महिलाओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। उसने अपनी पि.त. में बताया कि किस तरह 150 हथियारबंद पुरुषों एवं महिलाओं ने “4 मई को शाम 4:00 बजे मेरे इंस्टिट्यूट पर हमला कर

मुझे निशाना बनाया मैतई और कुकी समुदाय के बीच जारी इस हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, 400 से अधिक घायल हुए हैं हजारों लोग बेघर हो गए हैं। गांव के गांव उजड़ गए हैं। कारण बताया जा रहा है कि आजादी के बाद ईसाई धर्म मानने वाले को की समुदाय जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। जबकि मैतई समुदाय हिंदू समुदाय को आरक्षण की मांग कर रहा है। और अनुसूचित जनजाति में दर्जा चाहता है। बीबीसी को मिले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक प्रदेश में ढाई सौ से ज्यादा चर्च तथा 2000 कुकि घर निशाना बन चुके थे। इसी प्रकार सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 मंदिरों के अलावा 2000 मैतई घरों पर भी हमला हुआ है। कुकी स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन के होम सेक्रेट्री की नाराजगी इस बात से है कि चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार किसी ने उनकी सुध ठीक से नहीं ली। उन्होंने कहा कि “मैं भी भ्रमित हो जाता हूं कि आखिर हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं इस हिंसा का दौर शुरू हुआ था अधिकारों की मांग के साथ और फिर यह शिफ्ट होकर धर्म पर आ गया।”

और इधर मणिपुर की आग की लपटें अभी तक धीमी भी नहीं पड़ी उससे पहले दो और दिल दिमाग को झकझोर देने वाली घटनाएं घटित हो गई मुंबई दिल्ली ट्रेक पर ट्रेन में एक सिपाही ने चलती ट्रेन में चार लोगों को गोलियों से भून डाला और वह भी अलग-अलग बोगियों में जाकर चुन-चुन कर गोली मारता रहा क्योंकि राजनीतिक बहस में उसका उग्रवाद अचानक सिर चढ़कर बोलने लगा।

वहीं दूसरी घटना हरियाणा नूह की है जब ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा फैल जाती है। यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथराव किया गया इसमें हिंसा भड़क गई जिसमें कई लोगों की हत्या हो गई 50 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं अन्य लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने 100 से अधिक गाड़ियां फूक दी दुकानों पर लूटपाट आगजनी की गई। बाइक शोरूम से 200 बाइक लूट ली गई, साइबर थाना को निशाना बनाया गया जनधन की हानि के साथ लोगों में बदले की भावना को भी बल मिला और बदले में कुछ लोगों ने गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हमला कर आग लगा दी जिसमें 22 साल के नायक इमाम की हत्या की गई। कारण दिखाई देता है “धार्मिक यात्रा” प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, और पढ़ते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कि क्या यही है गांधी जी का भारत है जिन्होंने राजनीति के आध्यात्मिक करण की बात कही थी, कहा था कि “धर्म के बिना राजनीति मृत्यु जाल के समान है” लेकिन धर्म और राजनीति का जो गठबंधन हमारे सामने जिस रूप में सामने आया है वह बहुत ही दुखदाई है। आखिर क्या हो गया है शांति एवं बंधुत्व की भावना रखने वाले इस देश को? पंथनिरपेक्षता, धार्मिक सौहार्द एवं समाजवादी विचारों में विश्वास रखने वाले देश के नागरिकों को? आखिर क्यों हम हर तरफ मणिपुर चलाना चाहते हैं? जहां शक्ति स्वरूपा महिलाओं की ना कद्र है ना सम्मान न मनुष्य मात्र की, जहां आदमी से आदमी कटता जा रहा है। स्कूल जैसे शरणार्थी शिविर हो गए हैं। और गलियां जैसे श्मशान घाट, खेतों में बलात्कार हो रहे हैं, और रास्तों में हिंसा घृणा, नग्नता का खुला प्रदर्शन? कहीं जाति के आधार पर तो कहीं धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है। कोई सरकार, कोई सेना, कोई पुलिस, कोई सुरक्षा बल रोक नहीं पा रही है। आखिर किस ओर जा रहे हैं हम? हमें इन सारी नफरतों से आजाद

होना होगा। जो इंसान को इंसान से दूर करती है। शांति के इस देश में जो हिंसा व घृणा को जन्म देती है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” वाले सूत्र में विश्वास करने वाले देश में नारी को नग्न करके घुमाने और उसके अपमान एवं अस्तित्व की धज्जियां उड़ाने वाली यह भावनाएं आखिर कहां से घर कर गई? हमें समझना होगा कि आखिर इन सब के मूल में क्या और कौन है। तभी जाकर हम भारत के लोग जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य को अपनाते हैं। यहां के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय पर विश्वास करते हैं। सभी की समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की बात करते हैं। बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग या जन्म स्थान के सभी नागरिकों में समानता में विश्वास करते हैं। हमें इन भारतीय एवम लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना होगा। हमें सक्रिय सचेत सकारात्मक होना होगा ताकि भारतीय संविधान के आदर्श एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों नैतिक मूल्य एवं आदर्शों की सुरक्षा एवं सम्मान कर सकें।

संदर्भ सूची :-

1. “नवजीवन” 25 मार्च 1928
2. कलैक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, खण्ड-51, पृ. सं. 353
3. हरिजन, 30 अप्रैल 1938
4. कलैक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, खण्ड-57, पृ. सं. 380
5. रोमा रोला, “महात्मा गांधी जीवन और दर्शन” लोक भारती प्रकाशन, 2019, पृ.सं. 18-19
6. शुक्ल चन्द्रशेखर- “कैनवरशेशन ऑफ गांधी”, पृ. सं. 30
7. वी.पी. वर्मा- दि पोलिटिकल फिलासफी ऑफ गांधी एण्ड सर्वोदय, पृ. सं. 66
8. “अमर उजाला” 27 जुलाई 2023
9. बी.बी.सी. न्यूज, इम्फाल से 24 जुलाई 2023
10. बी.बी.सी. संवाददाता की रिपोर्ट 20 जून 2023 “मणिपुर में जातीय हिंसा के धार्मिक मामलों में बदलने की कहानी।
11. ‘जनसत्ता’ 1 जुलाई 2023
12. दैनिक भास्कर 2 जुलाई 2023

Mob. 7976484832

E-mail : drsunita2003@gmail.com